

दृष्टिकोण

समसामयिक घटनाएँ • विश्लेषण • परीक्षा दृष्टि



भूगोल

पर्यावरण

संविधान

राजव्यवस्था

अर्थव्यवस्था

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

घटनाओं से आगे, समझ की ओर

UPSC एवं UPPCS की तैयारी के लिए

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन	4	3.1. DRDO ने बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया.....	24
1.1. सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्तियाँ और न्यायपालिका की क्षमता.....	4	3.2. भारत का स्वदेशी वीडियो निर्माण मॉडल 'Varya'....	25
1.2. दलबदल कानून और राजनीतिक दलों के विलय का प्रश्न	5	3.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान की सीमाएँ	26
1.3. राजनीति का अपराधीकरण और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही.....	6	3.4. GRAPES-3 से ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम की निगरानी	28
1.4. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण	7	3.5. मंगल ग्रह पर जटिल कार्बनिक कार्बन की खोज	29
1.5. राज्य वित्त आयोग और स्थानीय निकायों की वित्तीय मजबूती	8	3.6. नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना	30
1.6. तुंगभद्रा जल-विवाद और सहकारी संघवाद.....	9	3.7. ICAR-IIOR की स्मार्ट बीज लेपन तकनीक.....	32
1.7. FCRA नियमों में बदलाव और नागरिक संगठनों की भूमिका	10	3.8. प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर योजना 2026.....	33
1.8. DISHA 2.0 और सभी के लिए न्याय तक पहुँच.....	11	3.9. BRICS में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर सहयोग.....	34
1.9. UAPA में जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता.....	12	3.10. चीन का LineShine बना दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर.....	36
1.10. सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार ...	13	4. अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा	37
2. पर्यावरण और पारिस्थितिकी	14	4.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग.....	37
2.1. सुर्हा ताल बना भारत का 100वाँ रामसर स्थल	15	4.2. भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी.....	38
2.2. भारत में 483 नई प्रजातियों की पहचान	16	4.3. G7 शिखर सम्मेलन और भारत की वैश्विक दक्षिण कूटनीति	39
2.3. पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को Eco-Sensitive Area बनाने की योजना.....	17	4.4. भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता	41
2.4. बॉन जलवायु बैठक SB64 में जलवायु कार्टवाई के क्रियान्वयन पर जोर	18	4.5. सेशेल्स यात्रा और हिंद महासागर सुरक्षा	42
2.5. भारत और जापान ने Joint Crediting Mechanism के नियम अपनाए	19	4.6. होमुज़ जलडमरूमध्य और भारत की ऊर्जा सुरक्षा....	43
2.6. El Niño की स्थिति विकसित, मजबूत होने की आशंका	20	4.7. तीन स्वदेशी नौसैनिक पोतों की कमीशनिंग.....	44
2.7. NCR में वायु प्रदूषण पर CAQM की सख्त निगरानी21		4.8. आतंकवाद-रोधी सहयोग: संयुक्त राष्ट्र सप्ताह और भारत-ताजिकिस्तान संवाद	45
2.8. लक्षद्वीप में मिला विशाल "Potato Patch" Coral22		5. अर्थव्यवस्था.....	46
2.9. FAO की SOFIA 2026 रिपोर्ट: जलीय उत्पादन 235 मिलियन टन.....	22	5.1. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.7 प्रतिशत	46
2.10. Desertification and Drought Day 2026 का विषय: Rangelands	23	5.2. RBI की जून मौद्रिक नीति : रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर.....	48
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	24	5.3. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला और अप्रैल में 4.9 प्रतिशत वृद्धि.....	49
		5.4. मई 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.93 प्रतिशत.....	50
		5.5. GST के नौ वर्ष और कर-संग्रह में वृद्धि	51

5.6. मई 2026 में भारत का निर्यात और व्यापार घाटा....	52	7. कला एवं संस्कृति.....	68
5.7. मई 2026 में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत.....	53	7.1. वाराणसी में दूसरी बिस्म संस्कृति कार्यसमूह बैठक..	68
5.8. खरीफ 2026 की तैयारी और अल-नीनो की चिंता..	55	7.2. संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कारों की घोषणा	69
6. सामाजिक मुद्दे	56	7.3. ओरेसुंड जहाज के लिए भारत-डेनमार्क जलमग्न पुरातत्व सहयोग.....	70
6.1. सुरक्षित मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य: PMSMA के दस वर्ष तथा SUMAN रोडमैप 2030.....	56	7.4. 'विकास भी, विरासत भी' के तहत विरासत संरक्षण का आकलन.....	71
6.2. एनीमिया मुक्त भारत अभियान का नया 7×7×7 ढाँचा	58	7.5. मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026	73
6.3. जन्म से तीन वर्ष तक समग्र देखभाल: समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	59	8. नीतिशास्त्र	74
6.4. बालिका सुरक्षा और शिक्षा: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष.....	61	8.1. नीट की पुनर्परीक्षा : परीक्षा की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी	74
6.5. डिजिटल शिक्षा और सीखने की समानता: DIKSHA मंच	62	8.2. सार्वजनिक धन की लेखापरीक्षा : शासन में ईमानदारी और जवाबदेही	76
6.6. उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम.....	63	8.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा : तकनीक के साथ मानवीय जिम्मेदारी.....	77
6.7. नशा मुक्ति और युवाओं की सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या	65	8.4. अंगदान : करुणा, स्वतंत्र सहमति और न्यायपूर्ण अवसर.....	79
6.8. जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक शासन: ITDA/ITDP सम्मेलन और जनभागीदारी अभियान.....	66	8.5. ओडिशा में कथित सामाजिक बहिष्कार : मानवीय गरिमा और संवैधानिक नैतिकता	80



RAINBOW IAS™
Colouring Your Journey to Success.

सपने वहीं नहीं
जो देखे जाएँ,
बल्कि जो पूरे किए जाएँ!



DISCIPLINE
DIRECTION
DEDICATION
A BRIGHTER TOMORROW

Better
Aspirants
Brighter
India

Civil
Services
A Brighter
India

उड़ान मेंटरशिप प्रोग्राम 2027

Same
Aspirants
Different
Results! 😊

MAPS
IDEAS
PEOPLE
A BRIGHTER
INDIA

Final Batch

Batch Ongoing

Admissions Open



Offline + Online



Limited Seats

Mentorship
Today
A Stronger
You Tomorrow

- ✓ Learn
- ✓ Analyse
- ✓ Connect
- ✓ Apply

Let's
Build
a Better
Tomorrow 😊

UPSC
2027

Good
Study
Good Society
Brighter India

समग्र मार्गदर्शन • नियमित मेंटरशिप • उत्तरलेखन सहायता



1-to-1
Guidance

आपकी तैयारी
आपके अनुसार



Regular
Mentorship

हर कदम पर
साथ



Answer
Writing Support

बेहतर उत्तर
बेहतर अंक



Comprehensive
GS Coverage

सम्पूर्ण और
समसामयिक दृष्टिकोण



Doubt
Support

हर सवाल का
समाधान



Guidance by
Mrityunjay Sir

अनुभव, रणनीति
और सही दिशा



Rainbow IAS | Mukherjee Nagar, Delhi
Same Place. Brighter Futures.



Query: 9217432851 | 8796494851

उत्तर प्रदेश
से बेहतर
उत्तर प्रदेश

KNOWLEDGE

DISCIPLINE

OPPORTUNITY

A BRIGHTER INDIA

सेवा
सुशासन
सशक्त भारत



1. राजव्यवस्था एवं शासन

1.1. सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्तियाँ और न्यायपालिका की क्षमता

1.1.1. चर्चा में क्यों?

1 जून 2026 को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पाँच न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिसूचित की। इनमें चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल थीं। इन नियुक्तियों से न्यायालय की कार्यक्षमता, नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायपालिका में विविध प्रतिनिधित्व का विषय चर्चा में आया।

1.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

न्यायपालिका की जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और विवादों का निष्पक्ष निपटारा करना है। इसके लिए पर्याप्त न्यायाधीश, प्रशिक्षित कर्मचारी और ठीक तरह से चलने वाली अदालतें आवश्यक हैं।

जब कोई न्यायिक पद लंबे समय तक खाली रहता है, तो उसका काम दूसरे न्यायाधीशों पर बढ़ जाता है। सुनवाई में देरी होने से मुकदमा लड़ने का खर्च भी बढ़ता है। नौकरी, जमीन, पेंशन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में इसका असर सीधे व्यक्ति और उसके परिवार पर पड़ता है।

नियुक्तियों का प्रश्न न्यायिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा है। चयन ऐसा होना चाहिए कि योग्य व्यक्ति न्यायालय तक पहुँचें और उन पर अनुचित राजनीतिक या व्यक्तिगत दबाव न हो।

1.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति:** सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होती है।
- > **कॉलेजियम की भूमिका:** सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश करने वाले कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। यह व्यवस्था न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है।
- > **अलग-अलग अनुभवों का महत्व:** उच्च न्यायालयों से आने वाले न्यायाधीशों को न्यायिक कामकाज का अनुभव होता

है। अधिवक्ता के रूप में लंबे अनुभव वाले व्यक्ति भी न्यायालय में उपयोगी दृष्टिकोण ला सकते हैं।

- > **विविधता की आवश्यकता:** महिलाओं तथा अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के योग्य व्यक्तियों की उपस्थिति न्यायपालिका को समाज के व्यापक अनुभवों से जोड़ती है।

1.1.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

नई नियुक्तियों से अधिक पीठों के गठन और मामलों की सुनवाई की क्षमता बढ़ सकती है। फिर भी मुकदमों की गति अदालतों के कर्मचारियों, दस्तावेजों की उपलब्धता, अनावश्यक स्थगन और कार्यसूची के प्रबंधन पर भी निर्भर करती है।

नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चयन के मानदंड स्पष्ट होने से जनता का भरोसा मजबूत होता है। साथ ही उम्मीदवारों की निजता और न्यायिक स्वतंत्रता का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

1.1.5. समाधान

- > संभावित रिक्तियों का आकलन करके नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से शुरू की जाए।
- > योग्यता, ईमानदारी, अनुभव और विविधता से जुड़े चयन मानदंड स्पष्ट किए जाएँ।
- > न्यायाधीशों के साथ पर्याप्त शोध-सहायक, कर्मचारी और तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध हों।
- > जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों की क्षमता भी बढ़ाई जाए, क्योंकि अधिकांश नागरिकों का न्याय व्यवस्था से पहला संपर्क वहीं होता है।

1.1.6. आगे की राह

न्यायपालिका की मजबूती को समय पर नियुक्ति, निष्पक्ष चयन और बेहतर अदालत प्रबंधन से जोड़ना होगा। सफलता का वास्तविक पैमाना यह होगा कि नागरिक को उचित समय और उचित खर्च में न्याय मिल रहा है या नहीं।



1.1.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **अनुच्छेद 124:** सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित।
- > **नियुक्ति प्राधिकारी:** भारत के राष्ट्रपति।
- > सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु **65 वर्ष** है।
- > उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु **62 वर्ष** है।
- > सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश करने वाला कॉलेजियम: **मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश**।
- > सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद कानून बना सकती है।

1.2. दलबदल कानून और राजनीतिक दलों के विलय का प्रश्न

1.2.1. चर्चा में क्यों?

14 जून 2026 को तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने दूसरे राजनीतिक दल में विलय का दावा प्रस्तुत किया। इससे यह प्रश्न उठा कि किसी दल के दो-तिहाई सांसदों का समर्थन मिल जाना विलय की छूट के लिए पर्याप्त है या मूल राजनीतिक दल के विलय की शर्त भी पूरी होनी चाहिए।

1.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

मतदाता अक्सर उम्मीदवार के साथ उसके दल की नीतियों और कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखकर वोट देता है। चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधियों के बार-बार दल बदलने से सरकारों की स्थिरता और जनादेश, दोनों प्रभावित होते हैं।

दलबदल रोकने के लिए 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ या पद पाने के लिए दल बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना था।

समस्या तब जटिल हो जाती है जब बड़ी संख्या में प्रतिनिधि एक साथ दल छोड़ते हैं। ऐसे मामलों में दल की संगठनात्मक पहचान और सदन में उसके सदस्यों की संख्या के बीच विवाद पैदा हो सकता है।

1.2.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > **स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना:** किसी दल से निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से उसकी सदस्यता छोड़ना अयोग्यता का आधार हो सकता है। इसके लिए औपचारिक इस्तीफा देना ही आवश्यक नहीं; आचरण भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
- > **द्विप का उल्लंघन:** बिना पूर्व अनुमति दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करना या मतदान से दूर रहना अयोग्यता का आधार हो सकता है। निर्धारित अवधि में दल द्वारा इसे क्षमा किए जाने का प्रावधान है।
- > **विलय की छूट:** दसवीं अनुसूची का पैरा 4 विलय से संबंधित है। इसमें मूल राजनीतिक दल और विधायी दल, दोनों का उल्लेख है।
- > **अध्यक्ष की भूमिका:** संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति अयोग्यता पर निर्णय करते हैं। उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है।

मूल राजनीतिक दल पूरे संगठन को कहा जाता है, जबकि **विधायी दल** किसी सदन में उस दल के निर्वाचित सदस्यों का समूह होता है। जून का विवाद इसी अंतर से जुड़ा था।

1.2.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

दलबदल सरकार के बहुमत, विपक्ष की ताकत और सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। अयोग्यता याचिका पर निर्णय में देरी होने से विवादित सदस्य लंबे समय तक पद पर बना रह सकता है।

दूसरी ओर, दल का अनुशासन इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं या किसी विधेयक पर स्वतंत्र विचार ही न रख सके। इसलिए राजनीतिक स्थिरता और सार्थक संसदीय बहस के बीच संतुलन आवश्यक है।



1.2.5. समाधान

- > अयोग्यता संबंधी मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की जाए।
- > निर्णय में तथ्यों और कानूनी आधारों को विस्तार से बताया जाए।
- > राजनीतिक दलों में आंतरिक संवाद और मतभेद व्यक्त करने की व्यवस्था मजबूत हो।
- > सामान्य विधायी विषयों पर व्हिप के अत्यधिक उपयोग की समीक्षा की जाए।

1.2.6. आगे की राह

दलबदल रोकने की व्यवस्था का उद्देश्य जनादेश की रक्षा और सरकार की स्थिरता होना चाहिए। इसके लिए निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया तथा दलों के भीतर लोकतांत्रिक व्यवहार, दोनों आवश्यक हैं।

1.2.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985:** दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
- > **91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003:** एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन वाली छूट हटाई गई।
- > **पैरा 4:** विलय से संबंधित प्रावधान।
- > विलय के संदर्भ में **विधायी दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों** की सहमति का उल्लेख है।
- > निर्दलीय निर्वाचित सदस्य के चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होने पर अयोग्यता हो सकती है।
- > नामित सदस्य के लिए सदन में स्थान ग्रहण करने के **छह महीने बाद** किसी दल में शामिल होना अयोग्यता का आधार है।

1.3. राजनीति का अपराधीकरण और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही

1.3.1. चर्चा में क्यों?

24 जून 2026 को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म—ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने राज्यसभा सांसदों की पृष्ठभूमि पर रिपोर्ट जारी की।

अध्ययन में शामिल 226 सांसदों में से 69, अर्थात् लगभग 31%, ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए थे। इनमें 36 सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे। **घोषित आपराधिक मामला और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अलग स्थितियाँ हैं।**

1.3.2. पृष्ठभूमि और कारण

राजनीति के अपराधीकरण का प्रश्न तब उठता है जब आपराधिक प्रभाव, धनबल या भय का उपयोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है।

इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक दल कभी-कभी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की तुलना में उसकी चुनाव जीतने की क्षमता को अधिक महत्व देते हैं। मुकदमों के लंबे समय तक चलने से आरोपों पर अंतिम निर्णय देर से आता है। स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों पर निर्भरता भी इस समस्या को बढ़ा सकती है।

हालाँकि राजनीतिक विरोध, आंदोलन या अन्य परिस्थितियों में दर्ज मामलों की प्रकृति अलग हो सकती है। इसलिए सभी मामलों को एक जैसा मानना उचित नहीं है।

1.3.3. रिपोर्ट और कानून की प्रमुख बातें

- > रिपोर्ट उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए शपथपत्रों पर आधारित है।
- > आपराधिक मामलों की जानकारी मतदाता को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि समझने में सहायता करती है।
- > जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 दोषसिद्धि के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।
- > धारा 8(3) के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाली दोषसिद्धि अयोग्यता का आधार बनती है। धारा 8(1) और 8(2) में कुछ अपराधों के लिए अलग प्रावधान हैं।

1.3.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

आपराधिक प्रभाव बढ़ने से प्रशासन की निष्पक्षता, पुलिस की कार्यवाही और सरकारी संसाधनों के वितरण पर दबाव पड़ सकता है। इससे साफ छवि वाले नए उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना कठिन हो सकता है।

सुधार करते समय निर्दोष माने जाने के सिद्धांत की रक्षा भी जरूरी है। केवल आरोप दर्ज होने पर स्वतः चुनाव लड़ने से रोकने की व्यवस्था का राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए गंभीरता, न्यायिक जाँच और उचित प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा।

1.3.5. समाधान

- > जनप्रतिनिधियों से जुड़े गंभीर मामलों का समयबद्ध निपटारा हो।
- > गवाहों की सुरक्षा तथा जाँच और अभियोजन की क्षमता मजबूत की जाए।
- > राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में घोषित मामलों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करें।
- > शपथपत्रों की जानकारी स्थानीय भाषा में आसानी से उपलब्ध कराई जाए।
- > चुनावी चंदे और खर्च में पारदर्शिता बढ़ाई जाए।

1.3.6. आगे की राह

इस समस्या का टिकाऊ समाधान राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, जाँच एजेंसियों और मतदाताओं की साझा जिम्मेदारी से निकलेगा। चुनाव में सफलता के साथ सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी को भी उम्मीदवार चयन का आधार बनाना होगा।

1.3.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8:** दोषसिद्धि के आधार पर अयोग्यता।
- > धारा 8(3) के अंतर्गत अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से शुरू होकर रिहाई के बाद **छह वर्ष** तक जारी रहती है।
- > **अनुच्छेद 102:** संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ।
- > **अनुच्छेद 191:** राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ।
- > ADR एक गैर-सरकारी संगठन है।
- > मामला दर्ज होना, आरोप तय होना और दोषसिद्धि होना अलग-अलग कानूनी अवस्थाएँ हैं।

हिंदी
समसामयिकी

राजनीति का अपराधीकरण और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही

जनहित में
जागरूकता

1. राजनीति का अपराधीकरण : क्या है?

- वह स्थिति जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित होकर विधायिका/संसद में पहुँचते हैं।
- गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों का राजनीति में बढ़ता प्रवेश लोकतंत्र की गुणवत्ता के लिए चुनौती है।
- कारण :** धनबल, बाहुबल, कमजोर जाँच व धीमी न्यायिक प्रक्रिया, मतदाताओं में जागरूकता की कमी आदि।

3. आपराधिक मामलों का चुनावी खुलासा

- चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने शपथपत्र (affidavit) में आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है (निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर)।
- मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि उसके प्रत्याशी पर कौन-कौन से मामले लंबित हैं।

226 सांसदों का अध्ययन

69

(लगभग 31%) ने आपराधिक मामलों को घोषित किए

36

गंभीर मामले

आरोप/मामला दर्ज होना $\neq$ दोषसिद्धि

किसी व्यक्ति पर आरोप लगना या उसके खिलाफ मामला दर्ज होना, यह सिद्ध नहीं करता कि वह दोषी है। दोषसिद्धि केवल सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के बाद ही होती है।

4. आपराधिक मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया

मामला दर्ज

(FIR / शिकायत)

पुलिस द्वारा जाँच

आरोप तय

(Charges Framed)

अदालत द्वारा, जाँच के बाद पर्याप्त सागम्री मिलने पर

दोषसिद्धि

(Conviction)

साक्ष्य व सुनवाई के बाद न्यायालय का अंतिम निर्णय

2. जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही क्यों जरूरी?

- जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास से चुने जाते हैं, उनसे उच्च नैतिक आचरण की अपेक्षा रहती है।
- आपराधिक मामलों का खुलासा मतदाताओं के सूचित निर्णय के अधिकार (Right to Know) का हिस्सा है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही से लोकतंत्र की विश्वसनीयता मजबूत होती है।
- गंभीर आरोपों वाले जनप्रतिनिधियों पर त्वरित और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है।

5. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

धारा 8(3): 2 वर्ष या अधिक सजा पर अयोग्यता; रिहाई के बाद 6 वर्ष तक

- यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या अधिक की सजा होती है, तो वह अयोग्य हो जाता है।
- रिहाई के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है।

शपथपत्र (Affidavit)

"जनसचरी ही जिम्मेदार लोकतंत्र की पाली सौड़ी है।"

स्वच्छ राजनीति ही सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है।

जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र!

1.4. महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण

1.4.1. चर्चा में क्यों?

18 जून 2026 को ADR ने महिला आरक्षण कानून पारित होने के बाद हुए चुनावों में महिलाओं की उम्मीदवारी पर रिपोर्ट जारी की। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 और संबंधित विधानसभा चुनावों के कुल 39,789 उम्मीदवारों का अध्ययन किया गया। इनमें 4,073, अर्थात् लगभग 10.2%, महिलाएँ थीं।

1.4.2. पृष्ठभूमि और कारण

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में मतदान के साथ उम्मीदवार बनना, चुनाव जीतना और निर्णय लेने वाले पदों तक पहुँचना भी शामिल है।

राजनीति में प्रवेश के लिए समय, आर्थिक संसाधन, संगठनात्मक समर्थन और सामाजिक संपर्क आवश्यक होते हैं। घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ, सार्वजनिक जीवन में असुरक्षा और चुनावी खर्च महिलाओं के सामने बाधाएँ पैदा कर सकते हैं।

उम्मीदवारों का चयन करने वाले दलों के प्रमुख पदों पर महिलाओं की सीमित उपस्थिति भी टिकट वितरण को प्रभावित कर सकती है।

1.4.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > **उम्मीदवारी का प्रश्न:** रिपोर्ट चुनाव लड़ने का अवसर मिलने पर ध्यान देती है। उम्मीदवारों में महिलाओं का अनुपात और निर्वाचित सदस्यों में उनका अनुपात अलग-अलग आँकड़े हैं।
- > **सीट आरक्षण का प्रावधान:** 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।

- > **SC और ST महिलाओं का समावेश:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है।
- > **क्रियान्वयन की शर्त:** सीट आरक्षण का वास्तविक क्रियान्वयन अधिनियम के प्रारंभ के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिस्तीमन की प्रक्रिया से जुड़ा है।

सीटों का आरक्षण और राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट देना दो अलग व्यवस्थाएँ हैं। दल उम्मीदवार चयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं भी कदम उठा सकते हैं।

1.4.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

व्यापक महिला प्रतिनिधित्व से नीति निर्माण में अलग-अलग जीवन-अनुभवों को स्थान मिल सकता है। स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं पर चर्चा अधिक समावेशी बन सकती है।

लेकिन प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के साथ उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। यदि वास्तविक निर्णय दूसरे लोग लेते रहें, तो प्रतिनिधित्व का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

1.4.5. समाधान

- > राजनीतिक दल महिलाओं के टिकट वितरण के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक लक्ष्य तय करें।
- > उम्मीदवारों को चुनाव प्रबंधन, संसदीय प्रक्रिया और सार्वजनिक संवाद का प्रशिक्षण मिले।
- > राजनीतिक हिंसा, धमकी और ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो।
- > पंचायतों और नगर निकायों में काम कर चुकी महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएँ।

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण

सशक्त महिलाएँ | सशक्त लोकतंत्र | समावेशी भारत

चुनावी उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी

39,789 उम्मीदवारों में
4,073 महिलाएँ
लगभग **10.2%**

कानूनी प्रावधान : ऐतिहासिक कदम

106वाँ संविधान संशोधन, 2023

- अनुच्छेद 330A** (लोकसभा)
- अनुच्छेद 332A** (राज्य विधानसभाएँ)
- अनुच्छेद 334A** (क्रियान्वयन)

अधिक महिलाएँ
अधिक भागीदारी
मजबूत लोकतंत्र

आरक्षण का प्रभाव:
जनगणना आँकड़े + परिसीमन के बाद

टिकट वितरण और सीट आरक्षण अलग व्यवस्थाएँ हैं।

राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग

RAINBOW IAS
Empowering every aspirant for success

1.4.6. आगे की राह

महिलाओं को राजनीति में प्रवेश से लेकर नेतृत्व तक लगातार अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए कानून, दलों की कार्यप्रणाली और सामाजिक सहयोग में एक साथ सुधार आवश्यक है।

1.4.7. प्रिलिम्स के लिए महत्त्वपूर्ण

- > **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023:** महिला आरक्षण से संबंधित।
- > **अनुच्छेद 330A:** लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण।
- > **अनुच्छेद 332A:** राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।
- > **अनुच्छेद 334A:** आरक्षण के प्रभावी होने तथा संबंधित व्यवस्थाओं से जुड़ा।
- > दिल्ली विधानसभा के लिए **अनुच्छेद 239AA** में बदलाव किया गया।
- > इस संशोधन की व्यवस्था राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होती।

1.5. राज्य वित्त आयोग और स्थानीय निकायों की वित्तीय मजबूती

1.5.1. चर्चा में क्यों?

8 जून 2026 को राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक आँकड़ों पर गठित समिति की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में पंचायत स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी, समान लेखांकन व्यवस्था और राज्य वित्त आयोगों के बेहतर कामकाज पर जोर दिया गया।

1.5.2. पृष्ठभूमि और कारण

किसी गाँव में पानी की व्यवस्था, नाली की सफाई या सड़क की मरम्मत के लिए पंचायत को धन और कर्मचारी चाहिए। पंचायत को जिम्मेदारी देने के साथ खर्च करने की क्षमता भी मिलनी चाहिए।

राज्य वित्त आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के बँटवारे पर सिफारिश करता है। इसके लिए उसे यह जानना आवश्यक है कि किस पंचायत की कितनी आय है, कितनी आबादी है और कौन-सी सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

यदि आँकड़े पुराने, अधूरे या अलग-अलग प्रारूप में हों, तो आवश्यकताओं का सही आकलन कठिन हो जाता है। आयोगों के गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी भी वित्तीय विकेंद्रीकरण को प्रभावित करती है।

1.5.3. रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- > **पंचायत स्तर का वित्तीय डेटाबेस:** आय, खर्च और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी व्यवस्थित की जाए।
- > **व्यापक आँकड़ों का उपयोग:** वित्तीय जानकारी के साथ जनसंख्या, बुनियादी सुविधाओं और सेवा वितरण की स्थिति देखी जाए।
- > **समान लेखांकन और रिपोर्टिंग:** अलग-अलग स्थानीय निकायों के आँकड़ों की तुलना संभव हो।
- > **स्थायी सहायता व्यवस्था:** राज्यों में राज्य वित्त आयोगों की सहायता के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाए जाएँ।
- > **विकेंद्रीकरण की समीक्षा:** पंचायतों को वास्तव में कितने कार्य, वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक संसाधन मिले हैं, इसकी जाँच मजबूत की जाए।

1.5.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

विश्वसनीय आँकड़ों से अधिक जरूरत वाले स्थानीय निकायों को पहचानना आसान होगा। अनुदान का वितरण अधिक न्यायसंगत हो सकता है और खर्च की निगरानी बेहतर होगी।

इसके लिए स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। गलत आँकड़ों को डिजिटल रूप में दर्ज कर देने से निर्णय बेहतर नहीं होंगे। डेटा की जाँच और नियमित अद्यतन की व्यवस्था भी चाहिए।

1.5.5. समाधान

- > राज्य वित्त आयोगों का गठन समय पर किया जाए।
- > उनकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हो।
- > पंचायतों की आय और खर्च के खाते नियमित रूप से तैयार और जाँचे जाएँ।
- > राज्य कानूनों के अनुसार स्थानीय कर, शुल्क और अन्य अपने राजस्व के स्रोत विकसित किए जाएँ।
- > ग्राम सभा के सामने बजट और खर्च सरल भाषा में रखा जाए।

1.5.6. आगे की राह

स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए **कार्य, धन और कर्मचारी** एक-दूसरे के अनुरूप मिलने चाहिए। राज्य वित्त आयोग इस व्यवस्था को जरूरत और प्रमाण के आधार पर आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

1.5.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **अनुच्छेद 243-I:** राज्य वित्त आयोग।
- > राज्य वित्त आयोग का गठन **राज्यपाल** करते हैं।
- > संविधान में प्रत्येक **पाँचवें वर्ष** आयोग के गठन की व्यवस्था है।
- > **अनुच्छेद 243Y:** नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा से संबंधित।
- > **अनुच्छेद 280:** केंद्रीय वित्त आयोग; इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं।
- > **अनुच्छेद 243H:** पंचायतों के कर, शुल्क और निधियों से संबंधित प्रावधान।

1.6. तुंगभद्रा जल-विवाद और सहकारी संघवाद

1.6.1. चर्चा में क्यों?

जून 2026 के अंतिम सप्ताह में तुंगभद्रा नदी के जल-बँटवारे से जुड़े प्रश्नों को सुलझाने के लिए उच्चस्तरीय समिति की पहल चर्चा में रही। इसका संबंध कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल उपलब्धता तथा परियोजनाओं को लेकर उठे मुद्दों से था।

1.6.2. पृष्ठभूमि और कारण

नदी का बहाव कई राज्यों से जुड़ा होता है। ऊपरी क्षेत्र में पानी का भंडारण या उपयोग बढ़ने से निचले क्षेत्र की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसलिए अंतरराज्यीय नदी प्रबंधन में राज्यों के बीच लगातार सहयोग आवश्यक है।

तुंगभद्रा से जुड़े विवादों में ऊपरी क्षेत्र की परियोजनाएँ और निचले क्षेत्रों की सिंचाई आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं। अपर भद्रा परियोजना तथा राजोलिबंडा डायवर्जन योजना से जुड़े प्रश्न भी चर्चा का हिस्सा रहे।

वर्षा में उतार-चढ़ाव, नहरों की खराब स्थिति, गाद जमा होने और जल उपलब्धता के आँकड़ों पर असहमति से समस्या बढ़ सकती है।

1.6.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > **संवाद के माध्यम से समाधान:** संबंधित राज्यों और केंद्र के बीच तकनीकी तथा प्रशासनिक स्तर पर बातचीत महत्वपूर्ण है।
- > **साझा तथ्य आवश्यक:** वास्तविक बहाव, भंडारण, उपयोग और पानी के नुकसान पर सहमत आँकड़े होने चाहिए।
- > **कानूनी व्यवस्था:** अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदी जल-विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।
- > **न्यायाधिकरण का प्रावधान:** अंतरराज्यीय नदी जल-विवाद अधिनियम, 1956 में विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था है।
- > **पूरे नदी क्षेत्र का दृष्टिकोण:** जल उपयोग का आकलन नदी के ऊपरी और निचले क्षेत्रों की संयुक्त जरूरतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

1.6.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

पानी के बँटवारे में अनिश्चितता से किसानों की बुआई, फसल चयन और आय प्रभावित हो सकती है। पेयजल तथा दूसरे उपयोगों पर भी दबाव पड़ता है।

राजनीतिक बयानबाजी से समझौता कठिन हो सकता है। सामान्य वर्ष में स्वीकार्य व्यवस्था कम वर्षा वाले वर्ष में विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए सूखे की स्थिति में उपलब्ध पानी साझा करने के नियम पहले से तय होना जरूरी है।

1.6.5. समाधान

- > नदी के बहाव और जलाशयों के आँकड़े नियमित रूप से साझा किए जाएँ।
- > कम वर्षा वाले वर्षों के लिए पहले से सहमत जल-वितरण व्यवस्था बने।
- > नहरों की मरम्मत और जल वितरण में होने वाले नुकसान को कम किया जाए।
- > स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कम पानी वाली फसलों और कुशल सिंचाई को बढ़ावा मिले।
- > सहमति के पालन की संयुक्त निगरानी हो।

1.6.6. आगे की राह

सहकारी संघवाद तब प्रभावी होगा जब राज्य अपनी जरूरतों के साथ दूसरे राज्यों की निर्भरता को भी समझेंगे। भरोसेमंद आँकड़े, नियमित बातचीत और पालन की स्पष्ट व्यवस्था टिकाऊ समाधान की बुनियाद हैं।

1.6.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > तुंगभद्रा **कृष्णा नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी** है।
- > इसका निर्माण **तुंगा और भद्रा** नदियों के संगम से होता है।
- > तुंगभद्रा बाँध कर्नाटक में है।
- > **अनुच्छेद 262:** अंतरराज्यीय नदी जल-विवाद।
- > **राज्य सूची की प्रविष्टि 17:** जल से संबंधित विषय; यह संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है।
- > **संघ सूची की प्रविष्टि 56:** अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन तथा विकास।



1.7. FCRA नियमों में बदलाव और नागरिक संगठनों की भूमिका

1.7.1. चर्चा में क्यों?

22 जून 2026 को विदेशी अभिदाय विनियमन नियमों में संशोधन किया गया। इसके बाद 30 जून को FCRA 2.0 पोर्टल शुरू हुआ। इन बदलावों से विदेशी चंदे के उपयोग, संगठनों की जवाबदेही और आवेदन प्रक्रिया पर चर्चा हुई।

1.7.2. पृष्ठभूमि और कारण

कई गैर-सरकारी संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से कुछ को विदेश से धन प्राप्त होता है।

विदेशी चंदे की निगरानी इसलिए आवश्यक है कि धन का उपयोग घोषित उद्देश्य और कानून के अनुसार हो। इसके साथ यह भी जरूरी है कि सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों के लिए नियम समझने और उनका पालन करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो।

जटिल आवेदन, बार-बार दस्तावेज माँगे जाने और अनिश्चित निर्णय प्रक्रिया से छोटे संगठनों की लागत बढ़ सकती है।

1.7.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > **कार्य का स्पष्ट उद्देश्य:** संगठनों की गतिविधियों को धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों से जोड़ा गया है।
- > **कार्यक्षेत्र की जानकारी:** उद्देश्य और जिन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में काम करना है, उनसे जुड़ी जानकारी का महत्व बढ़ा है।
- > **प्रमुख पदाधिकारियों की जवाबदेही:** संगठन के संचालन और निर्णयों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है।

- > **अधिक प्रकटीकरण:** आवेदन और रिपोर्टिंग में सोशल मीडिया तथा गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त विवरण शामिल किए गए हैं।
- > **पूर्व-अनुमति वाले मामलों की प्रक्रिया:** किस्तों में चंदा प्राप्त करने वाले निर्धारित मामलों में अगली किस्त के लिए नया आवेदन प्रारूप जोड़ा गया। पिछली किस्त के 75% उपयोग और उसकी जाँच की शर्त को सभी NGOs पर लागू नया सामान्य नियम नहीं माना जाना चाहिए।
- > **डिजिटल पोर्टल:** FCRA 2.0 में कागजी दस्तावेजों की जरूरत कम करने, आवेदन प्रक्रिया सुधारने और निगरानी मजबूत करने पर जोर है।

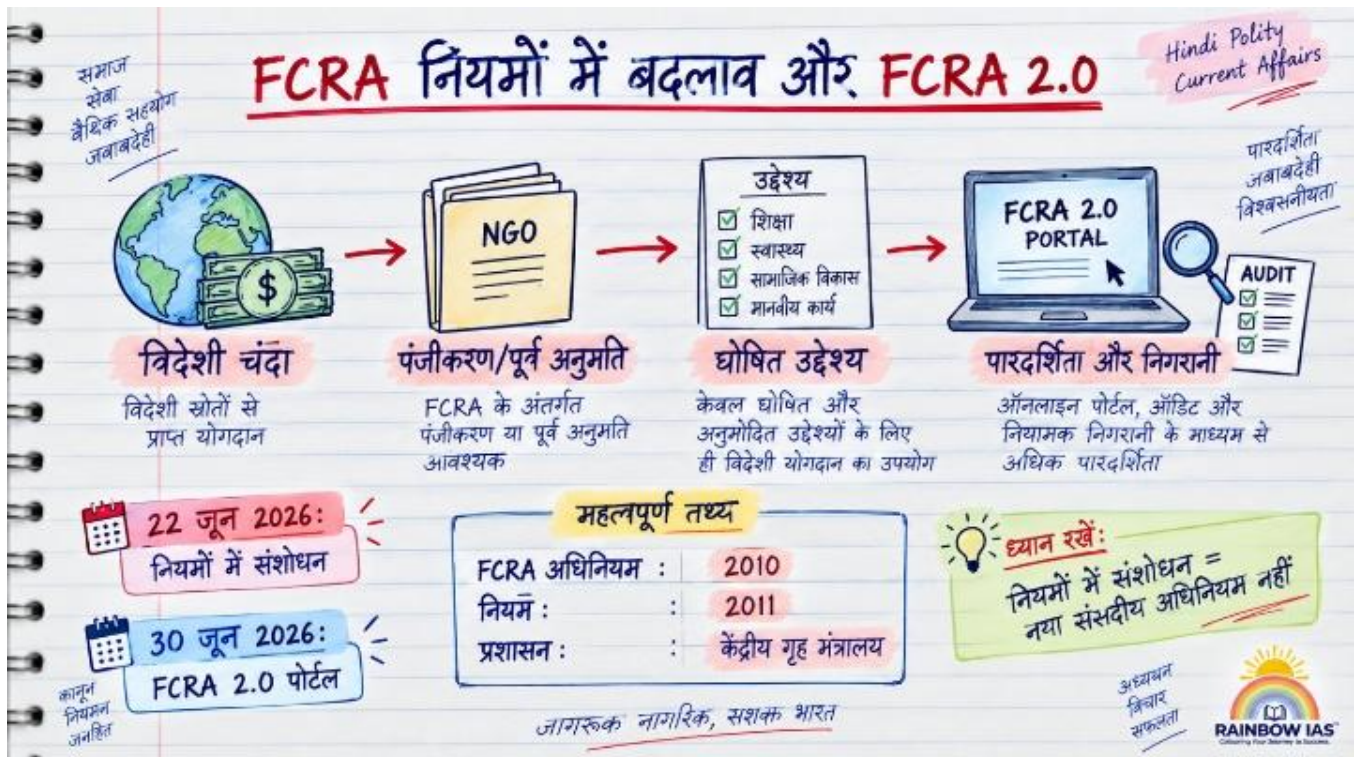
1.7.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

सरकार को विदेशी चंदे के स्रोत, उपयोग और संबंधित संगठनों की गतिविधियों की अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। डिजिटल व्यवस्था से आवेदन की स्थिति समझना और दस्तावेजों का प्रबंधन आसान हो सकता है।

हालाँकि अधिक विवरण माँगे जाने से छोटे संगठनों पर अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है। अस्पष्ट नियमों या लंबी देरी का असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जिन्हें संगठन से सहायता मिलती है।

1.7.5. समाधान

- > नियमों की सरल भाषा में मार्गदर्शिका और उदाहरण उपलब्ध हों।
- > आवेदन, नवीनीकरण और स्पष्टीकरण के लिए स्पष्ट समयसीमा हो।
- > छोटी प्रक्रियागत त्रुटियों और गंभीर दुरुपयोग के बीच अंतर किया जाए।
- > प्रतिकूल निर्णय में कारण बताए जाएँ और उत्तर देने का उचित अवसर मिले।
- > छोटे संगठनों के लिए प्रशिक्षण तथा सहायता केंद्र उपलब्ध हों।



1.7.6. आगे की राह

प्रभावी नियमन में धन का सही उपयोग और संगठनों के वैध कार्यों की निरंतरता, दोनों का ध्यान रखना होगा। स्पष्ट नियम और निष्पक्ष प्रक्रिया से सरकार तथा नागरिक संगठनों के बीच भरोसा बढ़ सकता है।

1.7.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **FCRA:** Foreign Contribution (Regulation) Act।
- > वर्तमान प्रमुख अधिनियम **2010** का है; मूल नियम **2011** के हैं।
- > इसका प्रशासन **केंद्रीय गृह मंत्रालय** करता है।
- > विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार **पंजीकरण या पूर्व-अनुमति** की व्यवस्था है।
- > **FCRA 2.0 एक पोर्टल है।**
- > जून 2026 के बदलाव नियमों में संशोधन से संबंधित थे; इन्हें नया संसदीय अधिनियम नहीं लिखना चाहिए।

1.8. DISHA 2.0 और सभी के लिए न्याय तक पहुँच

1.8.1. चर्चा में क्यों?

22 जून 2026 को DISHA योजना को पुनर्गठित रूप में पाँच वर्ष जारी रखने की मंजूरी मिली। DISHA 2.0 के लिए 2026-27 से 2030-31 तक ₹255 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया। इसमें कानूनी सहायता, जागरूकता और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान है।

1.8.2. पृष्ठभूमि और कारण

किसी व्यक्ति की मजदूरी रोक दी जाए, पेंशन बंद हो जाए या जमीन पर विवाद हो, तो पहला प्रश्न अक्सर यही होता है कि सहायता के लिए कहाँ जाए।

कानून की जानकारी न होना, वकील का खर्च, भाषा की कठिनाई और संबंधित कार्यालय तक पहुँच की समस्या न्याय प्राप्त करने में बाधा बन सकती है। गरीब और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका अधिक असर पड़ता है।

न्याय तक पहुँच में समय पर कानूनी सलाह, सही संस्था तक पहुँचना और जरूरत पड़ने पर मुकदमे में सहायता मिलना शामिल है।

1.8.3. प्रमुख विशेषताएँ

घटक	सरल अर्थ
Tele-Law	मुकदमा शुरू होने से पहले कानूनी सलाह उपलब्ध कराना।
Nyaya Bandhu	पात्र व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व देना।
कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता	लोगों को अधिकारों, कानून और उपलब्ध सहायता के बारे में समझाना।
VIDHI-Sanjeevani	कार्यक्रमों की निगरानी और समन्वय के लिए डिजिटल व्यवस्था; इसमें बहुभाषी Nyaya Setu चैटबॉट का समावेश है।

यह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके क्रियान्वयन में न्याय विभाग की प्रमुख भूमिका है।

1.8.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

समय पर सलाह मिलने से व्यक्ति गलत कार्यालयों के चक्कर लगाने से बच सकता है। कुछ विवाद शुरूआती स्तर पर ही सुलझ सकते हैं और अनावश्यक खर्च कम हो सकता है।

डिजिटल सुविधा की उपयोगिता इंटरनेट, भाषा और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। जटिल मामले में व्यक्ति को प्रशिक्षित अधिवक्ता की सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी। सहायता की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता भी देखनी होगी।

DISHA 2.0 और सभी के लिए न्याय तक पहुँच

कानून सबके लिए न्याय सबके लिए

सशक्त नागरिक न्यायपूर्ण भारत

कानून सभी के लिए

कानून आपके साथ हम आगे के साथ

अधिकार सहायता

विधिक सहायता (LEGAL AID)

साक्षरता सहायता न्याय

2026-27 से 2030-31 | ₹255 करोड़

सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

Tele-Law
मुकदमे से पहले कानूनी सलाह

Nyaya Bandhu
निःशुल्क अधिवक्ता सहायता

कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता

VIDHI-Sanjeevani
डिजिटल निगरानी/समन्वय; Nyaya Setu चैटबॉट

अनुच्छेद 39A — समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

केंद्रीय क्षेत्र की योजना | न्याय विभाग

RAINBOW IAS

1.8.5. समाधान

- > कानूनी सलाह स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो।
- > सहायता केंद्रों पर प्रशिक्षित व्यक्ति डिजिटल प्रक्रिया में मदद करें।
- > बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था बने।
- > सलाह मिलने के बाद मामले की प्रगति और समस्या के समाधान का पता लगाया जाए।
- > डिजिटल कानूनी जानकारी की शुद्धता और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

1.8.6. आगे की राह

योजना की सफलता इस बात से आँकी जानी चाहिए कि सहायता लेने वाले व्यक्ति की समस्या कितनी दूर हुई। डिजिटल सेवाओं के साथ भरोसेमंद मानवीय सहायता उपलब्ध होने से न्याय तक पहुँच अधिक प्रभावी बनेगी।

1.8.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **DISHA:** Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice।
- > संबंधित विभाग: **न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।**
- > योजना का प्रकार: **केंद्रीय क्षेत्र की योजना।**
- > DISHA 2.0 की अवधि: **2026-27 से 2030-31।**
- > **अनुच्छेद 39A:** समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता; यह नीति निदेशक तत्त्व है।
- > अनुच्छेद 39A को **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** से जोड़ा गया।

1.9. UAPA में जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

1.9.1. चर्चा में क्यों?

10 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने खुरम परवेज को एक UAPA मामले में जमानत दी। अदालत ने लगभग साढ़े चार वर्ष की हिरासत, मुकदमे की धीमी प्रगति और उनकी दिव्यांगता पर विचार किया।

यह राहत एक विशेष मामले में थी। दूसरे मामले में हिरासत के कारण उस समय उनकी तत्काल रिहाई नहीं हुई।

1.9.2. पृष्ठभूमि और कारण

आतंकवाद से जुड़े मामलों में जाँच जटिल हो सकती है। इनमें कई व्यक्तियों, स्थानों, वित्तीय लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की जाँच करनी पड़ सकती है। इसी कारण विशेष कानूनों में कठोर प्रावधान रखे गए हैं।

लेकिन यदि मुकदमे की सुनवाई बहुत लंबे समय तक पूरी न हो, तो विचाराधीन व्यक्ति को अंतिम निर्णय से पहले ही वर्षों तक जेल में रहना पड़ सकता है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई का प्रश्न उठता है।

अदालत को आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध सामग्री, हिरासत की अवधि और सुनवाई पूरी होने की संभावना को साथ देखकर निर्णय करना होता है।

1.9.3. प्रमुख कानूनी बातें

- > **UAPA की धारा 43D(5):** अधिनियम के अध्याय IV और VI से संबंधित मामलों में जमानत पर विशेष प्रतिबंध लगाती है।
- > यदि न्यायालय को उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप प्रथमदृष्टया सही मानने के उचित आधार मिलते हैं, तो यह प्रतिबंध लागू होता है।

समसामयिकी (Current Affairs)

UAPA में जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

जून 2026 | करेंट अफेयर्स

UAPA क्या है ?

- UAPA (Unlawful Activities Prevention Act), 1967
- उद्देश्य : राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए अवैध गतिविधियों पर रोक।
- आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों की रोकथाम और कठोर प्रावधान।

संतुलित दृष्टिकोण ही लोकतंत्र की शक्ति है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की मूल आधारशिला है।

UAPA में जमानत का कानूनी प्रावधान

UAPA 1967

→

धारा 43D(5)

→

प्रथमदृष्ट्या आकलन

कठोर कानून, विशेष प्रावधान

जमानत पर कठोर प्रतिबंध (bail restrictions) – यदि न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या (prima facie) आरोप सही प्रतीत हो।

न्यायालय यह देखता है कि आरोप प्रथमदृष्ट्या सही हैं या नहीं; विस्तृत विचारेण ट्रायल के दौरान होता है।

व्यवहारिक चुनौतियाँ

- लंबी हिरासत : ट्रायल में समय लगना, जिससे वर्षों तक हिरासत में रहना पड़ सकता है।
- धीमी सुनवाई : विशेष अदालतों में मामलों का निपटान अपेक्षाकृत धीमा।
- आरोप तय होने में समय : कई मामलों में चार्जशीट और आरोप तय होने में लंबा समय लगता है।

जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

- UAPA में जमानत सामान्य आपराधिक कानून की तुलना में अधिक कठिन है।
- न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्ट्या आकलन महत्वपूर्ण है।
- जमानत पर निर्णय मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होता है।
- **जमानत ≠ दोषमुक्ति/दोषसिद्धि**
- जमानत का अर्थ केवल यह है कि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान अस्थायी रूप से स्वतंत्र रखा जाए, यह न तो दोषसिद्धि है न ही दोषमुक्ति।

आगे की राह

- राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक।
- प्रभावी, निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच व सुनवाई।
- विशेष अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ाना।
- गलत मामलों को रोकने के लिए मजबूत प्रक्रिया-संरक्षण (procedural safeguards)।
- आतंकवाद से कठोरता से निपटना, परंतु संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी सुनिश्चित करना।

मुख्य takeaway :

“प्रभावी जाँच और समयबद्ध निष्पक्ष सुनवाई”

— यही न्याय और सुरक्षा दोनों की कसौटी है।

RAINBOW IAS

- > **प्रथमदृष्ट्या आकलन** शुरुआती न्यायिक आकलन है; अंतिम दोषसिद्धि मुकदमे में साक्ष्यों की जाँच के बाद होती है।
- > अनुच्छेद 21 से संबंधित प्रश्नों में लंबी हिरासत और सुनवाई की स्थिति का महत्व है।
- > जमानत मिलना आरोपों से बरी होना नहीं है। अदालत उपयुक्त शर्तों के साथ जमानत दे सकती है।

1.9.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

यह निर्णय न्याय व्यवस्था में समय पर सुनवाई के महत्व को सामने लाता है। अत्यधिक देरी का असर अभियुक्त के साथ उसके परिवार, रोजगार और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।

दूसरी ओर, गवाहों की सुरक्षा, साक्ष्य से छेड़छाड़ और फरार होने की संभावना जैसे विषयों की जाँच आवश्यक है। लंबी हिरासत के आधार पर हर मामले में स्वतः जमानत मिलने का निष्कर्ष उचित नहीं होगा।

1.9.5. समाधान

- > जाँच, दस्तावेज उपलब्ध कराने और गवाहों की पेशी में अनावश्यक देरी कम की जाए।
- > विशेष अदालतों में पर्याप्त न्यायाधीश और कर्मचारी हों।
- > लंबे समय से लंबित मामलों की नियमित न्यायिक समीक्षा हो।
- > गवाहों की सुरक्षा तथा अभियुक्त को प्रभावी कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाए।
- > दिव्यांग और गंभीर बीमारी वाले बंदियों की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा जाए।

1.9.6. आगे की राह

राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दोनों की रक्षा प्रभावी जाँच तथा निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई से मजबूत होती है। न्याय प्रक्रिया इतनी सक्षम होनी चाहिए कि गंभीर आरोपों पर उचित समय में निर्णय हो सके।

1.9.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **UAPA:** Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967।
- > **धारा 43D(5):** निर्दिष्ट मामलों में जमानत पर विशेष प्रतिबंध।
- > **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।
- > विचाराधीन बंदी के मामले में मुकदमे का अंतिम निर्णय शेष होता है।
- > **जमानत, दोषमुक्ति और दोषसिद्धि** अलग-अलग कानूनी अवस्थाएँ हैं।
- > जमानत के शुरुआती आकलन को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाता।

1.10. सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार

1.10.1. चर्चा में क्यों?

19 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और स्पष्ट रूप से निर्धारित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा।

यह निर्णय *मणियार इलियाज बनाम पी. अय्यप्पन* मामले में आया। मामला स्कूल जाते समय सड़क दुर्घटना में एक पाँच वर्षीय बच्चे की मृत्यु से संबंधित था। घटनास्थल पर फुटपाथ और पैदल पारपथ का अभाव था।

1.10.2. पृष्ठभूमि और कारण

सड़क का उपयोग पैदल चलने वाले लोग, वाहन चालक, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति, सभी करते हैं। सड़क निर्माण में इनकी अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

कई जगह फुटपाथ टूटे होते हैं, अचानक समाप्त हो जाते हैं या उन पर वाहन खड़े रहते हैं। लोगों को मजबूरी में चलती गाड़ियों के बीच सड़क पर उतरना पड़ता है।

यह समस्या सुरक्षा के साथ समानता से भी जुड़ी है। जिन लोगों के पास निजी वाहन नहीं हैं, उनके लिए पैदल चलने का सुरक्षित स्थान रोजमर्रा की आवश्यकता है।

1.10.3. निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ

- > **मौलिक अधिकारों से संबंध:** अदालत ने सुरक्षित पैदल आवागमन को मुख्य रूप से अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 से जोड़ा।
- > **स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी:** नगर निगम, नगरपालिकाएँ, विकास प्राधिकरण और संबंधित पंचायतें पैदल यात्रियों की सुविधाओं के निर्माण तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।
- > **अधिकार के साथ उपचार:** अधिकार के उल्लंघन पर संवैधानिक और कानूनी उपचार का महत्व स्वीकार किया गया।
- > **कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता:** अदालत ने अधिकार, जिम्मेदार संस्थाओं और उपचार को स्पष्ट करने वाले विधायी ढाँचे पर विचार करने को कहा। इसे नया कानून पारित हो जाने के रूप में नहीं समझना चाहिए।

1.10.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

निर्णय शहरी नियोजन में पैदल यात्रियों की जरूरतों को महत्व देता है। सुरक्षित फुटपाथ से बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

इसके क्रियान्वयन में सीमित स्थान, रखरखाव की कमी और विभागों के बीच बँटी जिम्मेदारियाँ चुनौती हैं। फुटपाथ बनाने के बाद उसे लगातार सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।

1.10.5. समाधान

- > स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टॉप के आसपास पैदल सुरक्षा को प्राथमिकता मिले।
- > लगातार चलने योग्य फुटपाथ, सुरक्षित सड़क पारपथ, रैंप और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो।
- > फुटपाथ पर अवैध पार्किंग और निर्माण सामग्री रखने पर नियमित कार्रवाई हो।
- > रेहड़ी-पटरी वालों के लिए योजनाबद्ध विक्रय स्थान तय किए जाएँ।
- > खराब फुटपाथ की शिकायत दर्ज करने और समय पर मरम्मत की व्यवस्था बने।
- > सड़क निर्माण की गुणवत्ता जाँच में पैदल यात्रियों की सुविधा शामिल की जाए।

1.10.6. आगे की राह

सड़क की उपयोगिता का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि बच्चा, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति उस पर कितनी सुरक्षित आवाजाही कर सकता है। स्थानीय निकायों के बजट, निर्माण और रखरखाव में इस दृष्टिकोण को नियमित स्थान देना होगा।

1.10.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **अनुच्छेद 19(1)(d):** भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार।
- > अनुच्छेद 19 के अधिकार **नागरिकों** को प्राप्त हैं।
- > **अनुच्छेद 21** का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है।
- > मौलिक अधिकार संविधान के **भाग III** में हैं।
- > सुरक्षित फुटपाथ संबंधी निर्णय मौलिक अधिकारों की **न्यायिक व्याख्या** का उदाहरण है।
- > न्यायालय द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता बताना और विधायिका द्वारा कानून पारित करना अलग प्रक्रियाएँ हैं।

सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 19(1)(d) + अनुच्छेद 21

देश के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (गरिमापूर्ण जीवन)

चलने का अधिकार

सभी के लिए सड़कें

सुरक्षित शहर सरासरी नागरिक

सुरक्षित फुटपाथ, समावेशी समाज, मजबूत लोकतंत्र

स्वच्छ फुटपाथ सुरक्षित नागरिक

अवैध पार्किंग पर कार्रवाई

नगर निगम

शहरों में फुटपाथ का निर्माण, रखरखाव और अतिक्रमण हटाना।

नगरपालिका / विकास प्राधिकरण

करवों और विकास क्षेत्रों में योजनाबद्ध और सुरक्षित फुटपाथ।

पंचायत / स्थानीय निकाय

ग्राम क्षेत्रों में पैदल मार्गों का विकास और रखरखाव।

एक सुरक्षित फुटपाथ की पहचान

लगातार फुटपाथ बिना रुकावट, सबके लिए

रैंप

कोलचेयर, बुजुर्गों और सभी के लिए सुलभ

सुरक्षित क्रॉसिंग

जोड़ा क्रॉसिंग, सिग्नल और टेक्टाइल पाथ

प्रकाश

रात में भी सुरक्षित आवागमन

अवैध पार्किंग पर कार्रवाई

फुटपाथ को वाहनों से मुक्त रखना

सुरक्षित पैदल आवागमन: न्यायिक व्याख्या से जुड़ा अधिकार



RAINBOW IAS

Creating the Future, Shaping the Leaders

सपने बड़े हैं
तो तैयारी भी
बड़ी होगी...



DISCIPLINE
DIRECTION
DEDICATION
A BRIGHTER TOMORROW

Better
Aspirants
Brighter
India

CIVIL
SERVICES
BUILDS A
BETTER
INDIA

GOOD
STUDY
GOOD
SOCIETY
BRIGHTER
INDIA

✓ Same
Syllabus
✓ Same Spirit
✓ Stronger
You!

UPPCS

प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज़ 2026

Parcham



Your
Success
Our Mission

Admissions Open | Online + Offline

सही तैयारी | सही दिशा | सफलता की ओर एक और कदम



78 Tests

पूरी तैयारी,
पूरी कवरेज



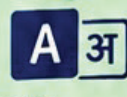
**~6500-7000
Questions**

अध्याय ही
सफलता की कुंजी



**1-to-1
Mentorship**

आपकी तैयारी
हमारी जिम्मेदारी



**Bilingual
Papers**

हिंदी + English
दोनों माध्यम में



**Offline Fee:
₹5,000**



**Online Fee:
₹1,999**



**Exam-Oriented
Content**



**Quality
Analysis**



**Detailed
Performance Report**



**Expert Faculty
Support**



**Flexible Learning
(Online + Offline)**

Study
Plan
Practice
Progress
Repeat...

Indian Polity
Economy
UP Special
Current Affairs
Environment
General Science
CSAT & Reasoning



A
Brighter
You
A Brighter
India

DISCIPLINE
CREATES RESULTS

UPPCS
2026
Parcham



Rainbow IAS | Mukherjee Nagar, Delhi
Same Place. Brighter Futures.



Query: 9217432851 | 8796494851

उत्तर प्रदेश
से बेहतर
उत्तर प्रदेश

KNOWLEDGE | DISCIPLINE | OPPORTUNITY | A BRIGHTER INDIA

Let's Build
a Better India

सेवा
सुशासन
समृद्ध भारत

2. पर्यावरण और पारिस्थितिकी

2.1. सुरहा ताल बना भारत का 100वाँ रामसर स्थल

2.1.1. चर्चा में क्यों?

5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित **जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहा ताल)** को भारत का 100वाँ रामसर स्थल घोषित किया गया। यह खबर विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सामने आई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

2.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

सुरहा ताल बलिया का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आर्द्र क्षेत्र है। यहाँ स्थानीय पक्षियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आर्द्रभूमियाँ केवल पक्षियों का आवास नहीं होतीं, बल्कि वे बाढ़ के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने, प्रदूषकों को छानने और स्थानीय आजीविका में मदद करती हैं।

रामसर सूची में शामिल होने के लिए किसी आर्द्रभूमि में अंतरराष्ट्रीय महत्व की पारिस्थितिक विशेषताएँ होनी चाहिए। इसमें पक्षी विविधता, जल-चक्र, विशिष्ट वनस्पति और संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति जैसे आधार देखे जाते हैं।

2.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > स्थल का नाम: जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुरहा ताल
- > स्थान: बलिया, उत्तर प्रदेश
- > जून 2026 की घटना के समय भारत का 100वाँ रामसर स्थल
- > प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण

- > रामसर दर्जा संरक्षण और **wise use** यानी विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित है
- > इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ हर प्रकार की मानवीय गतिविधि पूरी तरह बंद हो जाती है

2.1.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

रामसर दर्जे से सुरहा ताल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इससे वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण बजट और नियंत्रित पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है।

लेकिन अतिक्रमण, गंदे पानी का प्रवेश, जलकुंभी जैसी आक्रामक प्रजातियाँ, जल-स्तर में बदलाव, प्लास्टिक और अत्यधिक मछली पकड़ना बड़ी चुनौतियाँ हैं। यदि स्थानीय समुदायों को संरक्षण से अलग रखा गया तो व्यवस्था लंबे समय तक सफल नहीं होगी।

2.1.5. समाधान

- > आर्द्रभूमि की सीमा का वैज्ञानिक सीमांकन
- > सीवेज और ठोस कचरे का प्रवेश रोकना
- > प्राकृतिक जल-आवक और जल-निकासी व्यवस्था बनाए रखना
- > स्थानीय मछुआरों और किसानों की भागीदारी
- > पक्षी गणना और जैव-विविधता की नियमित निगरानी
- > नियंत्रित पर्यटन और प्लास्टिक-मुक्त क्षेत्र

2.1.6. आगे की राह

सुरहा ताल के लिए अलग प्रबंधन योजना बननी चाहिए। जिला प्रशासन, वन विभाग, स्थानीय पंचायतों, विश्वविद्यालयों और समुदायों को मिलकर इसके जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। केवल सूची में शामिल करना पर्याप्त नहीं है; वास्तविक सफलता ताल के स्वास्थ्य और पक्षी आबादी में दिखाई देनी चाहिए।



2.1.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > सुरहा ताल – बलिया, उत्तर प्रदेश
- > जून 2026 में भारत का 100वाँ रामसर स्थल
- > रामसर कन्वेंशन – 1971, ईरान के रामसर शहर में
- > भारत रामसर कन्वेंशन का पक्षकार – 1982
- > विश्व आर्द्रभूमि दिवस – 2 फरवरी
- > रामसर स्थल का मूल सिद्धांत – आर्द्रभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग

2.2. भारत में 483 नई प्रजातियों की पहचान

2.2.1. चर्चा में क्यों?

30 जून 2026 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने **Animal Discoveries-2025, Plant Discoveries-2025** और **Fauna of India Checklist Version 3.0** जारी की। इसी अवसर पर Animal Taxonomy Summit 2026 का भी उद्घाटन हुआ।

2.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

किसी भी देश की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वहाँ कितनी और कौन-कौन सी प्रजातियाँ मौजूद हैं। वैज्ञानिक पहचान, नामकरण और वर्गीकरण को **वर्गिकी या Taxonomy** कहा जाता है।

कई बार कोई प्रजाति विज्ञान के लिए बिल्कुल नई होती है, जबकि कुछ प्रजातियाँ पहले से दुनिया में ज्ञात होती हैं लेकिन भारत में पहली बार दर्ज की जाती हैं। दोनों स्थितियों को अलग-अलग समझना जरूरी है।

2.2.3. प्रमुख विशेषताएँ

Animal Discoveries-2025 के अनुसार भारत में—

- > 483 प्रजातियाँ विज्ञान के लिए नई पाई गईं
- > 226 प्रजातियाँ भारत में पहली बार दर्ज की गईं

- > कुल 709 नए फॉना रिकॉर्ड जोड़े गए
- > भारत की दर्ज की गई जीव-जंतु विविधता 1,05,953 प्रजातियों तक पहुँची
- > केरल में सबसे अधिक 98 नई प्रजातियाँ दर्ज की गईं
- > Fauna of India Checklist Version 3.0 में 185 से अधिक विशेषज्ञों का योगदान रहा
- > ZSI और NCSCM ने मिलकर **PaleoIndia Portal** शुरू किया
- > इस पोर्टल पर 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 5,000 से अधिक जीवाश्म नमूनों की जानकारी है

2.2.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

नई प्रजातियों की पहचान से भारत की जैव-विविधता का वास्तविक आधार मजबूत होगा। इससे संरक्षित क्षेत्र तय करने, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाने और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में सहायता मिलेगी।

लेकिन किसी प्रजाति की खोज के बाद उसका आवास तेजी से नष्ट हो जाए तो केवल वैज्ञानिक रिकॉर्ड उसका संरक्षण नहीं कर सकता। भारत में प्रशिक्षित टैक्सोनॉमिस्टों की कमी, पुराने संग्रहालयों का डिजिटलीकरण, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों की कमी और वित्तीय संसाधनों की समस्या बनी हुई है।

2.2.5. समाधान

- > विश्वविद्यालयों में Taxonomy को प्रोत्साहन
- > DNA बारकोडिंग और eDNA जैसी तकनीकों का प्रयोग
- > स्थानीय समुदायों और नागरिक वैज्ञानिकों की भागीदारी
- > जैव-विविधता रजिस्ट्रों को अद्यतन करना
- > नई प्रजातियों के आवासों को संरक्षण प्राथमिकता देना
- > ZSI, BSI, GSI और राज्य जैव-विविधता बोर्डों के बीच समन्वय



2.2.6. आगे की राह

भारत को केवल “नई प्रजातियों की खोज” पर ध्यान देने के बजाय उनके आवास, आनुवंशिक विविधता और संरक्षण स्थिति का भी दस्तावेजीकरण करना चाहिए। नई खोज तभी उपयोगी है जब वह संरक्षण नीति और स्थानीय स्तर की कार्रवाई में बदल सके।

2.2.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > ZSI की स्थापना – 1916
- > ZSI का मुख्यालय – कोलकाता
- > ZSI – प्राणी सर्वेक्षण और Faunal Taxonomy
- > BSI – वनस्पति सर्वेक्षण
- > “New to science” और “first record in India” अलग-अलग अवधारणाएँ हैं
- > 709 रिकॉर्ड का अर्थ 709 नई वैज्ञानिक प्रजातियाँ नहीं है
- > PaleolIndia Portal में जीवाश्मों की जानकारी उपलब्ध है

2.3. पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को Eco-Sensitive Area बनाने की योजना

2.3.1. चर्चा में क्यों?

22 जून 2026 की रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार पश्चिमी घाट के लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर विचार कर रही थी। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में अधिसूचना आगे बढ़ाने की बात सामने आई, जबकि केरल और कर्नाटक ने कई आपत्तियाँ जताईं।

2.3.2. पृष्ठभूमि और कारण

पश्चिमी घाट भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव-विविधता क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र अनेक स्थानिक प्रजातियों का घर है और प्रायद्वीपीय भारत की कई नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में काम करता है।

पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर दो प्रमुख समितियों की चर्चा होती है—

- > **गाइगिल समिति** – अधिक व्यापक क्षेत्र को संवेदनशील बनाने की सिफारिश
- > **कस्तूरीरंगन समिति** – अपेक्षाकृत कम क्षेत्र और मुख्य रूप से प्राकृतिक परिदृश्य पर ध्यान

2.3.3. प्रमुख विशेषताएँ

प्रस्तावित क्षेत्र छह राज्यों से संबंधित है—

- > गुजरात
- > महाराष्ट्र
- > गोवा
- > कर्नाटक
- > केरल
- > तमिलनाडु

प्रस्तावित प्रतिबंधों में खनन, उत्खनन, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और बड़े निर्माण कार्यों को नियंत्रित करना शामिल है।

2.3.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

पश्चिमी घाट में अनियोजित निर्माण, खनन और वनों की कटाई से भूस्खलन, जल-स्रोतों में कमी और जैव-विविधता हास का खतरा बढ़ता है। ESA दर्जे से जल-सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और आपदा जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

दूसरी ओर, स्थानीय लोगों को भूमि उपयोग, आजीविका, कृषि और विकास परियोजनाओं पर प्रतिबंध की चिंता है। केरल और कर्नाटक का तर्क है कि कई गाँव प्रस्तावित क्षेत्र में बसे हुए हैं और एक समान नियम स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होंगे।



2.3.5. समाधान

- > गाँव स्तर पर वैज्ञानिक GIS सीमांकन
- > स्थानीय समुदायों से वास्तविक परामर्श
- > पारंपरिक कृषि और छोटे आवासीय कार्यों को अलग श्रेणी देना
- > बड़े खनन और प्रदूषणकारी उद्योगों पर कड़ा नियंत्रण
- > भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों का अलग मानचित्रण
- > राज्यों को संरक्षण आधारित वित्तीय सहायता
- > पर्यावरणीय सेवाओं के लिए स्थानीय लोगों को भुगतान

2.3.6. आगे की राह

पश्चिमी घाट के लिए अंतिम अधिसूचना वैज्ञानिक अध्ययन, ग्रामसभा की भागीदारी और राज्यों के साथ सहमति के बाद जारी होनी चाहिए। इसे केवल प्रतिबंधों का दस्तावेज न बनाकर **संरक्षण और स्थानीय विकास का संतुलित मॉडल** बनाया जाना चाहिए।

2.3.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > पश्चिमी घाट — गुजरात से तमिलनाडु तक फैली पर्वतमाला
- > छह संबंधित राज्य — गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
- > ESA का आधार — पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- > गाडगिल समिति और कस्तूरिंगन समिति का संबंध पश्चिमी घाट से
- > जून 2026 की खबर योजना और प्रस्ताव से संबंधित थी; इसे अंतिम अधिसूचना नहीं मानना चाहिए
- > पश्चिमी घाट विश्व के प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है

2.4. बॉन जलवायु बैठक SB64 में जलवायु कार्टवाई के क्रियान्वयन पर जोर

2.4.1. चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपांश के तहत **June Climate Meetings** यानी **SB64** का आयोजन 8 से 18 जून 2026 तक जर्मनी के बॉन में हुआ। यह बैठक COP31 से पहले तकनीकी और नीतिगत तैयारी के लिए महत्वपूर्ण थी।

2.4.2. पृष्ठभूमि और कारण

जलवायु सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों तक सीमित नहीं होते। वर्ष के बीच में होने वाली SB बैठकों में वैज्ञानिक, तकनीकी और कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होती है।

SB64 में दो प्रमुख निकायों ने काम किया—

- > **SBSTA** — वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह
- > **SBI** — क्रियान्वयन से जुड़े विषय

2.4.3. प्रमुख विशेषताएँ

बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा हुई—

- > राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC का क्रियान्वयन
- > पहले Global Stocktake के निष्कर्षों को नई जलवायु योजनाओं में शामिल करना
- > जलवायु वित्त और विकासशील देशों की आवश्यकताएँ
- > डिजिटल निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन यानी digital MRV
- > जलवायु कार्टवाई में Artificial Intelligence और डेटा तकनीक
- > लैंगिक दृष्टिकोण से जलवायु वित्त
- > स्थानीय समुदायों और आदिवासी समूहों की भागीदारी
- > विकासशील देशों की क्षमता निर्माण

UNFCCC ने बैठक के दौरान यह संकेत दिया कि जलवायु नीति का अगला चरण केवल लक्ष्य तय करने का नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने का है।

2.4.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

बैठक से COP31 के लिए तकनीकी आधार मजबूत हुआ। बेहतर डेटा और डिजिटल MRV से देशों के उत्सर्जन और प्रगति की निगरानी की जा सकती है।

लेकिन जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण, अनुकूलन सहायता और विकासशील देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर अभी भी मतभेद हैं। केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म बना देने से वित्तीय और संस्थागत कमी दूर नहीं होगी।

2.4.5. समाधान

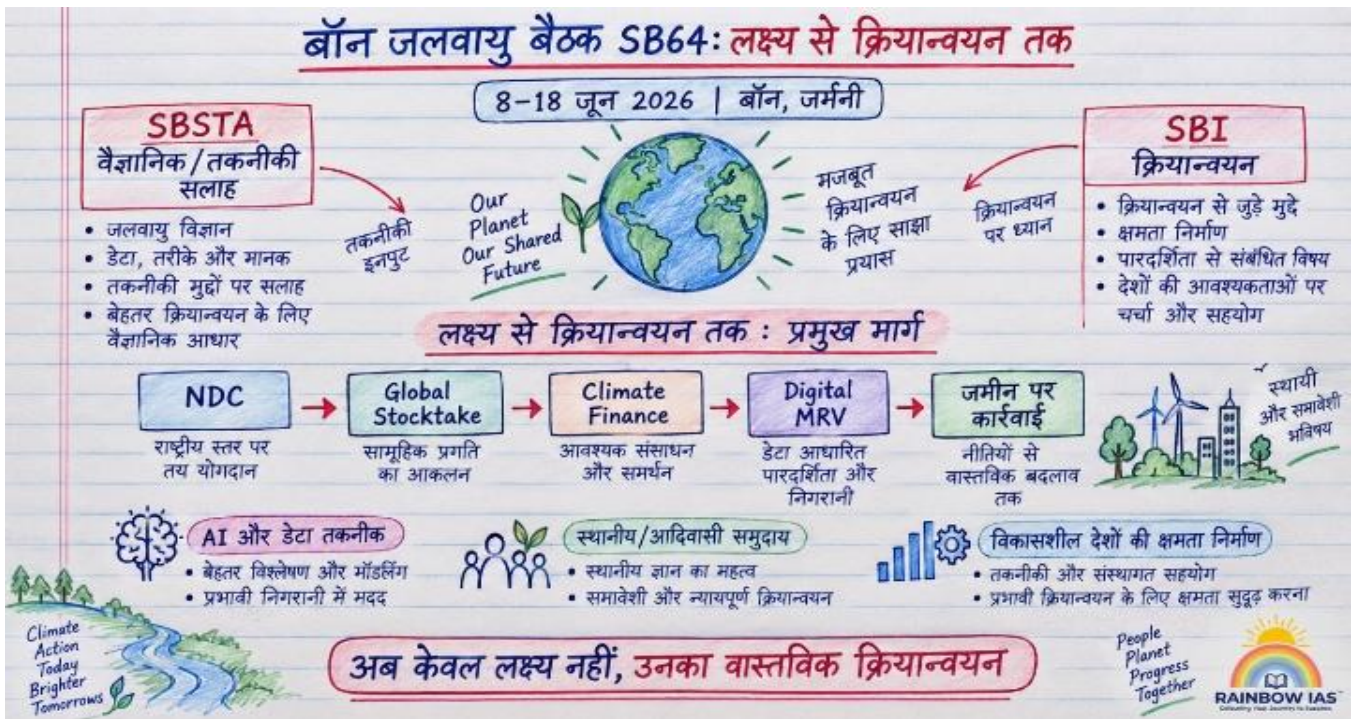
- > NDC की प्रगति के लिए स्पष्ट क्षेत्रवार संकेतक
- > जलवायु वित्त के लिए पारदर्शी ट्रैकिंग व्यवस्था
- > विकासशील देशों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण
- > स्थानीय समुदायों को जलवायु योजना में शामिल करना
- > आपदा पूर्व चेतावनी और जलवायु डेटा को जिला स्तर तक पहुँचाना

2.4.6. आगे की राह

भारत को अपनी जलवायु नीतियों में ऊर्जा संक्रमण, जल सुरक्षा, कृषि अनुकूलन और शहरी ताप प्रबंधन को साथ लेकर चलना होगा। COP बैठकों के वादों को राज्य और जिला स्तर की योजनाओं से जोड़ना सबसे जरूरी कदम है।

2.4.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > SB64 — बॉन, जर्मनी
- > आयोजन — 8 से 18 जून 2026
- > SBSTA — Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
- > SBI — Subsidiary Body for Implementation
- > UNFCCC — 1992
- > NDC — Nationally Determined Contributions
- > Global Stocktake — पेरिस समझौते के लक्ष्यों की सामूहिक प्रगति का आकलन



2.5. भारत और जापान ने Joint Crediting Mechanism के नियम अपनाए

2.5.1. चर्चा में क्यों?

भारत और जापान ने 8 जून 2026 को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत **Joint Crediting Mechanism** यानी **JCM** के कार्यान्वयन नियम अपनाए। भारत सरकार ने इसकी जानकारी 16 जून को जारी की।

2.5.2. पृष्ठभूमि और कारण

JCM एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत और जापान कम-कार्बन तकनीक, निवेश और उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में सहयोग करेंगे। भारत और जापान ने इसके लिए पिछले वर्ष Memorandum of Cooperation पर हस्ताक्षर किए थे।

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 देशों को आपसी सहयोग से उत्सर्जन कटौती के परिणामों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसे अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार और जलवायु वित्त से जोड़ा जा सकता है।

2.5.3. प्रमुख विशेषताएँ

JCM के नियमों में—

- > दोनों देशों की संयुक्त समिति
- > परियोजनाओं की पारदर्शी स्वीकृति
- > तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन और प्रमाणन
- > पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय
- > कार्बन क्रेडिट जारी करने और हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्रियाँ
- > कम-कार्बन तकनीक का हस्तांतरण
- > भारत में जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के लिए निवेश शामिल हैं।

2.5.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

इससे ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं को वित्त मिल सकता है। जापान की तकनीकी क्षमता और भारत का बड़ा बाजार इस व्यवस्था को उपयोगी बना सकते हैं।

मुख्य चुनौती यह है कि एक ही उत्सर्जन कटौती को भारत और जापान दोनों अपनी-अपनी जलवायु उपलब्धि में न गिन लें। इसे **double counting** कहा जाता है। कमजोर baseline, गलत निगरानी और स्थानीय समुदायों की उपेक्षा से भी कार्बन क्रेडिट की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

2.5.5. समाधान

- > परियोजनाओं के लिए मजबूत baseline
- > वास्तविक और अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती की जांच
- > corresponding adjustment की व्यवस्था
- > सार्वजनिक डिजिटल रजिस्टर
- > तीसरे पक्ष का स्वतंत्र सत्यापन
- > स्थानीय रोजगार और समुदायों के लिए लाभ-साझेदारी
- > कार्बन क्रेडिट की गुणवत्ता और स्थायित्व की निगरानी

2.5.6. आगे की राह

JCM को केवल कार्बन क्रेडिट कमाने का माध्यम न बनाकर स्वच्छ तकनीक, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ना चाहिए। भारत के घरेलू Carbon Credit Trading Scheme के साथ भी इसका समन्वय आवश्यक होगा।

2.5.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > JCM — India-Japan Joint Crediting Mechanism
- > नियम अपनाए गए — 8 जून 2026
- > घोषणा — 16 जून 2026
- > आधार — पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2
- > Article 6.2 — सहकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दृष्टिकोण
- > NDC — Nationally Determined Contribution
- > JCM, Kyoto Protocol के CDM से अलग व्यवस्था है

JCM | भारत + जापान | पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2

स्वच्छ कल के लिए साझा कदम | कम कार्बन, मजबूत साझेदारी, सतत भविष्य

स्वच्छ भारत सशक्त भविष्य

भारत-जापान सहयोग

CLEANER PLANET STRONGER TOMORROW

CARBON CREDIT LEDGER

1. कम-कार्बन परियोजना
स्वच्छ तकनीक से उत्सर्जन में कमी

2. संयुक्त समिति की स्वीकृति
भारत-जापान संयुक्त समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति

3. तीसरे पक्ष का सत्यापन
स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जन कटौती का सत्यापन

4. कार्बन क्रेडिट/राष्ट्रीय रजिस्ट्रियाँ
उत्सर्जन कटौती को भारत और जापान की राष्ट्रीय रजिस्ट्रियाँ में दर्ज

Double counting से बचना: एक ही उत्सर्जन कटौती दो बार नहीं गिनी जाए।

8 जून 2026: नियम अपनाए गए | 16 जून 2026: घोषणा

JCM से मिलने वाले प्रमुख लाभ

- स्वच्छ तकनीक
- निवेश
- ऊर्जा दक्षता
- रोजगार

RAINBOW IAS
Confirming Your Journey to Success

2.6. El Niño की स्थिति विकसित, मजबूत होने की आशंका

2.6.1. चर्चा में क्यों?

विश्व मौसम संगठन ने 2 जून 2026 को बताया कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने के कारण El Niño की स्थिति विकसित हो रही है। WMO के अनुसार जून-अगस्त के दौरान El Niño की संभावना लगभग 80 प्रतिशत और नवंबर तक बने रहने की संभावना 90 प्रतिशत या उससे अधिक थी।

अमेरिकी NOAA ने 11 जून के अपने अपडेट में El Niño के बनने और आगे मजबूत होने की संभावना बताई।

2.6.2. पृष्ठभूमि और कारण

El Niño, **El Niño-Southern Oscillation** यानी **ENSO** का गर्म चरण है। इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का समुद्री सतह तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है।

इस दौरान सामान्य व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ती हैं और ठंडे गहरे पानी का ऊपर आना यानी **upwelling** कम हो जाता है। समुद्र और वायुमंडल की यह संयुक्त प्रक्रिया दुनिया के अनेक हिस्सों के तापमान और वर्षा को प्रभावित करती है।

2.6.2. प्रमुख विशेषताएँ

- > WMO ने जून-अगस्त 2026 के लिए 80 प्रतिशत संभावना बताई
- > कई मॉडल इसे मध्यम या मजबूत El Niño मान रहे थे
- > जून-अगस्त में लगभग पूरी दुनिया में सामान्य से अधिक तापमान की संभावना
- > दक्षिण एशिया में सामान्य से कम मानसूनी वर्षा की आशंका
- > El Niño का प्रभाव हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं होता
- > WMO "Super El Niño" को कोई आधिकारिक वैज्ञानिक श्रेणी नहीं मानता

2.6.3. प्रभाव और चुनौतियाँ

भारत में कमजोर मानसून, गर्मी, जल-संकट, कृषि उत्पादन और बिजली मांग पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि El Niño का अर्थ हर वर्ष भारत में सूखा होना नहीं है। भारतीय मानसून पर हिंद महासागर द्विध्रुव, हिम आवरण, स्थानीय समुद्री तापमान और अन्य मौसमी कारक भी असर डालते हैं।

समुद्री गर्मी बढ़ने से प्रवाल भित्तियों, मत्स्य संसाधनों और समुद्री पारिस्थितिकी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

2.6.4. समाधान

- > जिला स्तर पर मौसमी पूर्वानुमान
- > कम पानी वाली फसलों और सूखा-सहिष्णु बीजों का प्रयोग
- > जलाशयों और भूजल का सावधानीपूर्वक प्रबंधन
- > किसानों को समय पर मौसम सलाह
- > शहरी क्षेत्रों में हीट एक्शन प्लान
- > स्वास्थ्य विभाग की गर्मी संबंधी चेतावनी व्यवस्था

2.6.5. आगे की राह

El Niño को केवल मौसम की खबर के रूप में नहीं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, जल और आपदा प्रबंधन से जोड़कर देखना चाहिए। पूर्वानुमान मिलने के बाद तैयारी में देरी करना नुकसान को बढ़ा सकता है।

2.6.6. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > El Niño — ENSO का गर्म चरण
- > La Niña — ENSO का ठंडा चरण
- > मुख्य क्षेत्र — मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत
- > सामान्य चक्र — लगभग 2 से 7 वर्ष
- > अवधि — लगभग 9 से 12 महीने
- > चरम प्रभाव — सामान्यतः नवंबर से फरवरी के बीच
- > SOI — Southern Oscillation Index
- > El Niño का प्रभाव IOD यानी Indian Ocean Dipole से भी प्रभावित हो सकता है

2.7. NCR में वायु प्रदूषण पर CAQM की सख्त निगरानी

2.7.1. चर्चा में क्यों?

12 जून 2026 को CAQM की उपसमिति ने दिल्ली-NCR और पंजाब में वायु प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद 19 जून को Enforcement Task Force ने 30 मई से 13 जून के बीच की गई कार्रवाई की समीक्षा की।

2.7.2. पृष्ठभूमि और कारण

दिल्ली-NCR में प्रदूषण केवल सदियों की समस्या नहीं है। गर्मियों में धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों और **ground-level ozone** की समस्या बढ़ सकती है।

Ground-level ozone सीधे उत्सर्जित नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड और Volatile Organic Compounds की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है।

2.7.3. प्रमुख विशेषताएँ

19 जून की समीक्षा में—

- > 199 निरीक्षण किए गए
- > 66 उल्लंघन पाए गए
- > 4 इकाइयों या परियोजनाओं को बंद करने का प्रस्ताव
- > 29 DG सेट सील करने का प्रस्ताव
- > 12 अनुपालन निर्देश जारी करने का प्रस्ताव
- > 2 मामलों में Environmental Compensation का प्रस्ताव
- > निरीक्षणों में 94 औद्योगिक इकाइयाँ और 95 DG सेट शामिल थे

12 जून की बैठक में वाहनों, निर्माण एवं विध्वंस कचरे, सड़क की धूल, पराली, ईट भट्टों, ठोस कचरे और औद्योगिक प्रदूषण पर चर्चा हुई।

2.7.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

प्रदूषण से श्वसन रोग, अस्थमा, आंखों में जलन और हृदय संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। निर्माण धूल और सड़क की धूल PM10 का प्रमुख स्रोत हैं, जबकि वाहन और उद्योग ozone precursors छोड़ते हैं।

NCR में प्रदूषण कई राज्यों से जुड़ा है। इसलिए केवल दिल्ली सरकार की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। विभिन्न राज्यों में नियमों का असमान पालन और कमजोर निगरानी बड़ी समस्या है।

2.7.5. समाधान

- > सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा
- > निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण
- > C&D waste का वैज्ञानिक प्रबंधन
- > पराली के लिए बाजार आधारित समाधान
- > उद्योगों में Continuous Emission Monitoring
- > शहरों में source apportionment studies
- > ओजोन के लिए NOx और VOC दोनों पर नियंत्रण
- > शिकायतों और उल्लंघनों की सार्वजनिक निगरानी

2.7.6. आगे की राह

CAQM को केवल निरीक्षण करने वाली संस्था न बनाकर एकीकृत क्षेत्रीय प्रदूषण प्रबंधन संस्था बनना चाहिए। NCR के लिए साझा डेटा, साझा लक्ष्य और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है।

2.7.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > CAQM—Commission for Air Quality Management
- > CAQM का आधार — 2021 का अधिनियम
- > कार्यक्षेत्र — NCR और आसपास के क्षेत्र
- > Ground-level ozone — द्वितीयक प्रदूषक
- > Ozone निर्माण — NOx + VOCs + सूर्य का प्रकाश
- > Stratospheric ozone — पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा
- > Ground-level ozone — मानव स्वास्थ्य और वनस्पति के लिए हानिकारक

NCR में वायु प्रदूषण: CAQM की सख्त निगरानी

NCR में वायु प्रदूषण: प्रमुख स्रोत

- वाहनों से उत्सर्जन (NO_x, VOCs)
- निर्माण गतिविधियों से धूल (PM₁₀)
- औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जन
- DG सेट से प्रदूषण
- मौसम व भौगोलिक परिस्थितियाँ
- धूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ग्राउंड-लेवल ओजोन का निर्माण

Ground-level Ozone

= NO_x + VOCs + सूर्य का प्रकाश

(ग्राउंड-लेवल ओजोन)

ग्राउंड-लेवल ओजोन क्या है?

- यह सतह के पास बनने वाला ओजोन (O₃) है।
- यह प्राथमिक उत्सर्जन नहीं, बल्कि NO_x और VOCs के सूर्य के प्रकाश में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनता है।
- यह मानव स्वास्थ्य, फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है।

Ozone:
दृश्य नहीं,
लेकिन असर गंभीर!

CAQM की कार्रवाई: निगरानी अभियान (NCR)

 199 निरीक्षण	 66 उल्लंघन	 4 इकाइयाँ/परियोजनाएँ बंद करने का प्रस्ताव	 29 DG सेट सील करने का प्रस्ताव
-----------------------------------	---------------------------------	--	---

मुख्य सीख: NCR के लिए साझा डेटा, साझा लक्ष्य और समयबद्ध कार्रवाई।

CAQM अधिनियम: 2021

- NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा।
- क्षेत्रीय समन्वय और एकीकृत कार्रवाई का प्रावधान।

PM₁₀: धूल/निर्माण से; Ozone: द्वितीयक प्रदूषक

- PM₁₀ मुख्यतः धूल और निर्माण गतिविधियों से आता है।
- Ozone एक द्वितीयक प्रदूषक है जो NO_x + VOCs + सूर्य के प्रकाश से बनता है।

625, Mukherjee Nagar, Near Agrawal Sweet, Delhi-110009; 9217432851

2.8. लक्षद्वीप में मिला विशाल “Potato Patch” Coral

2.8.1. चर्चा में क्यों?

जून 2026 में लक्षद्वीप के कदमत द्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में **Pavona clavus** प्रजाति की एक विशाल प्रवाल कॉलोनी का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया गया। इसे स्थानीय रूप से “Potato Patch” कहा जाता है।

2.8.2. पृष्ठभूमि और कारण

प्रवाल वास्तव में छोटे-छोटे समुद्री जीवों यानी **polyps** की कॉलोनी होते हैं। ये जीव कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर ढाँचा बनाते हैं। इनके ऊतकों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल **zooxanthellae** उन्हें ऊर्जा और रंग प्रदान करते हैं।

2.8.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > स्थान — कदमत द्वीप, लक्षद्वीप
- > प्रजाति — Pavona clavus
- > क्षेत्रफल — लगभग 4,250 वर्ग मीटर
- > संभावित आयु — 700 से 1,800 वर्ष का प्रारंभिक अनुमान
- > लगभग 58.47 प्रतिशत प्रवाल ऊतक जीवित पाया गया
- > आयु का अंतिम निर्धारण वैज्ञानिक डेटिंग के बाद होगा
- > इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीवित प्रवाल कॉलोनी में से एक माना जा रहा है

यह सर्वेक्षण REEF, The Habitats Trust और लक्षद्वीप प्रशासन से जुड़े प्रयासों के माध्यम से हुआ।

2.8.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

यह खोज हिंद महासागर में प्रवालों की दीर्घायु और जलवायु सहनशीलता को समझने में मदद कर सकती है। प्रवाल भित्तियों मछलियों के प्रजनन क्षेत्र, तटीय सुरक्षा और स्थानीय पर्यटन की आधारशिला होती हैं।

समुद्री तापमान बढ़ना, coral bleaching, चक्रवात, प्लास्टिक, गंदा पानी, जहाजों का लंगर और अत्यधिक मछली पकड़ना इनके लिए गंभीर खतरे हैं। Bleaching में प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल बाहर निकाल देते हैं। इससे प्रवाल सफेद हो जाता है, लेकिन वह तुरंत मृत नहीं होता।

2.8.5. समाधान

- > संवेदनशील क्षेत्रों में लंगर डालने पर रोक
- > प्रवाल भित्तियों की नियमित निगरानी
- > स्थानीय मछुआरों के साथ सह-प्रबंधन
- > सीवेज और प्लास्टिक को समुद्र में जाने से रोकना
- > समुद्री गर्मी की पूर्व चेतावनी
- > पर्यटन के लिए carrying capacity तय करना
- > क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक coral restoration

2.8.6. आगे की राह

Potato Patch को केवल पर्यटन स्थल के रूप में देखने के बजाय एक दीर्घकालिक समुद्री अनुसंधान क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। इसकी आनुवंशिक विशेषताओं और गर्म समुद्री

परिस्थितियों को सहने की क्षमता पर अध्ययन किया जा सकता है।

2.8.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > Potato Patch — कदमत द्वीप, लक्षद्वीप
- > प्रजाति — Pavona clavus
- > प्रवाल — Cnidaria संघ के जीव
- > प्रवाल भित्तियों के प्रकार — Fringing, Barrier और Atoll
- > भारत में प्रमुख प्रवाल क्षेत्र — कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और मालवन
- > प्रवाल का कठोर ढाँचा — कैल्शियम कार्बोनेट
- > Bleaching का मुख्य कारण — समुद्री तापमान में असामान्य वृद्धि

2.9. FAO की SOFIA 2026 रिपोर्ट: जलीय उत्पादन 235 मिलियन टन

2.9.1. चर्चा में क्यों?

16 जून 2026 को FAO ने **State of World Fisheries and Aquaculture** यानी **SOFIA 2026** रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक मत्स्य और जलीय कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।

2.9.2. पृष्ठभूमि और कारण

मत्स्य उत्पादन दो प्रमुख भागों में बाँटा जाता है—

- > **Capture Fisheries** — समुद्र, नदी, झील या अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों से मछली पकड़ना
- > **Aquaculture** — नियंत्रित परिस्थितियों में मछली, झींगा, शैवाल या अन्य जलीय जीवों का पालन

वैश्विक आबादी और प्रोटीन की मांग बढ़ने के कारण Aquaculture का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

2.9.3. प्रमुख विशेषताएँ

SOFIA 2026 के अनुसार—

- > 2024 में कुल मत्स्य और जलीय कृषि उत्पादन — 235 मिलियन टन
- > जलीय जीवों का उत्पादन — 195 मिलियन टन
- > Aquaculture से जलीय जीवों का उत्पादन — 103 मिलियन टन
- > Capture fisheries — लगभग 92 मिलियन टन
- > Aquaculture पहली बार 100 मिलियन टन से ऊपर पहुँची
- > कुल जलीय जीव उत्पादन में Aquaculture की हिस्सेदारी — 53 प्रतिशत
- > 89 प्रतिशत जलीय उत्पादन मानव उपभोग में गया
- > 2023 में 72.6 प्रतिशत landings जैविक रूप से टिकाऊ stocks से आए

रिपोर्ट ने FAO की **Blue Transformation Roadmap 2022–2030** पर भी जोर दिया।

2.9.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

जलीय भोजन पोषण, रोजगार और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दुनिया भर में 60 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी है।

लेकिन जलवायु परिवर्तन, समुद्र का गर्म होना, अम्लीकरण, अत्यधिक मछली पकड़ना, रोग, प्लास्टिक प्रदूषण और अवैध मछली पकड़ना गंभीर समस्याएँ हैं। Aquaculture में भी चारा, पानी, एंटीबायोटिक और तटीय भूमि का दबाव बढ़ सकता है।

2.9.5. समाधान

- > Ecosystem-based fisheries management
- > अवैध, अनियमित और अनरिपोर्टेड मछली पकड़ने पर रोक
- > छोटे मछुआरों के अधिकारों की रक्षा
- > Climate-resilient aquaculture
- > मछली पकड़ने की traceability और digital monitoring
- > मैंग्रोव, प्रवाल और नदी तंत्र का संरक्षण
- > Integrated systems जैसे rice-fish farming को बढ़ावा

2.9.6. आगे की राह

भारत को समुद्री मत्स्य संसाधनों के साथ-साथ अंतर्देशीय मत्स्य पालन और टिकाऊ Aquaculture पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के साथ जल-परिस्थितिकी और छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा जरूरी है।

2.9.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > SOFIA — State of World Fisheries and Aquaculture
- > रिपोर्ट जारीकर्ता — FAO
- > FAO मुख्यालय — रोम, इटली
- > Capture Fisheries — प्राकृतिक जल स्रोतों से पकड़
- > Aquaculture — नियंत्रित पालन
- > IUU Fishing — Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
- > Blue Transformation Roadmap — 2022–2030
- > 2024 में Aquaculture उत्पादन पहली बार 100 मिलियन टन से अधिक

2.10. Desertification and Drought Day 2026 का विषय: Rangelands

2.10.1. चर्चा में क्यों?

17 जून 2026 को केन्या के Gatunga में **Desertification and Drought Day** का वैश्विक आयोजन हुआ। इस वर्ष का विषय था—

“Rangelands: Recognize. Respect. Restore.”

अर्थात्—“चरागाहों को पहचानें, उनका सम्मान करें और उन्हें पुनर्स्थापित करें।”

2.10.2. पृष्ठभूमि और कारण

Rangelands यानी चरागाह क्षेत्र वे भूभाग हैं जहाँ घास, झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पति पशुपालन तथा वन्यजीवों के लिए आधार प्रदान करती हैं। इन्हें खाली या अनुपयोगी भूमि समझना गलत है।

मरुस्थलीकरण का अर्थ हर जगह रेगिस्तान का फैलना नहीं है। इसका अर्थ शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता और जैविक क्षमता का कम होना है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ अति-चराई, वनों की कटाई, भूमि रूपांतरण और खराब जल प्रबंधन भी जिम्मेदार हैं।

2.10.3. प्रमुख विशेषताएँ

कार्यक्रम में चरागाहों की भूमिका पर जोर दिया गया—

- > जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने की क्षमता
- > खाद्य और जल सुरक्षा
- > जैव-विविधता संरक्षण
- > पशुपालक और आदिवासी समुदायों की संस्कृति
- > मिट्टी और जल संरक्षण
- > ग्रामीण रोजगार और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था

UNCCD के अनुसार rotational grazing, pastoral mobility, silvopastoral systems और स्थानीय ज्ञान से चरागाहों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

2.10.4. प्रभाव और चुनौतियाँ

चरागाहों के क्षरण से मिट्टी का कटाव, जल-संकट, पशुधन उत्पादकता में कमी और मानव-पशु संघर्ष बढ़ सकता है। कई क्षेत्रों में चरागाहों को कृषि भूमि या निर्माण क्षेत्र में बदलने से पशुपालकों की पारंपरिक आवाजाही बाधित होती है।

जलवायु परिवर्तन से सूखा, हीटवेव और वर्षा की अनिश्चितता बढ़ रही है। इससे गरीब पशुपालक परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

2.10.5. समाधान

- > rotational और नियंत्रित चराई
- > पारंपरिक pastoral mobility की रक्षा
- > स्थानीय घास और देशी वनस्पतियों की बहाली
- > जल-संचयन और छोटे जलाशय
- > सामुदायिक भूमि अधिकार
- > सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली
- > चरागाहों को वृक्षारोपण के नाम पर पूरी तरह बदलने से बचना
- > Land Degradation Neutrality के लक्ष्य से जोड़ना

2.10.6. आगे की राह

भारत में राजस्थान, गुजरात, दक्कन और हिमालयी क्षेत्रों के चरागाहों के लिए अलग प्रबंधन योजना चाहिए। ग्राम पंचायतों, पशुपालक समुदायों, वन विभाग और कृषि विभाग को मिलकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षण मॉडल बनाना होगा।

2.10.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > Desertification and Drought Day – 17 जून
- > 2026 का आयोजन – Gatunga, Kenya
- > 2026 की थीम – Rangelands: Recognize. Respect. Restore.
- > UNCCD – United Nations Convention to Combat Desertification

- > UNCCD अपनाया गया – 1994
- > UNCCD लागू – 1996
- > मरुस्थलीकरण का संबंध – शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों से
- > COP17 UNCCD – मंगोलिया के Ulaanbaatar में 17-28 अगस्त 2026

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

3.1. DRDO ने बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया

3.1.1. चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 10 और 11 जून 2026 को तीन लगातार उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों के माध्यम से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध भारत की बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा क्षमता और मध्यम दूरी की पोत-रोधी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

PIB के अनुसार, इन परीक्षणों के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) तक को रोकने की क्षमता है।

3.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो अपने उड़ान पथ के एक बड़े हिस्से में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। इसकी गति बहुत अधिक होती है और यह लंबी दूरी तक परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती है।

ऐसी मिसाइलों से सुरक्षा के लिए केवल एक अवरोधक मिसाइल पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए एक पूरी व्यवस्था तैयार की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं—

- > लंबी दूरी के निगरानी रडार।
- > मिसाइल की पहचान और मार्ग का पता लगाने वाली प्रणाली।
- > कमान एवं नियंत्रण केंद्र।
- > अलग-अलग ऊँचाइयों पर काम करने वाली अवरोधक मिसाइलें।
- > वायुमंडल के बाहर और वायुमंडल के भीतर लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता।

इसी व्यवस्था को बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली कहा जाता है।

3.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > DRDO ने तीन लगातार उड़ान परीक्षण किए।
- > अवरोधक मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा।
- > परीक्षणों में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया गया।
- > PIB के अनुसार भारत के पास ICBM तक को रोकने की क्षमता विकसित हो गई है।

- > नौसैनिक पोत-रोधी मिसाइल-मध्यम दूरी (NASM-MR) का पहला उड़ान परीक्षण भी सफल रहा।
- > इस प्रणाली के विकास में DRDO के साथ भारतीय उद्योग और सशस्त्र सेनाओं ने सहयोग किया।

3.1.4. भारत के लिए महत्व

यह उपलब्धि भारत की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करती है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पास विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ऐसे में मिसाइल रक्षा प्रणाली भारत के महत्वपूर्ण शहरों, सैन्य ठिकानों, परमाणु प्रतिष्ठानों और औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा में सहायक हो सकती है।

NASM-MR भारतीय नौसेना की समुद्र में शत्रु युद्धपोतों को रोकने की क्षमता बढ़ाएगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी।

3.1.5. चुनौतियाँ

- > एक साथ कई मिसाइलों का हमला।
- > नकली लक्ष्य और भ्रामक संकेत।
- > हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास।
- > मिसाइल रक्षा प्रणाली की अत्यधिक लागत।
- > रडार और संचार तंत्र पर साइबर हमला।
- > किसी भी रक्षा प्रणाली के पूरी तरह अभेद्य न होने की समस्या।

3.1.6. समाधान और आगे की राह

- > युद्ध जैसी वास्तविक परिस्थितियों में लगातार परीक्षण।
- > अलग-अलग रडार, उपग्रह और सेंसरों को एकीकृत करना।
- > मिसाइल रक्षा प्रणाली को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाना।
- > स्वदेशी अवरोधक मिसाइलों और सेंसरों का उत्पादन बढ़ाना।
- > सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय।
- > मिसाइल रक्षा के साथ-साथ कूटनीतिक और सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करना।

3.1.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > BMD: Ballistic Missile Defence
- > NASM-MR: Naval Anti-Ship Missile-Medium Range
- > ICBM: Intercontinental Ballistic Missile
- > बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल अलग-अलग होती हैं।
- > परीक्षण संस्था : DRDO



3.2. भारत का स्वदेशी वीडियो निर्माण मॉडल 'Varya'

3.2.1. चर्चा में क्यों?

भारतआई मिशन के सहयोग से Avataar कंपनी ने 12 जून 2026 को 'Varya' नामक स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वीडियो निर्माण मॉडल प्रस्तुत किया।

यह मॉडल लिखित निर्देश या किसी चित्र के आधार पर वीडियो बना सकता है। इसे भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

3.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

वर्तमान समय में वीडियो शिक्षा, विज्ञापन, मनोरंजन, व्यापार और सरकारी जन-जागरूकता का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। लेकिन उन्नत AI वीडियो मॉडल—

- > बहुत महंगे होते हैं।
- > अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता रखते हैं।
- > भारतीय भाषाओं और स्थानीय संदर्भों को ठीक से नहीं समझते।
- > भारतीय त्योहारों, पहनावे, भोजन और ग्रामीण जीवन को कई बार गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

Varya का उद्देश्य कम लागत में भारतीय संदर्भों के अनुरूप वीडियो बनाना है।

3.2.3. तकनीकी आधार

Varya एक **मॉडल डिस्टिलेशन (Model Distillation)** तकनीक पर आधारित है। इसमें एक बड़े और शक्तिशाली मॉडल को "शिक्षक मॉडल" तथा छोटे मॉडल को "विद्यार्थी मॉडल" माना जाता है।

छोटा मॉडल बड़े मॉडल से सीखता है और कम गणना शक्ति में लगभग समान परिणाम देने की कोशिश करता है। इससे—

- > मॉडल का आकार कम होता है।
- > वीडियो निर्माण तेज होता है।
- > ऊर्जा की खपत घटती है।
- > छोटे उद्यमियों और शिक्षकों के लिए उपयोग आसान होता है।

3.2.4. प्रमुख विशेषताएँ

- > लिखित निर्देश से वीडियो निर्माण।
- > चित्र से वीडियो बनाने की सुविधा।
- > वीडियो निर्माण की प्रक्रिया 50 चरणों से घटाकर 4 चरणों तक लाई गई।
- > कंपनी के आंतरिक परीक्षण के अनुसार लागत लगभग ₹0.48 प्रति सेकंड।
- > कंपनी ने कई वैश्विक मॉडलों की तुलना में दस गुना तक कम लागत का दावा किया है।
- > भारतीय त्योहारों, समुदायों, क्षेत्रीय पहनावे, भोजन और दैनिक जीवन से जुड़े दृश्य बनाने की क्षमता।
- > "विचार से वीडियो और वीडियो से कहानी" जैसी कार्यप्रणाली।
- > शिक्षक, छोटे कारोबारी, सामग्री निर्माता और सरकारी विभाग इसके संभावित उपयोगकर्ता हैं।

3.2.5. संभावित उपयोग

- > ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा में शिक्षण सामग्री।
- > सरकारी योजनाओं की सरल वीडियो व्याख्या।
- > छोटे उद्योगों के लिए विज्ञापन।
- > कृषि और स्वास्थ्य संबंधी जन-जागरूकता।
- > भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री।
- > पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति का प्रचार।

Varya | भारत का स्वदेशी वीडियो निर्माण मॉडल

भारतीय कहानियों के लिए, भारतीय संदर्भ में, भारतीयों द्वारा

IndiaAI Mission + Avataar™
Text-to-Video + Image-to-Video

भारतीय भाषाओं, संस्कृति और समाज के लिए AI

✓ सीखाना
✓ समझाना
✓ प्रेरित करना
✗ अपने लोगों की कहानियाँ

एक विचार...

1 लिखित निर्देश/चित्र
एक गाँव में सौर ऊर्जा से बदलती ज़िंदगी पर वीडियो बनाओ
(Text / Image)

2 Model Distillation
Teacher Model (विस्तृत क्षमता) → Student Model (कुशल और हल्का मॉडल)

3 4 चरणों में निर्माण
1. योजना (Planning) क्या बनना है?
2. दृश्य निर्माण दृश्य और स्टदन्त
3. संयोजन वीडियो को जोड़ना
4. अंतिम वीडियो तैयार!

4 वीडियो/कहानी
आपकी कल्पना, अब वीडियो में!

50 चरणों से घटकर 4 चरण

कंपनी के आंतरिक परीक्षण में लगभग ₹0.48 प्रति सेकंड (यह आंतरिक परीक्षण का परिणाम है)

Deepfake, अनुमति, कॉपीराइट और भ्रामक दृश्य—सुरक्षा जरूरी जिम्मेदार उपयोग, सुरक्षित समाज

Varya से बन सकती हैं अनेक भारतीय कहानियाँ

भारतीय भाषाओं में शिक्षा हमारे त्योहार और संस्कृति स्थानीय पहनावा और हस्तशिल्प गाँव की ज़िंदगी और विकास

AI, जो भारत को और करीब से समझे | हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा भविष्य

सूजनशील भारत, सक्षम भारत

RAINBOW IAS

3.2.6. चुनौतियाँ

- > डीपफेक और नकली समाचार।
- > किसी व्यक्ति की तस्वीर या आवाज का बिना अनुमति उपयोग।
- > कॉपीराइट सामग्री का अनुचित प्रयोग।
- > AI द्वारा गलत या भ्रामक दृश्य बनाना।
- > स्थानीय समुदायों का गलत चित्रण।
- > प्रशिक्षण आँकड़ों में भाषा और क्षेत्रीय पक्षपात।

3.2.7. समाधान और आगे की राह

- > AI से बने प्रत्येक वीडियो पर स्पष्ट पहचान चिह्न।
- > तस्वीर, आवाज और चेहरे के प्रयोग के लिए अनुमति व्यवस्था।
- > कॉपीराइट सामग्री के लिए लाइसेंस प्रणाली।
- > स्वतंत्र सुरक्षा और गुणवत्ता परीक्षण।
- > भारतीय भाषाओं के उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण आँकड़े।
- > चुनाव, स्वास्थ्य और सरकारी सूचना जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी।

3.2.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > विकासकर्ता : Avataar
- > सहयोग : IndiaAI Mission
- > तकनीक : Model Distillation
- > उपयोग : Text-to-Video और Image-to-Video
- > Varya वीडियो निर्माण मॉडल है, भाषा मॉडल नहीं।

3.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान की सीमाएँ

3.3.1. चर्चा में क्यों?

जून 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन के आधार पर यह सामने आया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम मॉडल सामान्य मौसम परिस्थितियों का तेज और अच्छा अनुमान लगा सकते हैं,

लेकिन असाधारण और रिकॉर्ड स्तर की मौसम घटनाओं के अनुमान में अभी भी कमजोर हैं।

3.3.2. पृष्ठभूमि

परंपरागत मौसम पूर्वानुमान में संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (Numerical Weather Prediction—NWP) मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये मॉडल वायुमंडल के भौतिक नियमों और गणितीय समीकरणों पर आधारित होते हैं।

इनमें निम्नलिखित कारकों का अध्ययन किया जाता है—

- > तापमान।
- > वायुदाब।
- > आर्द्रता।
- > पवन गति।
- > बादलों का निर्माण।
- > समुद्र और वायुमंडल का संबंध।
- > वर्षा और चक्रवात की प्रक्रिया।

दूसरी ओर, AI मॉडल पुराने मौसम आँकड़ों में छिपे पैटर्न को पहचानकर भविष्य का अनुमान लगाते हैं।

3.3.3. मुख्य समस्या

AI मॉडल उन परिस्थितियों में अच्छा काम करते हैं जो पहले से उपलब्ध प्रशिक्षण आँकड़ों जैसी होती हैं। इसे “Interpolation” कहा जा सकता है।

लेकिन जब कोई घटना पुराने आँकड़ों से बहुत अलग होती है, जैसे—

- > रिकॉर्ड स्तर की लू।
- > अचानक अत्यधिक वर्षा।
- > असामान्य चक्रवात।
- > बहुत तेज ठंडी लहर।
- > जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न नया मौसम पैटर्न।

तब AI मॉडल को अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। इसे “Extrapolation” की समस्या कहा जाता है।

3.3.4. भारत में AI आधारित मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम और जलवायु में AI तथा मशीन लर्निंग के उपयोग के लिए अलग कार्य समूह बनाया है।

प्रयोगात्मक रूप से निम्न मॉडल चर्चा में हैं—

- > Pangu-WeatherI
- > GraphCastI
- > FourCastNetI

चक्रवात की तीव्रता के अनुमान के लिए AI आधारित Advanced Dvorak Technique का भी उपयोग किया जा रहा है।

भारत में मौसम पूर्वानुमान को मजबूत करने के लिए—

- > INSAT-3D, INSAT-3DR और INSAT-3DS उपग्रह।
- > डॉप्लर मौसम रडार।
- > Mission MausamI
- > National Monsoon MissionI
- > WINDS के अंतर्गत स्थानीय मौसम केंद्र।

का प्रयोग किया जा रहा है।

3.3.5. महत्त्व

मौसम की सही जानकारी का संबंध सीधे तौर पर—

- > कृषि।
- > सिंचाई।
- > बाढ़ और सूखा प्रबंधन।
- > चक्रवात चेतावनी।
- > बिजली उत्पादन।
- > विमानन।
- > नवीकरणीय ऊर्जा।
- > शहरी नियोजन।

से है।

यदि AI मॉडल किसी अत्यधिक वर्षा या चक्रवात की तीव्रता को कम आँकता है, तो समय पर राहत और निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी।

3.3.6. चुनौतियाँ

- > भारत में स्थानीय स्तर पर मौसम आँकड़ों की कमी।
- > पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में जटिल मौसम।
- > जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम पैटर्न।
- > AI मॉडल का “ब्लैक बॉक्स” होना।
- > अत्यधिक मौसम घटनाओं के पर्याप्त पुराने आँकड़े उपलब्ध न होना।

3.3.7. समाधान और आगे की राह

- > AI और भौतिकी आधारित मॉडल का संयुक्त उपयोग।
- > मौसम केंद्रों और रडारों का विस्तार।
- > स्थानीय भाषाओं में प्रभाव आधारित चेतावनी।
- > केवल एक अनुमान के बजाय संभाव्यता आधारित पूर्वानुमान।
- > मौसम वैज्ञानिकों की भूमिका बनाए रखना।
- > अत्यधिक घटनाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण आँकड़े तैयार करना।

3.3.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > NWP : Numerical Weather Prediction
- > IMD, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है।
- > INSAT-3D, INSAT-3DR और INSAT-3DS मौसम संबंधी उपग्रह हैं।
- > Mission Mausam मौसम निगरानी और पूर्वानुमान क्षमता से जुड़ा है।
- > GraphCast और Pangu-Weather AI आधारित मौसम मॉडल हैं।

AI आधारित मौसम पूर्वानुमान की सीमाएँ

मौसम बदलता है समाज तैयार रहे

Interpolation (अन्तःक्षेपण) ✓

पुराने जैसे मौसम → AI अच्छा अनुमान

- सामान्य मौसम परिस्थितियाँ
- पहले देखे गए पैटर्न के भीतर
- ऐतिहासिक डेटा से मिलता-जुलता
- AI अपेक्षाकृत अच्छा अनुमान देता है

बेहतर पूर्वानुमान सुरक्षित समाज लचीला भविष्य

Extrapolation (बहिःक्षेपण) ✗

रिकॉर्ड लू / अत्यधिक वर्षा / असामान्य चक्रवात → AI कमजोर

- पहले कभी न देखी गई स्थितियाँ
- ऐतिहासिक डेटा में कमी
- नए तरह के पैटर्न
- AI का अनुमान कमजोर पड़ता है

NWP (Numerical Weather Prediction) = भौतिक निसम + समीकरण

- वायुमंडल की भौतिक प्रक्रियाओं का अनुकरण
- द्रव गतिकी, उष्मागतिकी आदि समीकरणों पर आधारित
- नए और अभूतपूर्व परिस्थितियों में भी तर्कसंगत अनुमान देने में सक्षम

मुख्य डेटा स्रोत

IMD

भारत मौसम विज्ञान विभाग

INSAT-3D/3DR/3DS

उपग्रह से बादल, तापमान, आर्द्रता आदि का डेटा

डॉप्लर रडार

वर्षा की तीव्रता और स्थानिक वितरण

VS

AI (Artificial Intelligence) = पुराने आँकड़ों के पैटर्न

- ऐतिहासिक मौसम डेटा से सीखता है
- पैटर्न पहचान कर अनुमान लगाता है
- जिन परिस्थितियों के उदाहरण डेटा में नहीं हैं, उनमें प्रदर्शन कमजोर हो सकता है

समाधान : संयुक्त दृष्टिकोण

AI + भौतिकी आधारित मॉडल + मानव मौसम वैज्ञानिक

- AI की गति + भौतिकी की मजबूती + मानव विशेषज्ञता का अनुभव
- बेहतर, विश्वसनीय और उपयोगी पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिक

★ मुख्य takeaway : अत्यधिक घटनाओं के लिए संभाव्यता आधारित स्थानीय चेतावनी (Probability-based local warning)

- रिकॉर्ड लू, अत्यधिक वर्षा, असामान्य चक्रवात जैसी घटनाओं के लिए संभाव्यता (probability) आधारित पूर्वानुमान
- स्थानीय स्तर पर समय पर और लक्षित चेतावनी जारी करना

विज्ञान + प्रौद्योगिकी = सुरक्षित कल

RAINBOW IAS
Creating Your Learning Experience

3.4. GRAPES-3 से ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम की निगरानी

3.4.1. चर्चा में क्यों?

जून में GRAPES-3 से जुड़े 22 वर्षों के आँकड़ों का अध्ययन चर्चा में रहा। इस अध्ययन से ऊपरी वायुमंडल के तापमान, सूर्य की गतिविधि और पृथ्वी तक पहुँचने वाले सूर्योत्सव कणों के संबंध को समझने में सहायता मिली।

3.4.2. GRAPES-3 क्या है?

GRAPES-3 का पूरा नाम **Gamma Ray Astronomy at PeV Energies-Phase 3** है। यह भारत के ऊटी, तमिलनाडु में स्थित एक जमीन आधारित ब्रह्मांडीय किरण वेधशाला है।

इसका संबंध टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (TIFR) से है।

यह वेधशाला मुख्य रूप से—

- > ब्रह्मांडीय किरणों।
- > गामा किरणों।
- > वायुमंडलीय सूर्योत्सव।
- > सौर तूफानों।
- > अंतरिक्ष मौसम।
- > गरज-चमक और वायुमंडलीय घटनाओं।

का अध्ययन करती है।

3.4.3. यह काम कैसे करता है?

अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे वायुमंडल के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से टकराती हैं।

इस टक्कर के बाद—

1. पायॉन और कायॉन जैसे कण बनते हैं।
2. ये कण टूटकर सूर्योत्सव और न्यूट्रिनो बनाते हैं।
3. सूर्योत्सव का एक बड़ा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाता है।
4. GRAPES-3 इन सूर्योत्सवों की संख्या और दिशा को मापता है।

ऊपरी वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर वायुमंडल फैलता है। इससे सूर्योत्सव बनने और उनके पृथ्वी तक पहुँचने की संभावना में परिवर्तन आता है।

3.4.4. अध्ययन की प्रमुख विशेषताएँ

- > 2001 से 2022 तक के 22 वर्षों के आँकड़ों का प्रयोग।
- > तीन सौर चक्रों का अध्ययन।
- > वेधशाला समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर की ऊँचाई पर।
- > सूर्योत्सव दूरबीन का क्षेत्रफल लगभग 560 वर्ग मीटर।
- > प्रतिदिन लगभग 4 अरब सूर्योत्सव कणों को दर्ज करने की क्षमता।
- > सूर्योत्सव की दिशा और संख्या में होने वाले सूक्ष्म बदलावों का अध्ययन।
- > ऊपरी वायुमंडलीय तापमान तथा अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण।

3.4.5. महत्त्व

अंतरिक्ष मौसम में सौर ज्वाला, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर पवन जैसी घटनाएँ शामिल होती हैं। इनका प्रभाव—

- > उपग्रहों।
- > GPS और नेविगेशन।
- > रेडियो संचार।
- > विमानन।
- > विद्युत ग्रिड।
- > अंतरिक्ष यात्रियों।

पर पड़ सकता है।

GRAPES-3 जमीन पर रहकर अंतरिक्ष मौसम से जुड़े संकेतों की निगरानी करने में सहायता करता है। यह अंतरिक्ष आधारित मिशनों का पूरक है।

3.4.6. चुनौतियाँ

सूर्योत्सव की संख्या पर एक साथ कई कारकों का प्रभाव पड़ता है—

- > वायुदाब।
- > ऊपरी वायुमंडल का तापमान।
- > सौर गतिविधि।
- > पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र।
- > उपकरणों की दक्षता।
- > मौसमी परिवर्तन।

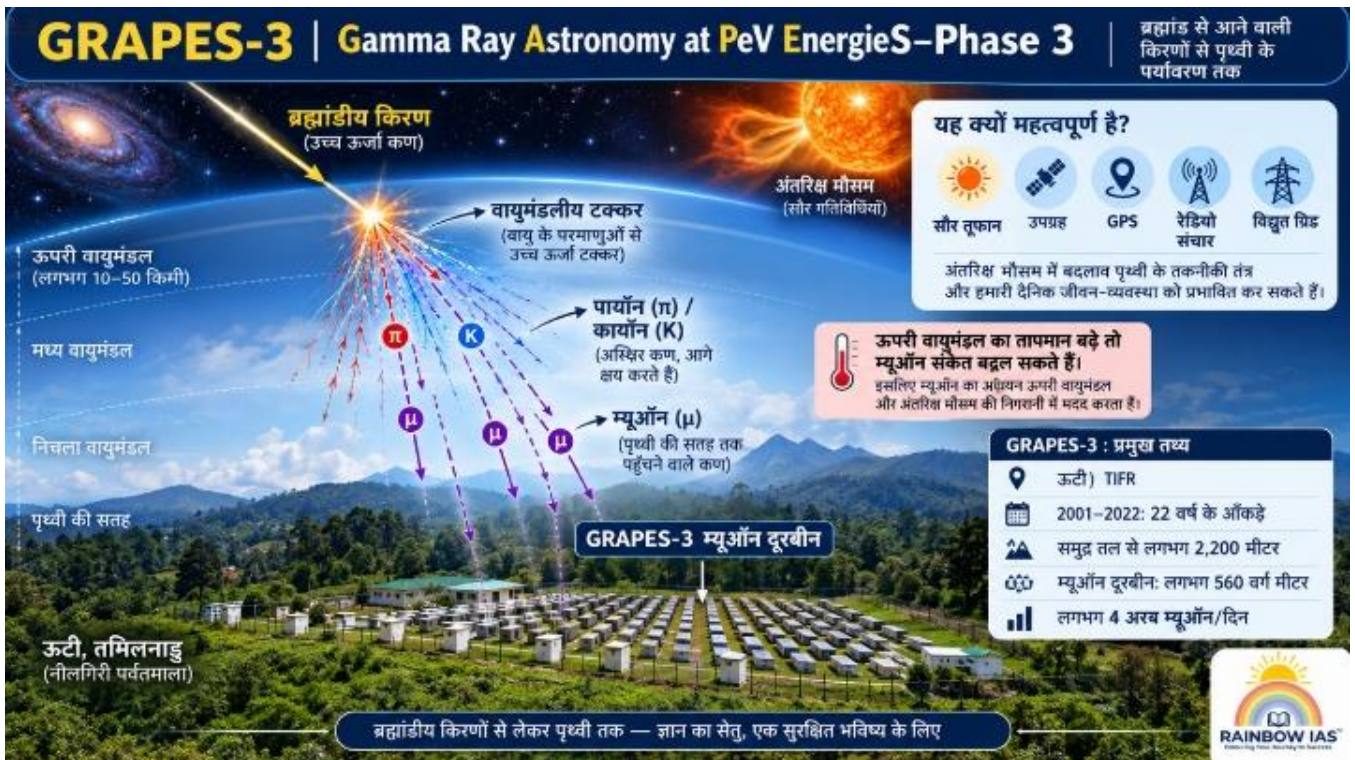
इसलिए किसी एक कारण का प्रभाव अलग करना कठिन होता है।

3.4.7. आगे की राह

- > GRAPES-3 को अन्य सौर वेधशालाओं से जोड़ना।
- > विभिन्न देशों में समान सूर्योत्सव निगरानी केंद्र स्थापित करना।
- > सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- > आँकड़ों को शोधकर्ताओं के लिए अधिक उपलब्ध कराना।
- > अंतरिक्ष मौसम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ना।

3.4.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > स्थान : ऊटी, तमिलनाडु
- > संस्था : TIFR
- > मुख्य कण : सूर्योत्सव
- > GRAPES-3 जमीन आधारित वेधशाला है।
- > यह ब्रह्मांडीय किरणों और सौर गतिविधि का अध्ययन करती है।
- > सूर्योत्सव, ब्रह्मांडीय किरणों से बनने वाले द्वितीयक कण हैं।



3.5. मंगल ग्रह पर जटिल कार्बनिक कार्बन की खोज

3.5.1. चर्चा में क्यों?

24 जून 2026 को प्रकाशित एक अध्ययन में नासा के Perseverance रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर जटिल कार्बनिक कार्बन के व्यापक संकेत मिलने की जानकारी दी गई।

इस खोज के बाद मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिक चर्चा तेज हुई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि यह जीवन का प्रमाण नहीं है।

3.5.2. पृष्ठभूमि

कार्बनिक पदार्थ उन रासायनिक यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बन प्रमुख तत्व होता है। पृथ्वी पर ऐसे पदार्थ जीवित प्राणियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका निर्माण केवल जीवों द्वारा ही नहीं होता।

कार्बनिक पदार्थ निम्नलिखित प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं—

- > ज्वालामुखीय और भूगर्भीय गतिविधि।
- > जल और खनिजों की रासायनिक प्रतिक्रिया।
- > उल्कापिंडों का प्रभाव।
- > प्राचीन जल प्रणालियाँ।
- > निर्जीव रासायनिक प्रक्रियाएँ।

इसलिए किसी ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ मिलना जीवन की संभावना का संकेत तो हो सकता है, लेकिन निश्चित प्रमाण नहीं।

3.5.3. खोज का स्थान

- > ग्रह : मंगल।
- > क्षेत्र : Jezero Crater।
- > विशेष स्थान : Neretva Vallis।

- > चट्टानी क्षेत्र : Bright Angel।
- > यह क्षेत्र अरबों वर्ष पहले एक नदी घाटी और झील प्रणाली का हिस्सा था।
- > वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ का वातावरण कभी जलयुक्त और जीवन के अनुकूल रहा होगा।

3.5.4. प्रमुख विशेषताएँ

- > Perseverance रोवर ने दो अवसादी चट्टानों में जटिल मैक्रोमॉलिक्यूलर कार्बन के अनेक संकेत दर्ज किए।
- > अध्ययन में सैकड़ों कार्बनिक संकेतों की चर्चा की गई।
- > इन संकेतों का पता SHERLOC उपकरण से लगाया गया।
- > SHERLOC पराबैंगनी लेजर और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से चट्टानों के रासायनिक घटकों का अध्ययन करता है।
- > कार्बनिक पदार्थ Bright Angel क्षेत्र में अपेक्षाकृत व्यापक रूप से पाए गए।
- > यह खोज Jezero Crater में कार्बनिक पदार्थों की व्यापकता को समझने में सहायक है।

3.5.5. जीवन का प्रमाण क्यों नहीं?

किसी कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति से यह पता नहीं चलता कि वह जीवित प्राणी से बना है या नहीं। उसके लिए कई और प्रमाण आवश्यक होंगे—

- > कार्बन के समस्थानिकों का अध्ययन।
- > जैविक अणुओं की संरचना।
- > चट्टान की भूगर्भीय आयु।
- > खनिजों के साथ रासायनिक संबंध।
- > सूक्ष्म जीवाश्म या कोशिकीय संरचना।
- > पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में स्वतंत्र परीक्षण।

कार्बनिक कार्बन मिला—जीवन का प्रमाण नहीं

मंगल पर जटिल कार्बनिक अणु मिले हैं, जो जीवन की ईंटें हो सकते हैं — लेकिन ये जीवन के अस्तित्व का प्रमाण नहीं हैं।

Jezero Crater | Neretva Vallis | Bright Angel



कार्बनिक पदार्थ

- कार्बन-आधारित जटिल अणु
- जैविक और अजैविक दोनों प्रक्रियाओं से बन सकते हैं
- मंगल पर पाए गए अणु जीवन की रसायनिकी के लिए महत्वपूर्ण संकेत.

जैविक उत्पत्ति

- सीधे तौर पर जीवों द्वारा बने होने का प्रमाण आवश्यक
- केवल कार्बनिक अणु मिलना जीवन का प्रमाण नहीं
- इसके लिए अविरलित साक्ष्य (संरचना, समस्थानिक, कोशिकीय संकेत आदि) चाहिए।

SHERLOC: परावर्तनी लेजर + Raman spectroscopy

चट्टान की सतह पर लेजर की मदद से कार्बनिक अणुओं की पहचान और उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण।

जीवन की पुष्टि के लिए अभी चाहिए

- समस्थानिक अध्ययन (कार्बन, हाइड्रोजन आदि के समस्थानिक अनुपात)
- अणु संरचना (विस्तृत रासायनिक पहचान)
- भूगर्भीय आयु (कब और कैसे बनीं ये चट्टानें)
- सूक्ष्म जीवाश्म/कोशिकीय संकेत (सूक्ष्म संरचनाओं की खोज)
- स्वतंत्र परीक्षण (अन्य उपकरणों और भविष्य के नमूना-वापसी मिशन द्वारा)

संभावित भूवैज्ञानिक परिदृश्य

प्राचीन नदी-झील प्रणाली (कभी घाँ घनी धर)

अवसादी चट्टान (नलाकट में कार्बनिक अणुओं का संश्लिष्ट होना)

रोवर विश्लेषण (SHERLOC द्वारा पहचान और अध्ययन)

सावधान: यह खोज मंगल पर जीवन का प्रमाण नहीं, बल्कि भविष्य में जीवन की संभावना को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3.5.6. महत्त्व

यह खोज मंगल ग्रह की प्राचीन रहने योग्य परिस्थितियों की समझ को बेहतर करती है। इससे भविष्य के नमूना-वापसी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण चट्टानों का चयन किया जा सकेगा।

यह खोज इस विचार को भी मजबूत करती है कि मंगल पर अरबों वर्ष पहले जल, खनिज और कार्बन आधारित रसायन उपलब्ध रहे होंगे।

3.5.7. चुनौतियाँ

- > जैविक और अजैविक स्रोत में अंतर करना।
- > मंगल की सतह पर विकिरण और ऑक्सीकरण का प्रभाव।
- > रोवर की सीमित प्रयोगशाला क्षमता।
- > पृथ्वी से मंगल तक जैविक प्रदूषण पहुँचने का खतरा।
- > नमूना-वापसी अभियान की लागत और तकनीकी कठिनाई।

3.5.8. आगे की राह

- > मंगल की चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएँ।
- > अलग-अलग देशों की प्रयोगशालाओं में स्वतंत्र अध्ययन हो।
- > ग्रह-सुरक्षा नियमों का कठोर पालन हो।
- > जैव-संकेतों के लिए कई उपकरणों से संयुक्त परीक्षण किए जाएँ।
- > कार्बनिक पदार्थों को वहाँ के खनिज और जल इतिहास के साथ जोड़कर समझा जाए।

3.5.9. प्रिलिम्स के लिए महत्त्वपूर्ण

- > रोवर : Perseverance
- > मिशन : Mars 2020
- > स्थान : Jezero Crater
- > क्षेत्र : Neretva Vallis और Bright Angel
- > उपकरण : SHERLOC

- > कार्बनिक पदार्थ जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं होते।
- > Curiosity रोवर ने Gale Crater में भी कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया है।

3.6. नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना

3.6.1. चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 16 जून 2026 को नागपुर में ₹300 करोड़ की उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना को मंजूरी दी।

इस परियोजना का उद्देश्य कैंसर की जाँच और परमाणु चिकित्सा के लिए आवश्यक रेडियोधर्मी समस्थानिकों का स्थानीय उत्पादन करना है।

3.6.2. साइक्लोट्रॉन क्या है?

साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक है। इसमें आवेशित कणों, जैसे प्रोटॉन, को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की सहायता से बहुत तेज गति दी जाती है।

इसके बाद इन तेज गति वाले कणों को किसी विशेष लक्ष्य पदार्थ से टकराया जाता है। इस प्रक्रिया से ऐसे रेडियोधर्मी समस्थानिक बनते हैं जिनका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है।

3.6.3. चिकित्सा में उपयोग

साइक्लोट्रॉन से बनने वाले कुछ रेडियोसमस्थानिकों का प्रयोग—

- > PET-CT स्कैन।
- > कैंसर की शुरुआती पहचान।
- > हृदय रोगों की जाँच।
- > मस्तिष्क संबंधी रोगों का अध्ययन।
- > लक्षित रेडियोन्यूक्लाइड उपचार।

> औषधि अनुसंधान।

में किया जाता है।

PET-CT में रेडियोधर्मी पदार्थ शरीर के भीतर पहुँचाया जाता है। जहाँ कोशिकाएँ अधिक सक्रिय होती हैं, वहाँ यह पदार्थ अधिक मात्रा में एकत्रित होता है। इससे कैंसर या अन्य रोगों का पता लगाने में सहायता मिलती है।

3.6.4. परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

- > स्थान : नागपुर, महाराष्ट्र।
- > अनुमानित लागत : ₹300 करोड़।
- > उद्देश्य : चिकित्सा रेडियोसमस्थानिकों का उत्पादन।
- > उपयोग : PET-CT और परमाणु चिकित्सा।
- > नागपुर को मध्य भारत के रेडियोऔषधि केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य।
- > परियोजना से विदर्भ के साथ-साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिल सकता है।
- > परियोजना को चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक उपयोगों से जोड़ने की संभावना है।

3.6.5. आवश्यकता क्यों?

रेडियोसमस्थानिकों की अर्ध-आयु बहुत कम होती है। इसका अर्थ है कि वे थोड़े समय में रेडियोधर्मिता खो देते हैं। इसलिए इन्हें दूर के शहरों से लाना कठिन होता है।

स्थानीय साइक्लोट्रॉन सुविधा से—

- > समय की बचत होगी।
- > रेडियोसमस्थानिकों की उपलब्धता बढ़ेगी।
- > मरीजों को दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी।
- > कैंसर की जाँच समय पर हो सकेगी।
- > चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

3.6.6. चुनौतियाँ

- > परियोजना की भारी लागत।
- > विकिरण सुरक्षा।
- > रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन।
- > प्रशिक्षित चिकित्सा भौतिकविदों की कमी।
- > समस्थानिकों के तेज परिवहन की आवश्यकता।
- > AERB और परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित सुरक्षा मंजूरीयाँ।
- > गरीब मरीजों के लिए उपचार को सस्ता बनाए रखना।

3.6.7. समाधान और आगे की राह

- > AERB के सुरक्षा मानकों का कठोर पालन।
- > चिकित्सा महाविद्यालयों में परमाणु चिकित्सा पाठ्यक्रम।
- > अस्पतालों और अनुसंधान संस्थानों का नेटवर्क।
- > रेडियोऔषधियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था।
- > सार्वजनिक अस्पतालों में सस्ती PET-CT सुविधा।
- > भारत में रेडियोऔषधि निर्माण और उपकरण उत्पादन को बढ़ावा।

3.6.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > परियोजना : High-Energy Medical Cyclotron Project
- > स्थान : नागपुर, महाराष्ट्र
- > उपयोग : PET-CT और परमाणु चिकित्सा
- > साइक्लोट्रॉन कण त्वरक है, परमाणु रिपक्टर नहीं।
- > PET : Positron Emission Tomography
- > रेडियोसमस्थानिकों की अर्ध-आयु कम होने के कारण उनका स्थानीय उत्पादन महत्वपूर्ण है।

नागपुर उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना



साइक्लोट्रॉन निदान/उपचार के लिए रेडियोआइसोटोप बनाता है।



CYCLOTRON
SCIENCE FOR A HEALTHIER TOMORROW



PET-CT

विज्ञान से बेहतर स्वास्थ्य की ओर

PEOPLE SCIENCE HOPE



आवेशित कण



विद्युत/चुंबकीय क्षेत्र



लक्ष्य पदार्थ



रेडियोआइसोटोप



PET-CT/नाभिकीय चिकित्सा



महाराष्ट्र कैबिनेट: 16 जून 2026



अनुमोदित लागत: ₹300 करोड़



परियोजना: नागपुर



कम अर्ध-आयु वाले आइसोटोप स्थानीय रूप से



उपयोग: कैंसर, हृदय और मस्तिष्क की जाँच



सुरक्षा: AERB मानक



RAINBOW IAS™
Celebrating Your Journey to Success

विज्ञान | नवाचार | स्वस्थ भारत

3.7. ICAR-IIOR की स्मार्ट बीज लेपन तकनीक

3.7.1. चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 18 जून 2026 को ICAR-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद की स्मार्ट बीज लेपन तकनीक की जानकारी जारी की।

यह तकनीक बीजों को जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, कीट और मिट्टी की खराब स्थिति से निपटने में सहायता कर सकती है।

3.7.2. पृष्ठभूमि

फसल की उत्पादकता केवल उर्वरक और सिंचाई पर निर्भर नहीं करती। बीज के अंकुरण और पौधे की शुरुआती वृद्धि का भी बहुत महत्व होता है।

बारिश पर निर्भर खेती में कई बार—

- > वर्षा देर से होती है।
- > कुछ दिन वर्षा के बाद लंबे समय तक सूखा पड़ता है।
- > मिट्टी में नमी कम होती है।
- > तापमान अचानक बढ़ जाता है।
- > बीजों पर कीट और रोग का प्रभाव पड़ता है।

इन परिस्थितियों में पौधे की प्रारंभिक वृद्धि कमजोर हो जाती है और पूरी फसल की उपज घट जाती है।

3.7.3. तकनीक कैसे काम करती है?

इस तकनीक में बीज के ऊपर जैवबहुलक (Biopolymer) से बनी अपघटनीय परत चढ़ाई जाती है।

इस परत में आवश्यकता के अनुसार शामिल किए जा सकते हैं—

- > लाभकारी सूक्ष्मजीव।
- > प्राथमिक पोषक तत्व।
- > सूक्ष्म पोषक तत्व।
- > जैव उर्वरक।
- > फसल-सुरक्षा पदार्थ।
- > पौध वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थ।

जब बीज मिट्टी में बोया जाता है, तो नमी के संपर्क में आने पर यह परत सक्रिय होती है। इससे बीज और मिट्टी के बीच एक छोटा सुरक्षित वातावरण बनता है।

3.7.4. प्रमुख विशेषताएँ

- > यह भारतीय पेटेंट वाली तकनीक है।
- > बीज की सतह पर बहु-कार्यात्मक सुरक्षा परत बनाई जाती है।

- > पोषक तत्व और सूक्ष्मजीव सीधे बीज के आसपास उपलब्ध होते हैं।
- > अंकुरण और जड़ विकास में सहायता मिलती है।
- > पौधे को शुरुआती जलवायु तनाव से सुरक्षा मिलती है।
- > यह तकनीक अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, सब्जियों और बागवानी फसलों में अनुकूलित की जा सकती है।
- > तेलंगाना में मूंगफली और सोयाबीन पर लगभग 30 प्रतिशत तक अधिक उपज दर्ज की गई।
- > विभिन्न फसलों के बहु-स्थान परीक्षणों में 12-37 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया गया।

3.7.5. महत्त्व

यह तकनीक विशेष रूप से वर्षा-आधारित खेती के लिए उपयोगी है। इससे—

- > बीज का अंकुरण बेहतर होगा।
- > दोबारा बुवाई की आवश्यकता घटेगी।
- > पोषक तत्वों का नुकसान कम होगा।
- > रासायनिक पदार्थों का अंधाधुंध प्रयोग कम हो सकता है।
- > किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।
- > जलवायु-सहिष्णु कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

3.7.6. चुनौतियाँ

- > हर फसल के लिए अलग लेपन की आवश्यकता।
- > बीज की भंडारण अवधि पर प्रभाव।
- > छोटे किसानों के लिए लागत।
- > लाभकारी सूक्ष्मजीवों की स्थिरता।
- > अलग-अलग मिट्टियों में परिणामों का अंतर।
- > बड़े पैमाने पर उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण।
- > केवल संस्थागत परीक्षणों के आधार पर उपज के दावे करना।

3.7.7. समाधान और आगे की राह

- > अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र परीक्षण।
- > स्थानीय फसलों के अनुसार लेपन विकसित करना।
- > राज्य बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम की भागीदारी।
- > किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से वितरण।
- > किसानों के खेतों में प्रदर्शन आधारित प्रशिक्षण।
- > बीज की गुणवत्ता और जैव-सुरक्षा के स्पष्ट मानक।

3.7.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > संस्था : ICAR-IIOR
- > मुख्यालय : हैदराबाद
- > तकनीक : जैवबहुलक आधारित बीज लेपन
- > यह आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीज (GMO) नहीं है।
- > यह जैविक और अजैविक दोनों तनावों से सुरक्षा में सहायक है।
- > तकनीक का संबंध जलवायु-सहिष्णु कृषि से है।

ICAR-IIOR की स्मार्ट बीज लेपन तकनीक

छोटा बीज,
बड़ी संभावनाएं
— सतत और समृद्ध खेती की ओर

लाभकारी सूक्ष्मजीव
(जैसे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले व अन्य उपयोगी सूक्ष्मजीव)

पोषक तत्व
(आवश्यक पोषक तत्व)

जैव उर्वरक
(मिट्टी की उर्वरता को सहायक)

बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर परत
(पर्यावरण के अनुकूल)

बीज (अंदर)

फसल-सुरक्षा
(रोग व अन्य हानिकारक कारकों से सुरक्षा में सहायक)

वृद्धि प्रवर्तक
(बेहतर अंकुरण और पौधे की वृद्धि में सहायता)

नमी (जल)

नमी मिलने पर परत सक्रिय होती है
और इसमें मौजूद उपयोगी घटक धीरे-धीरे उपलब्ध होते हैं।

मजबूत शुरुआत, बेहतर फसल का आधार

ICAR-IIOR, हैदराबाद
(भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान - भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान)

भारतीय पेटेंट
यह तकनीक भारतीय पेटेंट द्वारा संरक्षित है।

तेलंगाना परीक्षण: लगभग 30% अधिक उपज

बहु-स्थान परीक्षण: 12-37%

GMO नहीं
यह कोई आनुवंशिक रूप से संशोधित (GMO) तकनीक नहीं है।

जलवायु-सहिष्णु खेती
यह तकनीक जलवायु-सहिष्णु खेती को बढ़ावा देती है।

“बेहतर बीज, सुरक्षित भविष्य”

RAINBOW IAS
Establishing Your Aspirations for Excellence

3.8. प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर योजना 2026

3.8.1. चर्चा में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 2 जून 2026 को प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर योजना (PMRC Scheme) 2026 के लिए आवेदन शुरू किए।

इस योजना का उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भारत के प्रमुख संस्थानों से जोड़ना है।

3.8.2. पृष्ठभूमि

भारत में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली वैज्ञानिक विदेशों की प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। उनके पास—

- > आधुनिक प्रयोगशाला अनुभव।
- > अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क।
- > उन्नत तकनीकी ज्ञान।
- > उद्योग और विश्वविद्यालय के बीच सहयोग का अनुभव।
- > बड़े शोध अनुदानों का प्रबंधन।

जैसी विशेषज्ञताएँ हैं।

PMRC योजना का उद्देश्य विदेशों में रह रही इस प्रतिभा को भारत के शोध एवं नवाचार तंत्र से जोड़ना है। इसे प्रतिभा वापसी और “Brain Gain” के रूप में देखा जा सकता है।

3.8.3. प्रमुख विशेषताएँ

योजना में 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं, जैसे—

- > कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
- > क्वांटम कंप्यूटिंग।
- > सुपरकंप्यूटिंग।
- > सेमीकंडक्टर।
- > जैवप्रौद्योगिकी।
- > स्वास्थ्य और चिकित्सा तकनीक।

- > उन्नत पदार्थ।
- > अंतरिक्ष और रक्षा।
- > साइबर सुरक्षा।
- > कृषि एवं खाद्य तकनीक।
- > ऊर्जा।
- > जलवायु परिवर्तन।
- > परमाणु ऊर्जा।

3.8.4. तीन श्रेणियाँ

योजना के अंतर्गत शोधकर्ताओं को तीन श्रेणियों में अवसर दिया जाएगा—

1. युवा अनुसंधान फेलो
2. वरिष्ठ अनुसंधान फेलो
3. अनुसंधान चेयर

फेलो को—

- > शोध अनुदान।
- > प्रयोगशाला सुविधा।
- > अनुसंधान आधारभूत संरचना।
- > भारतीय वैज्ञानिकों के साथ सहयोग।
- > सरकारी संस्थानों और उद्योगों से जुड़ने का अवसर।

मिल सकता है।

3.8.5. सात प्रमुख संस्थान

इन संस्थानों को Lead Institutions बनाया गया है—

- > IIT दिल्ली।
- > IIT बॉम्बे।
- > IIT मद्रास।
- > IIT कानपुर।
- > IIT हैदराबाद।
- > IIT (ISM) धनबाद।
- > IISc बेंगलुरु।



3.8.6. संभावित प्रभाव

- > भारत में उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा।
- > वैश्विक वैज्ञानिकों और भारतीय विद्यार्थियों के बीच सहयोग।
- > प्रयोगशाला से बाजार तक तकनीक हस्तांतरण।
- > स्टार्टअप और उद्योगों को नई तकनीक।
- > शोध में अंतरराष्ट्रीय मानकों का विकास।
- > भारत में वैज्ञानिक नेतृत्व और मार्गदर्शन की सुविधा।
- > सेमीकंडक्टर, AI, रक्षा और जैवप्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता।

3.8.7. चुनौतियाँ

- > योजना का लाभ केवल कुछ बड़े संस्थानों तक सीमित रह जाना।
- > शोधकर्ताओं की नियुक्ति में प्रशासनिक देरी।
- > अल्पकालिक अनुदान से दीर्घकालिक परियोजनाओं का प्रभावित होना।
- > शोध स्वतंत्रता और संस्थागत नियमों के बीच संतुलन।
- > बौद्धिक संपदा और पेटेंट अधिकारों से जुड़े विवाद।
- > क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों और छोटे संस्थानों की उपेक्षा।

3.8.8. समाधान और आगे की राह

- > चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
- > क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को भी सहयोगी संस्थान बनाया जाए।
- > शोध के लिए पाँच से दस वर्ष की दीर्घकालिक वित्तीय योजना हो।
- > वैज्ञानिकों को पर्याप्त शोध स्वतंत्रता दी जाए।
- > उद्योग और स्टार्टअप के साथ संयुक्त परियोजनाएँ हों।
- > सफलता का मूल्यांकन केवल शोध-पत्रों से नहीं, बल्कि पेटेंट, तकनीक, रोजगार और सामाजिक उपयोग से हो।

3.8.9. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > PMRC का संबंध शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से है।
- > PMRC को Prime Minister's Research Fellowship (PMRF) से अलग समझें।

- > योजना भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत से जोड़ने पर केंद्रित है।

3.9. BRICS में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर सहयोग

3.9.1. चर्चा में क्यों?

24 जून 2026 को बेंगलुरु में BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक के समापन सत्र में "BRICS Space Economy" की अवधारणा प्रस्तुत की गई।

बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, उपग्रह आँकड़ों के आदान-प्रदान, अंतरिक्ष मलबे और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

3.9.2. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या है?

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में रॉकेट और उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक गतिविधियाँ शामिल होती हैं—

- > उपग्रह निर्माण।
- > रॉकेट प्रक्षेपण।
- > दूरसंचार सेवाएँ।
- > मौसम पूर्वानुमान।
- > उपग्रह संचार।
- > नेविगेशन।
- > अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट।
- > उपग्रह आँकड़ों का व्यापार।
- > अंतरिक्ष बीमा।
- > अंतरिक्ष पर्यटन।

कृषि और आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग। अर्थात् अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष से जुड़ी पूरी औद्योगिक और सेवा व्यवस्था शामिल होती है।

3.9.3. बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

- > बैठक की मेजबानी भारत ने BRICS अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत की।
- > BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी बेंगलुरु में एकत्र हुए।

- > BRICS Remote Sensing Satellite Constellation को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
- > अंतरिक्ष मलबे और मलबा-मुक्त मिशन पर विचार हुआ।
- > आपदा प्रबंधन और पृथ्वी अवलोकन में सहयोग की संभावना पर चर्चा हुई।
- > प्रस्तावित BRICS Space Council पर विचार किया गया।
- > भारतीय अंतरिक्ष उद्योग और निजी स्टार्टअप की क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया।
- > भारतीय Space Industry Brochure जारी किया गया।

3.9.4. भारत के लिए महत्त्व

भारत उपग्रहों और दूरसंवेदी आँकड़ों की सहायता से—

- > चक्रवात की निगरानी।
- > बाढ़ और भूस्खलन का आकलन।
- > फसल और सूखे की निगरानी।
- > जल संसाधनों का अध्ययन।
- > समुद्री सुरक्षा।
- > जंगल की आग की पहचान।
- > शहरी विस्तार का अध्ययन।

करता है।

यदि BRICS देशों के बीच उपग्रह आँकड़ों का साझा उपयोग बढ़ता है, तो विकासशील देशों को कम लागत में बेहतर आपदा प्रबंधन और कृषि सेवाएँ मिल सकती हैं।

3.9.5. चुनौतियाँ

- > उपग्रह आँकड़ों की गोपनीयता।
- > सैन्य और नागरिक उपयोग के बीच अंतर।
- > विभिन्न देशों की तकनीकी क्षमता में असमानता।

- > आँकड़ों के प्रारूप और मानकों में अंतर।
- > चीन और अन्य देशों के साथ रणनीतिक अविश्वास।
- > अंतरिक्ष मलबे का बढ़ता खतरा।
- > निजी कंपनियों और सरकारों के बीच नियामकीय स्पष्टता।

3.9.6. समाधान और आगे की राह

- > साझा उपग्रह आँकड़ों के लिए स्पष्ट नियम।
- > आपदा प्रबंधन के लिए संयुक्त उपग्रह सेवाएँ।
- > अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए समान मानक।
- > संयुक्त प्रशिक्षण और वैज्ञानिक आदान-प्रदान।
- > BRICS देशों के विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों को जोड़ना।
- > छोटे और नए सदस्य देशों के लिए तकनीकी सहायता।
- > अंतरिक्ष गतिविधियों में पारदर्शिता और जिम्मेदार व्यवहार।

3.9.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > HOSA : Heads of Space Agencies
- > RSSC : Remote Sensing Satellite Constellation
- > बैठक : बेंगलुरु
- > भारत की अंतरिक्ष एजेंसी : ISRO
- > IN-SPACe निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित संस्था है।
- > अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उपग्रह, प्रक्षेपण और उपग्रह आधारित सेवाएँ शामिल होती हैं।



3.10. चीन का LineShine बना दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर

3.10.1. चर्चा में क्यों?

23 जून 2026 को जारी TOP500 सूची में चीन का LineShine सुपरकंप्यूटर पहले स्थान पर रहा। इसने अमेरिका के El Capitan को पीछे छोड़ दिया।

यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि LineShine ने मुख्य रूप से CPU आधारित संरचना का प्रयोग करते हुए यह प्रदर्शन हासिल किया है।

3.10.2. सुपरकंप्यूटर और एक्साफ्लॉप

सुपरकंप्यूटर ऐसी कंप्यूटिंग प्रणाली होती है जो एक साथ करोड़ों गणनाएँ कर सकती है। इसका उपयोग उन समस्याओं को हल करने में किया जाता है जिन्हें सामान्य कंप्यूटरों से हल करने में बहुत अधिक समय लगेगा।

एक्साफ्लॉप प्रति सेकंड 10^{18} फ्लोटिंग-प्वाइंट गणनाओं को दर्शाता है। इसे सरल भाषा में प्रति सेकंड एक क्विंटिलियन गणना के बराबर समझा जा सकता है।

3.10.3. LineShine की प्रमुख विशेषताएँ

- > स्थान : Shenzhen, चीन।
- > संस्थान : National Supercomputing Centre in Shenzhen।
- > TOP500 में स्थान : पहला।
- > प्रदर्शन : 2.198 एक्साफ्लॉप प्रति सेकंड।
- > परीक्षण : HPL यानी High Performance Linpack।
- > कोर : लगभग 1.38 करोड़।
- > संरचना : पूरी तरह CPU आधारित।
- > बिजली खपत : लगभग 42.2 मेगावाट।
- > El Capitan लगभग 1.809 एक्साफ्लॉप के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- > यह TOP500 में दो एक्साफ्लॉप से अधिक प्रदर्शन करने वाली पहली प्रणाली बनी।

3.10.4. CPU और GPU में अंतर

CPU सामान्य और विविध प्रकार की गणनाओं के लिए उपयोगी होता है। GPU एक ही प्रकार की बहुत बड़ी संख्या में गणनाएँ एक साथ करने में अधिक प्रभावी होता है। इस कारण आधुनिक AI प्रणालियों में GPU का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है।

LineShine का CPU आधारित होना यह दिखाता है कि उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग केवल GPU पर निर्भर नहीं है। अलग-अलग वैज्ञानिक कार्यों के लिए अलग-अलग वास्तुशिल्प उपयोगी हो सकते हैं।

3.10.5. उपयोग

सुपरकंप्यूटर का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा सकता है—

- > मौसम और जलवायु मॉडल।
- > चक्रवात और बाढ़ का पूर्वानुमान।
- > नई दवाओं की खोज।

- > परमाणु और नाभिकीय अनुसंधान।
- > नए पदार्थों का विकास।
- > अंतरिक्ष मिशनों का अनुकरण।
- > कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल का प्रशिक्षण।
- > साइबर सुरक्षा।
- > रक्षा अनुसंधान।
- > भूकंप और आपदा मॉडलिंग।

3.10.6. चीन के लिए महत्त्व

LineShine चीन की स्वदेशी चिप, नेटवर्क और उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग क्षमता को दर्शाता है। यह ऐसे समय में विकसित हुआ है जब उन्नत कंप्यूटिंग चिपों की वैश्विक आपूर्ति पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं।

यह उपलब्धि तकनीकी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

3.10.7. चुनौतियाँ

- > 42.2 मेगावाट बिजली की बहुत अधिक खपत।
- > शीतलन व्यवस्था की आवश्यकता।
- > स्थापना और संचालन की अत्यधिक लागत।
- > सॉफ्टवेयर को विशेष रूप से अनुकूलित करना।
- > साइबर सुरक्षा।
- > बड़े आँकड़ों का भंडारण और स्थानांतरण।
- > HPL प्रदर्शन वास्तविक वैज्ञानिक कार्यों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता।

3.10.8. समाधान और आगे की राह

- > ऊर्जा-कुशल प्रोसेसर का विकास।
- > द्रव आधारित शीतलन प्रणाली।
- > स्वदेशी नेटवर्क और मेमोरी तकनीक।
- > शोधकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं की आसान उपलब्धता।
- > HPL के साथ-साथ अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों पर भी प्रदर्शन मापना।
- > सुपरकंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच बेहतर समन्वय।

3.10.9. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > सूची : TOP500
- > LineShine : चीन
- > स्थान : Shenzhen
- > दूसरा स्थान : El Capitan, अमेरिका
- > HPL : High Performance Linpack
- > एक एक्साफ्लॉप = 10^{18} गणनाएँ प्रति सेकंड
- > CPU सामान्य गणना के लिए और GPU समानांतर गणना के लिए अधिक उपयोगी होता है।
- > TOP500 सूची सामान्यतः वर्ष में दो बार जारी की जाती है।

LineShine:
दुनिया का सबसे तेज सुपरकंप्यूटर
अधिक शक्ति • व्यापक खोज • बेहतर कल के लिए

तेज़ गणना
बड़ी संभावनाएँ
मानवता के लिए

शेनझेन, चीन

जहाँ गणना भविष्य को गति देती है

वैश्विक लीडरबोर्ड (TOP500)

Rank	System	TOP500: 23 जून 2026 — #1
1	LineShine	शेनझेन, चीन
2	El Capitan	1.809 exaflops — #2

2.198 exaflops
लगभग 1.38 करोड़ CPU कोर
42.2 MW
CPU-only
HPL benchmark

आज की गणना शक्ति कल की बेहतर दुनिया

CPU vs GPU: एक नज़र में

CPU	GPU
• जटिल कार्यों में मजबूत	• अत्यधिक समानांतर कार्यों में तेज़
• सामान्य उद्देश्य (General purpose)	• विशेष रूप से AI/ML में उपयोगी
• उच्च न्यूनतम	• उच्च क्षमता

दोनों की अपनी-अपनी ताकत है, और उपयोग के अनुसार सही विकल्प चुना जाता है।

मुख्य अनुप्रयोग: मौसम, दवा खोज, परमाणु, AI, अंतरिक्ष, साइबर/रक्षा

1 exaflop = 10^{18} गणनाएँ/सेकंड
यह 1 सेकंड में एक क्विंटिलियन (10^{15}) गणनाएँ करने के बराबर है।

SCIENCE PEOPLE A BETTER TOMORROW

आज की करंट अफेयर्स कल के लिए तैयार भारत

RAINBOW IAS

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

IR थ्योरी बॉक्स

यथार्थवाद: देश अपनी शक्ति और सुरक्षा बढ़ाकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं।

उदार संस्थागतवाद: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, नियम और समझौते देशों के बीच सहयोग बढ़ाते हैं।

जटिल परस्पर निर्भरता: व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, प्रवासन और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़े हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता: भारत किसी एक गुट में शामिल हुए बिना अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग साझेदारों से सहयोग करता है।

मानव सुरक्षा: सुरक्षा में नागरिक, नाविक, ऊर्जा, खाद्य, साइबर और स्वास्थ्य सुरक्षा भी शामिल हैं।

4.1. भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग

4.1.1. चर्चा में क्यों?

1 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा **रक्षा मंत्रियों का संवाद** आयोजित हुआ। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई।

4.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री संचार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही समुद्री मार्गों की सुरक्षा, समुद्री संसाधनों और नियम-आधारित व्यवस्था में रुचि रखते हैं।

समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, पनडुब्बी गतिविधियाँ, समुद्री आतंकवाद और समुद्री संचार-केबल की सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ दोनों देशों के सहयोग को आवश्यक बनाती हैं।

4.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को अंतिम रूप देने पर सहमति।
- > समुद्री गश्ती विमानों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र-जागरूकता बढ़ाना।
- > समुद्र के नीचे की गतिविधियों और पनडुब्बियों की निगरानी पर सहयोग।
- > भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया के Maritime Border Command के बीच संपर्क।
- > दोनों देश IORA के Maritime Safety and Security Working Group के सह-प्रमुख हैं।
- > चेन्नई में समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास।
- > रक्षा सामग्री और रक्षा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित समझौते पर काम।
- > Austrahind, Operation Render Safe, Black Carillon और Pitch Black जैसे अभ्यास।
- > हिंद महासागर के लिए साझा परिचालन चित्र तैयार करने का प्रयास।
- > क्वाड के Indo-Pacific Maritime Domain Awareness प्रयासों को मजबूत करना।

4.1.4. संबंधित IR थ्योरी

यह सहयोग **समुद्री क्षेत्र-जागरूकता (Maritime Domain Awareness)** और **साझा क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तु** की अवधारणा से जुड़ा है।

समुद्र में सुरक्षित आवागमन किसी एक देश का हित नहीं है। यदि समुद्री मार्ग सुरक्षित हैं तो पूरे क्षेत्र के व्यापार, ऊर्जा और विकास को लाभ मिलता है।

यह भारत की **बहु-संरक्षण नीति** का भी उदाहरण है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग कर रहा है, लेकिन किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बन रहा।



4.1.5. भारत पर प्रभाव

- > हिंद महासागर में संदिग्ध जहाजों और पनडुब्बियों की बेहतर निगरानी।
- > समुद्री डकैती, मानव तस्करी और अवैध मछली पकड़ने पर नियंत्रण।
- > प्राकृतिक आपदा के समय संयुक्त राहत अभियान।
- > समुद्री व्यापार मार्ग और संचार-केबल सुरक्षित होंगे।
- > ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा।
- > क्वाड के समुद्री सहयोग को व्यावहारिक क्षमता मिलेगी।

4.1.6. चुनौतियाँ

- > संवेदनशील समुद्री सूचना साझा करने में साइबर सुरक्षा जोखिम।
- > दोनों देशों की सैन्य प्रक्रियाओं और प्राथमिकताओं में अंतर।
- > समुद्र के नीचे की निगरानी के लिए महँगी तकनीक की आवश्यकता।
- > छोटे हिंद महासागर देशों में अत्यधिक सैन्यीकरण की चिंता।
- > बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है।

4.1.7. समाधान

- > सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड सूचना-साझाकरण प्रणाली बनाई जाए।
- > नौसेना के साथ तटरक्षक और नागरिक एजेंसियों को भी अभ्यासों में शामिल किया जाए।
- > छोटे द्वीपीय देशों को निगरानी और खोज-बचाव की क्षमता दी जाए।
- > समुद्री सहयोग को UNCLOS और नौवहन की स्वतंत्रता से जोड़ा जाए।

4.1.8. आगे की राह

भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग को केवल सैन्य अभ्यासों तक सीमित न रखकर समुद्री पर्यावरण, समुद्री प्रदूषण, जलवायु आपदा और नीली अर्थव्यवस्था तक बढ़ाना चाहिए।

4.1.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > दूसरा भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का संवाद : नई दिल्ली।
- > IORA : Indian Ocean Rim Association
- > MDA : Maritime Domain Awareness
- > IFC-IOR : Information Fusion Centre-Indian Ocean Region
- > MLSA : Mutual Logistics Support Arrangement
- > Austrahind : भारत-ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास

4.2. भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी

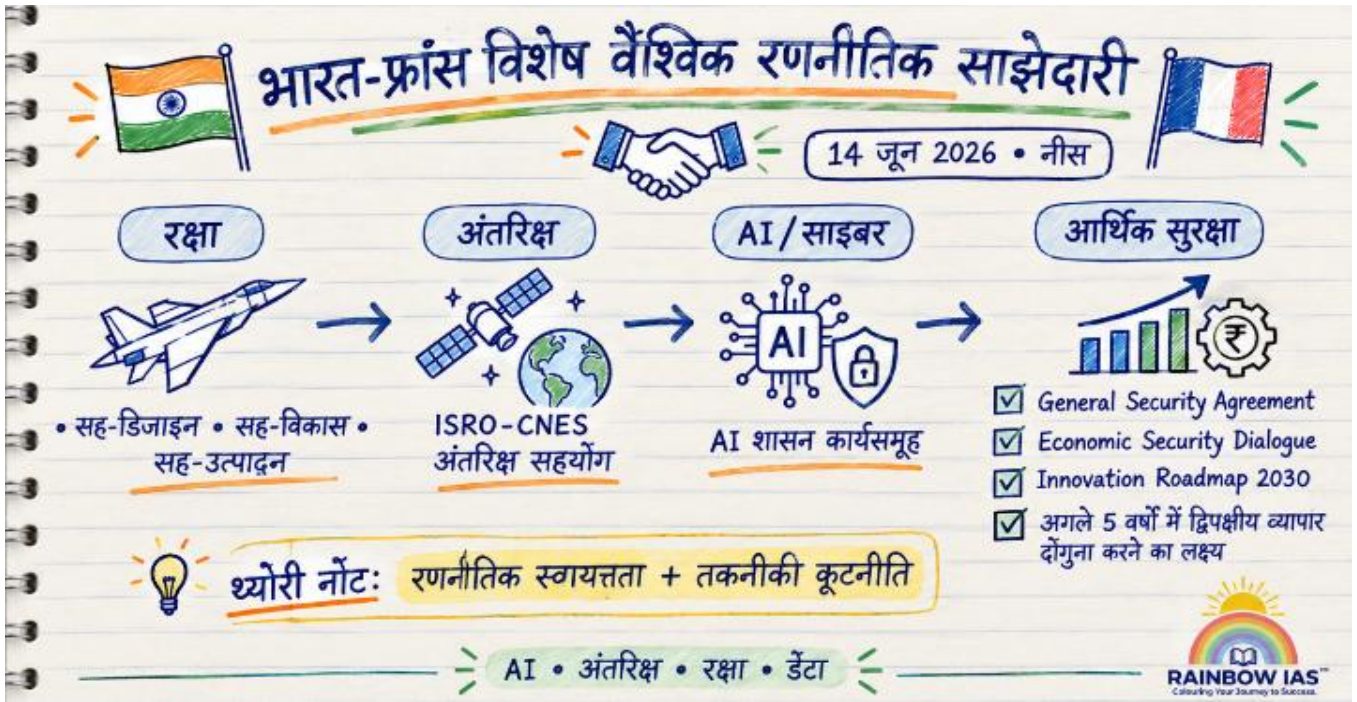
4.2.1. चर्चा में क्यों?

14 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से नीस में मुलाकात की। यह बैठक भारत-फ्रांस संबंधों को **विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी** तक बढ़ाए जाने के बाद हुई।

4.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद-रोधी कार्रवाई और हिंद महासागर में लंबे समय से सहयोग है।

अब दोनों देशों के संबंध पारंपरिक रक्षा खरीद से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, डेटा और आर्थिक सुरक्षा तक पहुँच गए हैं।



4.2.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > रक्षा क्षेत्र में सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन।
- > उन्नत रक्षा तकनीकों में सहयोग।
- > मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता।
- > India-France Innovation Roadmap 2030।
- > AI शासन पर संयुक्त कार्यसमूह।
- > गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा के लिए General Security Agreement।
- > Economic Security Dialogue।
- > ISRO-CNES के बीच अंतरिक्ष सहयोग।
- > स्वास्थ्य डेटा, डिजिटल विज्ञान और उच्च गति रेल में सहयोग।
- > अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य।

4.2.4. संबंधित IR थ्योरी

यह खबर **रणनीतिक स्वायत्तता** और **तकनीकी कूटनीति** का अच्छा उदाहरण है।

भारत फ्रांस के साथ रक्षा और उन्नत तकनीक में सहयोग कर रहा है, लेकिन किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बन रहा। इससे भारत को अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

आज AI, अंतरिक्ष, डेटा और साइबर तकनीक केवल विकास के विषय नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के साधन भी हैं।

4.2.5. भारत पर प्रभाव

- > रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
- > उन्नत तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग।
- > उपग्रहों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा मजबूत।
- > AI और साइबर सुरक्षा में संस्थागत साझेदारी।
- > हिंद महासागर में फ्रांस के साथ बेहतर समन्वय।
- > यूरोप में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत।

4.2.6. चुनौतियाँ

- > तकनीक हस्तांतरण की वास्तविक सीमा।
- > रक्षा परियोजनाओं में लागत और समय की समस्या।
- > संवेदनशील डेटा और गोपनीय सूचना की सुरक्षा।
- > यूरोपीय संघ के डेटा और निर्यात नियम।
- > सह-उत्पादन में भारतीय उद्योगों की सीमित क्षमता।

4.2.7. समाधान

- > रक्षा समझौतों में स्पष्ट तकनीक हस्तांतरण प्रावधान।
- > भारतीय निजी उद्योग और स्टार्टअप को परियोजनाओं में शामिल करना।
- > AI सहयोग में पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा।
- > अंतरिक्ष मलबे और उपग्रह सुरक्षा पर साझा नियम।
- > संयुक्त अनुसंधान केंद्रों और कौशल विकास पर जोर।

4.2.8. आगे की राह

भारत-फ्रांस संबंधों को रक्षा खरीद से आगे बढ़ाकर रक्षा निर्माण, अंतरिक्ष अनुसंधान, AI शासन, समुद्री सुरक्षा और संवेदनशील तकनीक की दीर्घकालिक साझेदारी बनाना चाहिए।

4.2.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी : CNES।
- > भारत की अंतरिक्ष एजेंसी : ISRO।
- > प्रमुख सहयोग : AI, अंतरिक्ष, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा।
- > General Security Agreement: गोपनीय सूचना की सुरक्षा से संबंधित।
- > Innovation Roadmap: 2030 तक सहयोग की दिशा।

4.3. G7 शिखर सम्मेलन और भारत की वैश्विक दक्षिण कूटनीति

4.3.1. चर्चा में क्यों?

G7 शिखर सम्मेलन 15-17 जून 2026 को फ्रांस के एवियां में आयोजित हुआ। भारत को लगातार आठवीं बार अतिथि/साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया।

4.3.2. पृष्ठभूमि और कारण

G7 दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अनौपचारिक समूह है। इसका कोई औपचारिक सचिवालय या बाध्यकारी संधि नहीं है, फिर भी इसके निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

भारत को आमंत्रित किए जाने से उसे वैश्विक दक्षिण की समस्याओं को विकसित देशों के मंच पर रखने का अवसर मिला।

4.3.3. प्रमुख विशेषताएँ

सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा हुई—

- > संतुलित और सतत आर्थिक विकास।
- > वैश्विक दक्षिण के साथ नई साझेदारियाँ।
- > महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति-श्रृंखला।
- > बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण।
- > मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी।
- > मादक पदार्थों की तस्करी।
- > वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा।
- > होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवागमन।

G7 ने होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का समर्थन किया।

4.3.4. संबंधित IR थ्योरी

G7 लघु-बहुपक्षवाद (Minilateralism) का उदाहरण है। इसमें सीमित संख्या वाले प्रभावशाली देश किसी विशिष्ट मुद्दे पर तेजी से सहयोग करते हैं।

भारत की भागीदारी बहु-संरेखण को दर्शाती है। भारत G7 से संवाद भी करता है और G20, BRICS तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को भी महत्व देता है।

4.3.5. भारत पर प्रभाव

- > वैश्विक दक्षिण की समस्याओं को विकसित देशों के मंच पर रखने का अवसर।
- > महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग।

- > डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत का अनुभव साझा करने का अवसर।
- > ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर भारत की भूमिका मजबूत।
- > G20 और G7 के बीच संवाद का पुल बनने की संभावना।

4.3.6. चुनौतियाँ

- > G7 में विकासशील देशों का सीमित प्रतिनिधित्व।
- > घोषणाएँ कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं।
- > विकसित और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं में अंतर।
- > महत्वपूर्ण खनिजों के नाम पर संरक्षणवाद।
- > G7 और G20 के बीच संभावित दोहराव।

4.3.7. समाधान

- > G7 को संयुक्त राष्ट्र और G20 के साथ अधिक समन्वित किया जाए।
- > विकासशील देशों को वित्त और तकनीक हस्तांतरण दिया जाए।
- > महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति-श्रृंखला को पारदर्शी बनाया जाए।
- > घोषणाओं को वास्तविक परियोजनाओं में बदला जाए।

4.3.8. आगे की राह

भारत को G7 जैसे मंचों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ विकासशील देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

4.3.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > सम्मेलन का स्थान : एवियान, फ्रांस।
- > भारत : लगातार आठवीं बार आमंत्रित अतिथि।
- > सदस्य : कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका।
- > यूरोपीय संघ बैठकों में भाग लेता है।
- > G7 संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है।
- > 2014 के बाद रूस की अनुपस्थिति के कारण G8 के स्थान पर G7।

G7 शिखर सम्मेलन और भारत की वैश्विक दक्षिण कूटनीति

15-17 जून 2026 • एवियान, फ्रांस

ÉVIAN FRANCE

संवाद से समृद्धि की एक साझा दुनिया

PEOPLE
PLANET
PROSPERITY
TOGETHER

BRIDGING PARTNERSHIPS
FOR A FAIRER WORLD

G7
SHARED SOLUTIONS

GLOBAL SOUTH
A STRONGER TOMORROW

G7 = 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएँ + EU भागीदारी

अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन + यूरोपीय संघ

G7 संयुक्त राष्ट्र संस्था नहीं है

यह एक अनौपचारिक राजनीतिक गंघ है।

भारत: लगातार 8वीं बार अतिथि/साझेदार

वैश्विक मुद्दों पर भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का प्रतीक।

लघु-बहुपक्षवाद (Minilateralism)

छोटे, लक्ष्य-आधारित समूहों के माध्यम से तेज और व्यावहारिक सहयोग।

महत्वपूर्ण खनिज • डिजिटल सुरक्षा • वैश्विक स्वास्थ्य

समावेशी, सुरक्षित और लचीली वैश्विक आपूर्ति व मानव कल्याण के लिए सहयोग।

होर्मुज: सुरक्षित नौवहन

खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा का समर्थन।

सिद्धांत (थ्योरी)

भारत की बहु-संरेखण नीति

विभिन्न गंघों और शरीरों के साथ पूरक, अतिरिक्त, द्वि-आधारित सहयोग — एक संयुक्त, स्वतंत्र और स्वतंत्र विश्व नीति की ध्वजा।

G7: सीमित समूह

G20: व्यापक प्रतिनिधित्व

4.4. भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता

4.4.1. चर्चा में क्यों?

17 जून को G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते को 2026 के अंत तक आगे बढ़ाने, निवेश समझौते को तेज करने, रक्षा सहयोग और IMEC को मजबूत करने पर सहमति जताई।

4.4.2. पृष्ठभूमि और कारण

यूरोपीय संघ चीन पर निर्भरता कम करने और विश्वसनीय आपूर्ति-श्रृंखला साझेदारों की तलाश कर रहा है। भारत को यूरोप के बड़े बाजार, निवेश और तकनीक की आवश्यकता है।

इसलिए भारत-EU संबंध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल नियम, हरित तकनीक और समुद्री संपर्क तक फैल रहे हैं।

4.4.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > व्यापार वातावरण जनवरी 2026 में पूरी हुई।
- > लगभग 90 प्रतिशत शुल्कों में कमी या समाप्ति का प्रस्ताव।
- > वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में बेहतर पहुँच।
- > निवेश और आपूर्ति-श्रृंखला सहयोग।
- > समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स में अवसर।
- > IMEC को आगे बढ़ाने पर सहमति।
- > हरित तकनीक और डिजिटल व्यापार में सहयोग।
- > आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण पर जोर।

4.4.4. संबंधित IR थ्योरी

यह **जटिल परस्पर निर्भरता** और **भू-अर्थशास्त्र** का उदाहरण है।

व्यापार अब केवल आर्थिक विषय नहीं रह गया है। बाजार, तकनीक, डेटा, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ गए हैं।

यूरोपीय संघ अपने पर्यावरण, डेटा और उत्पाद मानकों के माध्यम से वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। इसे उसकी **नियामक शक्ति** कहा जाता है।

4.4.5. भारत पर प्रभाव

- > वस्त्र, दवा, इंजीनियरिंग और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि।
- > यूरोपीय निवेश और तकनीक प्राप्त होने की संभावना।
- > चीन पर निर्भरता कम करने का अवसर।
- > स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी और हरित हाइड्रोजन में सहयोग।
- > भारतीय पेशेवरों और सेवा क्षेत्र को लाभ।
- > IMEC के माध्यम से संपर्क और लॉजिस्टिक्स में सुधार।

4.4.6. चुनौतियाँ

- > यूरोपीय कार्बन और पर्यावरणीय मानकों का पालन।
- > भारतीय MSME पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव।
- > कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा।
- > डेटा संरक्षण और डिजिटल व्यापार नियम।
- > समझौते के अनुमोदन में देरी।
- > गैर-शुल्क व्यापार बाधाएँ।

4.4.7. समाधान

- > संवेदनशील क्षेत्रों में क्रमिक शुल्क कटौती।
- > MSME के लिए प्रमाणन और गुणवत्ता सुधार सहायता।
- > भारतीय उद्योगों को यूरोपीय पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप बनाना।
- > पेशेवरों की आवाजाही और सामाजिक सुरक्षा पर स्पष्ट नियम।
- > विवाद निपटान की प्रभावी व्यवस्था।

4.4.8. आगे की राह

भारत को इस समझौते को केवल निर्यात बढ़ाने का साधन न मानकर तकनीकी उन्नयन, रोजगार, आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण और आर्थिक सुरक्षा के माध्यम के रूप में देखना चाहिए।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता

G7 बैठक • 17 जून 2026

वार्ताएँ पूरी: जनवरी 2026

लगभग 90% शुल्कों में कमी/समाप्ति का प्रस्ताव

वस्तु + सेवा बाजार पहुँच

निवेश और आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण

IMEC

H₂ हरित तकनीक • डिजिटल व्यापार

2026 के अंत तक आगे बढ़ाने का लक्ष्य

जून 2026 तक समझौता लागू नहीं हुआ था

जटिल परस्पर निर्भरता + भू-अर्थशास्त्र

FTA और CEPA को समान न समझें

साक्षा विकास | सुरक्षित आपूर्ति-श्रृंखला | हरित एवं डिजिटल भविष्य

RAINBOW IAS

4.4.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > वातपिं पूरी : जनवरी 2026।
- > जून 2026 तक समझौता लागू नहीं हुआ था।
- > प्रमुख संपर्क परियोजना : IMEC।
- > प्रमुख सिद्धांत : भू-अर्थशास्त्र और आर्थिक सुरक्षा।
- > FTA और CEPA को समान न समझें।

4.5. सेशेल्स यात्रा और हिंद महासागर सुरक्षा

4.5.1. चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27-29 जून 2026 को सेशेल्स की राजकीय यात्रा की। भारत ने सेशेल्स के साथ समुद्री सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, कृषि, कौशल और आधारभूत संरचना में सहयोग बढ़ाया।

4.5.2. पृष्ठभूमि और कारण

सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। इसकी स्थिति समुद्री व्यापार मार्गों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, समुद्री संसाधनों और समुद्री निगरानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

छोटे द्वीपीय देशों को तटरक्षक क्षमता, आपदा राहत, समुद्री निगरानी और स्वास्थ्य क्षेत्र में बाहरी सहयोग की आवश्यकता रहती है।

4.5.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > राजनयिक प्रशिक्षण पर समझौता।
- > डिजिटल भुगतान सहयोग।
- > कृषि अनुसंधान और शिक्षा।
- > नाविकों के प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्रों की मान्यता।
- > अंतरिक्ष सहयोग।
- > प्रत्यर्पण संधि।
- > लगभग ₹1,250 करोड़ की छतरी ऋण-रेखा।
- > सेशेल्स को पाँच समुद्री गश्ती नावें और छह एम्बुलेंस।

- > INS Tarkash और INS Ikshak का पोर्ट विक्टोरिया पहुँचना।
- > जल सर्वेक्षण और समुद्री मानचित्रण में सहयोग।

4.5.4. संबंधित IR थ्योरी

यह भारत की **SAGAR** और **MAHASAGAR** नीति से जुड़ा है।

- > **SAGAR**— Security and Growth for All in the Region
- > **MAHASAGAR**— Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions

यहाँ भारत समुद्री सुरक्षा को विकास, स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग और क्षमता निर्माण से जोड़ रहा है।

4.5.5. भारत पर प्रभाव

- > पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति मजबूत।
- > समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने पर नियंत्रण।
- > सेशेल्स की तटरक्षक क्षमता में वृद्धि।
- > आपदा राहत और मानवीय सहायता में सहयोग।
- > नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री संसाधनों का विकास।
- > अफ्रीकी द्वीपीय देशों में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

4.5.6. चुनौतियाँ

- > सेशेल्स की सीमित वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता।
- > उपलब्ध कराए गए उपकरणों के रख-रखाव की आवश्यकता।
- > बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच सेशेल्स की स्वायत्तता।
- > ऋण-आधारित परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता।
- > समुद्री परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव।

सेशेल्स यात्रा और हिंद महासागर सुरक्षा

27-29 जून 2026

Port Victoria

Seychelles

पश्चिमी हिंद महासागर

SAGAR: क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास

MAHASAGAR: पारस्परिक और समग्र उन्नति

₹1,250 करोड़ की छतरी ऋण-रेखा

5 समुद्री गश्ती नावें + 6 एम्बुलेंस

सिद्धांत / थ्योरी

सुरक्षा + विकास साझेदारी

सावधानी

Line of Credit = रियायती ऋण, अनुदान नहीं

Blue Economy Brighter Futures

सुरक्षित महासागर, समृद्ध भविष्य

RAINBOW IAS

4.5.7. समाधान

- > उपकरणों के साथ दीर्घकालिक प्रशिक्षण और रख-रखाव।
- > साझा समुद्री निगरानी प्रणाली।
- > स्थानीय समुदायों को नीली अर्थव्यवस्था में शामिल करना।
- > परियोजनाओं में पारदर्शिता और पर्यावरणीय मूल्यांकन।
- > आपदा राहत के लिए पूर्व-तैनात मानवीय सहायता।

4.5.8. आगे की राह

भारत को सेशेल्स जैसे देशों के साथ संबंधों में केवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में कार्य करना चाहिए।

4.5.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > राजधानी : विक्टोरिया।
- > क्षेत्र : पश्चिमी हिंद महासागर।
- > प्रमुख अवधारणा : SAGAR और MAHASAGARI
- > सहयोग : डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, प्रत्यर्पण और समुद्री सुरक्षा।
- > Line of Credit अनुदान नहीं, बल्कि रियायती ऋण होता है।

4.6. होर्मुज़ जलडमरूमध्य और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

4.6.1. चर्चा में क्यों?

विदेश मंत्रालय ने जून 2026 की साप्ताहिक ब्रीफिंग में बताया कि 17 जून के ईरान-अमेरिका समझौता-जापान के बाद 11 भारत-गामी जहाजों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य पार किया।

4.6.2. पृष्ठभूमि और कारण

होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। पश्चिम एशिया से भारत आने वाला कच्चा तेल, LNG, LPG, पेट्रो-रसायन और अन्य माल इसी समुद्री क्षेत्र से होकर आता है।

यदि इस मार्ग में तनाव या अवरोध पैदा होता है तो जहाजों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ सकता है। इससे मालभाड़ा, बीमा, तेल की कीमत और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है।

4.6.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > होर्मुज़ विश्व का महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग है।
- > किसी भी सैन्य तनाव से तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- > जहाजों के बीमा और मालभाड़े में वृद्धि हो सकती है।
- > भारतीय नाविकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- > G7 ने होर्मुज़ में सुरक्षित और निबंधित आवागमन का समर्थन किया।
- > यह क्षेत्र पश्चिम एशिया की भू-राजनीति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है।

4.6.4. संबंधित IR थ्योरी

यह **चोकपॉइंट भू-राजनीति** का उदाहरण है। चोकपॉइंट ऐसे संकरे समुद्री मार्ग को कहते हैं, जहाँ किसी भी अवरोध का प्रभाव पूरे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ सकता है।

यह **मानव सुरक्षा** से भी जुड़ा है क्योंकि जहाजों के नाविक, नागरिक और प्रवासी भारतीय सीधे जोखिम में आते हैं।

4.6.5. भारत पर प्रभाव

- > कच्चे तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि।
- > पेट्रोलियम, उर्वरक और रसायन उद्योग पर दबाव।
- > आयातित वस्तुओं का मालभाड़ा बढ़ना।
- > मुद्रास्फीति और चालू खाते पर प्रभाव।
- > भारतीय नौसेना और टटरक्षक बल की निगरानी आवश्यकता।
- > पश्चिम एशिया से भारतीय नागरिकों की निकासी का प्रश्न।

4.6.6. चुनौतियाँ

- > जलडमरूमध्य के बंद या सीमित होने का खतरा।
- > ड्रोन, मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंग।
- > बीमा तथा भुगतान पर प्रतिबंधों का असर।
- > वैकल्पिक समुद्री मार्गों की अधिक लागत।
- > ऊर्जा आयात में अत्यधिक क्षेत्रीय निर्भरता।

4.6.7. समाधान

- > रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को मजबूत किया जाए।
- > ऊर्जा स्रोतों और आपूर्तिकर्ता देशों में विविधता लाई जाए।
- > नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जाए।
- > भारतीय जहाजों के लिए स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जाएँ।
- > पश्चिम एशिया में संतुलित और सक्रिय कूटनीति अपनाई जाए।
- > भारतीय नाविकों के लिए त्वरित संपर्क और निकासी तंत्र तैयार हो।

4.6.8. आगे की राह

भारत को ऊर्जा सुरक्षा को केवल तेल भंडारण का विषय न मानकर कूटनीति, नौसैनिक क्षमता, वैकल्पिक ऊर्जा और आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण से जोड़ना होगा।

4.6.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > होर्मुज़ का संबंध : फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी।
- > क्षेत्र : ईरान और ओमान के बीच।
- > प्रमुख महत्व : तेल, गैस और समुद्री व्यापार।
- > बाब-अल-मंदेब : लाल सागर और अदन की खाड़ी का संपर्क।
- > मलक्का : हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का महत्वपूर्ण मार्ग।
- > होर्मुज़ और बाब-अल-मंदेब को एक न समझें।



4.7. तीन स्वदेशी नौसैनिक पोतों की कमीशनिंग

4.7.1. चर्चा में क्यों?

21 जून 2026 को प्रधानमंत्री ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नौसैनिक पोतों को नौसेना में शामिल किया।

4.7.2. पृष्ठभूमि और कारण

भारत की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताएँ लगातार बढ़ रही हैं। समुद्री व्यापार, तटीय क्षेत्र, समुद्री संसाधन, संचार-केबल और पनडुब्बी गतिविधियों की निगरानी के लिए आधुनिक नौसेना आवश्यक है।

4.7.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > **INS Dunagiri** — उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट; बहु-भूमिका समुद्री युद्ध के लिए।
- > **INS Sanshodhak** — बड़ा जल सर्वेक्षण पोत; समुद्री मानचित्रण और हाइड्रोग्राफी के लिए।
- > **INS Agray** — उथले जल का पनडुब्बी-रोधी पोत; तटीय सुरक्षा के लिए।
- > डिजाइन : Navy Warship Design Bureau।
- > निर्माण : Garden Reach Shipbuilders & Engineers, कोलकाता।
- > स्वदेशी सामग्री : 75 प्रतिशत से अधिक।
- > 200 से अधिक MSME इकाइयों की भागीदारी।
- > 21 जून को विश्व जल सर्वेक्षण दिवस भी मनाया जाता है।

4.7.4. संबंधित IR थ्योरी

यह खबर समुद्री शक्ति, निवारण और आत्मनिर्भर रक्षा से जुड़ी है।

नौसैनिक शक्ति केवल युद्ध के समय उपयोगी नहीं होती। यह व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, समुद्री संसाधनों की रक्षा, आपदा राहत और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक है।

घरेलू डिजाइन और निर्माण भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करते हैं तथा विदेशी निर्भरता कम करते हैं।

4.7.5. भारत पर प्रभाव

- > तटीय सुरक्षा मजबूत होगी।
- > पनडुब्बी-रोधी क्षमता बढ़ेगी।
- > समुद्री मानचित्रण और गहरे समुद्र के सर्वेक्षण में सहायता।
- > रक्षा उद्योग और MSME क्षेत्र को बढ़ावा।
- > विदेशी आयात पर निर्भरता कम।
- > समुद्री आपदा और मानवीय सहायता में उपयोग।

4.7.6. चुनौतियाँ

- > इंजन और कुछ संवेदनशील प्रणालियों में विदेशी निर्भरता।
- > जहाज निर्माण में समय और लागत बढ़ना।
- > प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता।
- > रख-रखाव और आधुनिकीकरण का खर्च।
- > जहाजों को उपग्रह और साझा निगरानी नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता।

4.7.7. समाधान

- > स्वदेशी इंजन, सेंसर और हथियार प्रणालियों पर निवेश।
- > निजी उद्योग और स्टार्टअप को रक्षा आपूर्ति-श्रृंखला में शामिल करना।
- > नौसेना, तटरक्षक और बंदरगाहों के बीच साझा निगरानी।
- > समुद्री साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
- > जीवन-चक्र रख-रखाव की व्यवस्था पहले से तैयार करना।

तीन स्वदेशी नौसैनिक पोतों की कमीशनिंग



21 जून 2026
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह,
कोलकाता



डिजाइन:
Navy Warship
Design Bureau



निर्माण:
GRSE, कोलकाता



75% से अधिक
स्वदेशी सामग्री



200+
MSME इकाइयाँ

INS Dunagiri

स्टील्य फ्रिगेट



INS Sanshodhak

जल सर्वेक्षण/ हाइड्रोग्राफिक पोत



INS Agray

उथले जल का पनडुब्बी-रोधी पोत



समुद्री शक्ति + निवारण + आत्मनिर्भर रक्षा

विश्व जल सर्वेक्षण दिवस

आत्मनिर्भर
भारत
सशक्त समुद्र
सुरक्षित कल



4.7.8. आगे की राह

आत्मनिर्भर रक्षा का अर्थ केवल युद्धपोत बनाना नहीं है। डिजाइन, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार, रख-रखाव और निर्यात—पूरी रक्षा उत्पादन श्रृंखला में आत्मनिर्भरता आवश्यक है।

4.7.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > INS Sanshodhak : हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत।
- > INS Agray : उथले जल का पनडुब्बी-रोधी पोत।
- > INS Dunagiri : स्टील्य फ्रिगेट।
- > निर्माण संस्था : GRSE।
- > डिजाइन संस्था : Navy Warship Design Bureau।
- > स्वदेशी सामग्री : 75 प्रतिशत से अधिक।

4.8. आतंकवाद-रोधी सहयोग: संयुक्त राष्ट्र सप्ताह और भारत-ताजिकिस्तान संवाद

4.8.1. चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद-रोधी सप्ताह 26 जून से 2 जुलाई 2026 तक आयोजित हुआ। इसी दौरान आतंकवाद-रोधी एजेंसियों के प्रमुखों का चौथा उच्च-स्तरीय सम्मेलन हुआ।

24 जून को दुर्गाबा में भारत-ताजिकिस्तान संयुक्त कार्यसमूह की पाँचवीं बैठक हुई।

4.8.2. पृष्ठभूमि और कारण

आतंकवाद अब केवल हथियारबंद संगठनों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकॉरेंसी, ड्रोन, मादक पदार्थों और संगठित अपराध के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क अधिक जटिल हो गए हैं।

मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति और अफगानिस्तान से जुड़े सुरक्षा जोखिमों के कारण ताजिकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है।

4.8.3. प्रमुख विशेषताएँ

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सरकारों के साथ निम्न पक्षों को भी शामिल किया गया—

- > संयुक्त राष्ट्र संस्थाएँ।
- > क्षेत्रीय संगठन।
- > नागरिक समाज।
- > युवा और मानवाधिकार समूह।
- > आतंकवाद के पीड़ित।
- > शिक्षाविद और निजी क्षेत्र।

भारत-ताजिकिस्तान बैठक में चर्चा हुई—

- > हिंसक उग्रवाद।
- > कट्टरपंथीकरण।
- > आतंकवादी वित्तपोषण।
- > तकनीक का दुरुपयोग।
- > मादक पदार्थों की तस्करी।
- > आतंकवादियों की आवाजाही।
- > सीमा-पार आतंकवाद।
- > UNSC 1267 सूचीबद्ध संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई।
- > सूचना-साझाकरण और क्षमता निर्माण।
- > SCO-RATS और अन्य बहुपक्षीय मंचों में सहयोग।

4.8.4. संबंधित IR थ्योरी

यह व्यापक आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण का उदाहरण है। आतंकवाद का मुकाबला केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि वित्तीय निगरानी, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, पुनर्वास और अंतरराष्ट्रीय कानून से भी करना होगा।

यह **संपूर्ण समाज दृष्टिकोण** से भी जुड़ा है, जिसमें सरकार, तकनीकी कंपनियाँ, विश्वविद्यालय, समुदाय और नागरिक समाज सभी की भूमिका होती है।

4.8.5. भारत पर प्रभाव

- > मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर सहयोग।
- > आतंकवादी वित्तपोषण और नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर कार्रवाई।
- > डिजिटल कट्टरपंथीकरण से निपटने की क्षमता।
- > SCO-RATS और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका मजबूत।
- > सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत का दृष्टिकोण व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकता है।

4.8.6. चुनौतियाँ

- > आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा पर अंतरराष्ट्रीय मतभेद।
- > आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक संरक्षण।
- > क्रिप्टोकॉरेसी के माध्यम से वित्तपोषण।
- > सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रचार।
- > आतंकवाद-रोधी कानूनों के दुरुपयोग की आशंका।
- > UNSC 1267 सूची में नाम जोड़ने पर राजनीतिक अवरोध।

4.8.7. समाधान

- > आतंकवादी वित्तपोषण पर वास्तविक समय सूचना-साझाकरण।
- > सोशल मीडिया कंपनियों के साथ पारदर्शी सहयोग।
- > युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और पुनर्वास कार्यक्रम।

- > सीमा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक।
- > संयुक्त अभियोजन और प्रत्यर्पण व्यवस्था।
- > आतंकवाद-रोधी कार्रवाई में मानवाधिकार और न्यायिक निगरानी।

4.8.8. आगे की राह

भारत को आतंकवाद-रोधी नीति में रोकथाम, दंड और पुनर्वास—तीनों को समान महत्व देना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग तभी प्रभावी होगा जब सभी देशों द्वारा समान मानदंड अपनाए जाएँ और आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए उचित न ठहराया जाए।

4.8.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > भारत-ताजिकिस्तान बैठक का स्थान : दुशांबे।
- > बैठक : संयुक्त कार्यसमूह की पाँचवीं बैठक।
- > UNSC Resolution 1267: आतंकवादी व्यक्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध।
- > SCO-RATS: Shanghai Cooperation Organisation-Regional Anti-Terrorist Structure।
- > संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी सप्ताह : 26 जून-2 जुलाई 2026।
- > प्रमुख विषय: आतंकवादी वित्तपोषण, कट्टरपंथीकरण, तकनीक का दुरुपयोग और सीमा-पार आतंकवाद।

आतंकवाद-रोधी सहयोग: संयुक्त राष्ट्र सप्ताह और भारत-ताजिकिस्तान संवाद

26 जून - 2 जुलाई 2026
UN Counter-Terrorism Week

चौथा उच्च-स्तरीय सम्मेलन

मुख्य सहयोग क्षेत्र

- सीमा-पार आतंकवाद**: सीमाओं के पार आतंकी नेटवर्क से निपटना
- आतंक वित्तपोषण**: वित्तीय स्रोतों की पहचान और रोकथाम
- ड्रोन/ऑनलाइन कट्टरपंथ**: नई और उभरती प्रौद्योगिकीय चुनौतियों से निपटना
- सुरक्षा सूचना-साझाकरण**: समय पर, सटीक और विश्वसनीय जानकारी का आदान-प्रदान
- सीमा सुरक्षा और क्षमता निर्माण**: संस्थागत क्षमता और सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना
- UN Global Counter-Terrorism Strategy**: संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के अनुरूप समन्वित प्रयास

सैद्धांतिक आधार
मानव सुरक्षा + सहकारी सुरक्षा

- ✓ लोगों की सुरक्षा केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि अवसर, स्थिरता और गरिमा से भी होती है।
- ✓ साझा चुनौतियों का समाधान सहयोग से ही संभव है।

सुरक्षा सहयोग के साथ मानवाधिकार और विधि का शासन

दीर्घकालिक शांति के लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता, न्याय और मानव गरिमा — सभी आवश्यक हैं।

RAINBOW IAS
Enriching Your Journey to Success

5. अर्थव्यवस्था

5.1. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.7 प्रतिशत

5.1.1. चर्चा में क्यों?

5 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **अंतिम अनुमान** जारी किए। इसके अनुसार वास्तविक GDP वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही।

5.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

भारत की अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग, विनिर्माण, सेवाओं और निवेश की भूमिका मजबूत रही। सरकार के पूंजीगत व्यय, घरेलू मांग, बैंक ऋण और सेवा क्षेत्र ने भी वृद्धि को सहारा दिया।

इस बार GDP के नए आँकड़े **2022-23 को आधार वर्ष** मानकर जारी किए गए हैं। आधार वर्ष बदलने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को अधिक सही ढंग से मापना है।

5.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि : **7.7 प्रतिशत**।
- > नाममात्र GDP वृद्धि : **8.9 प्रतिशत**।
- > वास्तविक GVA वृद्धि : **7.9 प्रतिशत**।
- > द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि : **8.8 प्रतिशत**।
- > तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि : **9.3 प्रतिशत**।
- > प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि : **3.2 प्रतिशत**।
- > चौथी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि : **7.8 प्रतिशत**।
- > निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.7 प्रतिशत वृद्धि।
- > सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 8.2 प्रतिशत वृद्धि।
- > विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय और पेशेवर सेवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

5.1.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर** को समझने का अवसर देती है।

GDP बढ़ना आर्थिक वृद्धि है, लेकिन इससे यह स्वतः सिद्ध नहीं होता कि रोजगार, आय-वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर में भी समान सुधार हुआ है। इसलिए भारत के लिए केवल ऊँची GDP वृद्धि पर्याप्त नहीं है; उसे रोजगार-सृजक और समावेशी विकास में बदलना आवश्यक है।

नए आधार वर्ष का संबंध **राष्ट्रीय आय लेखांकन और सांख्यिकीय सुधार** से है।

5.1.5. भारत पर प्रभाव

- > भारत की वैश्विक आर्थिक विश्वसनीयता मजबूत होगी।
- > विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।
- > सरकार को पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए अधिक अवसर मिलेगा।
- > विनिर्माण और सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
- > कर संग्रह और सरकारी राजस्व में वृद्धि की संभावना।
- > भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा मजबूत होगी।

5.1.6. चुनौतियाँ

- > वृद्धि का लाभ सभी वर्गों और क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुँचा है।
- > कृषि क्षेत्र की वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही।
- > रोजगार की गुणवत्ता और नियमित रोजगार अभी भी चिंता का विषय है।
- > वैश्विक तनाव, महँगी ऊर्जा और कमजोर बाहरी मांग जोखिम पैदा कर सकते हैं।
- > उच्च GDP वृद्धि के बावजूद क्षेत्रीय और आय असमानता बनी रह सकती है।

5.1.7. समाधान

- > कृषि उत्पादकता और ग्रामीण मांग पर विशेष ध्यान।
- > श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा।
- > MSME को सस्ता ऋण, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराना।
- > स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल पर सार्वजनिक निवेश।
- > GDP के साथ रोजगार, आय-वितरण और मानव विकास के संकेतकों का भी उपयोग।

5.1.8. आगे की राह

भारत को वृद्धि की गति बनाए रखने के साथ-साथ उसे अधिक **रोजगार-सृजक, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से समावेशी** बनाना होगा।

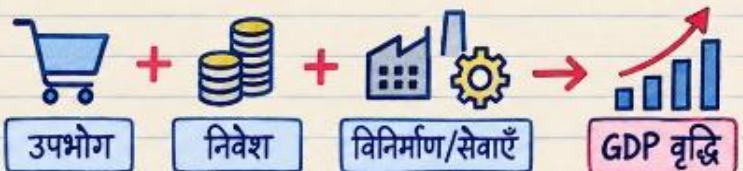
5.1.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > वित्त वर्ष 2025-26 वास्तविक GDP वृद्धि : 7.7 प्रतिशत।
- > GDP का नया आधार वर्ष : 2022-23।
- > Q4 GDP वृद्धि : 7.8 प्रतिशत।
- > वास्तविक GVA वृद्धि : 7.9 प्रतिशत।
- > GDP बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय उत्पादन का माप है।
- > GVA विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए मूल्य को दर्शाता है।

भारत की वास्तविक GDP वृद्धि : 7.7%

- वित्त वर्ष 2025-26
- अनंतिम अनुमान : 5 जून 2026
- वास्तविक GDP : 7.7%
- नाममात्र GDP : 8.9%
- वास्तविक GVA : 7.9%
- आधार वर्ष : 2022-23
- प्राथमिक 3.2% | द्वितीयक 8.8% | तृतीयक 9.3%

उपभोग + निवेश + विनिर्माण/सेवाएँ → GDP वृद्धि



वृद्धि बनाम विकास:

रोजगार, आय, स्वास्थ्य और शिक्षा भी जरूरी

GDP वृद्धि ≠ स्वतः समावेशी विकास

5.2. RBI की जून मौद्रिक नीति : रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर

5.2.1. चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3-5 जून 2026 को अपनी बैठक में नीति रेपो दर को **5.25 प्रतिशत पर स्थिर** रखा। समिति ने मौद्रिक नीति का रुख भी **तटस्थ (Neutral)** बनाए रखा।

5.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

पश्चिम एशिया में तनाव, ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता, वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला में बाधा और कमजोर मानसून की आशंका के कारण मुद्रास्फीति और वृद्धि दोनों के सामने जोखिम बढ़े।

ऐसी स्थिति में RBI के सामने चुनौती थी कि वह आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए दरों में कमी करे या संभावित मुद्रास्फीति को देखते हुए सावधानी बरते। इसलिए उसने दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया।

5.2.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > नीति रेपो दर : **5.25 प्रतिशत**।
- > SDF दर : 5.00 प्रतिशत।
- > MSF और बैंक दर : 5.50 प्रतिशत।
- > नीति रुख : तटस्थ।
- > वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान : 6.6 प्रतिशत।
- > वित्त वर्ष 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति का अनुमान : 5.1 प्रतिशत।
- > निजी उपभोग और निवेश को अब तक मजबूत माना गया।
- > ऊर्जा कीमतों तथा आपूर्ति-श्रृंखला के जोखिमों पर चिंता व्यक्त की गई।

- > RBI ने कहा कि लंबे समय तक ऊँची ऊर्जा कीमतें वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।

5.2.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **मौद्रिक नीति के द्वेध उद्देश्य** से जुड़ी है—मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना।

रेपो दर बढ़ने पर ऋण महँगा हो जाता है और मांग कम हो सकती है। दर घटने पर ऋण सस्ता होता है, निवेश तथा उपभोग बढ़ सकता है, लेकिन अत्यधिक मांग से मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम रहता है।

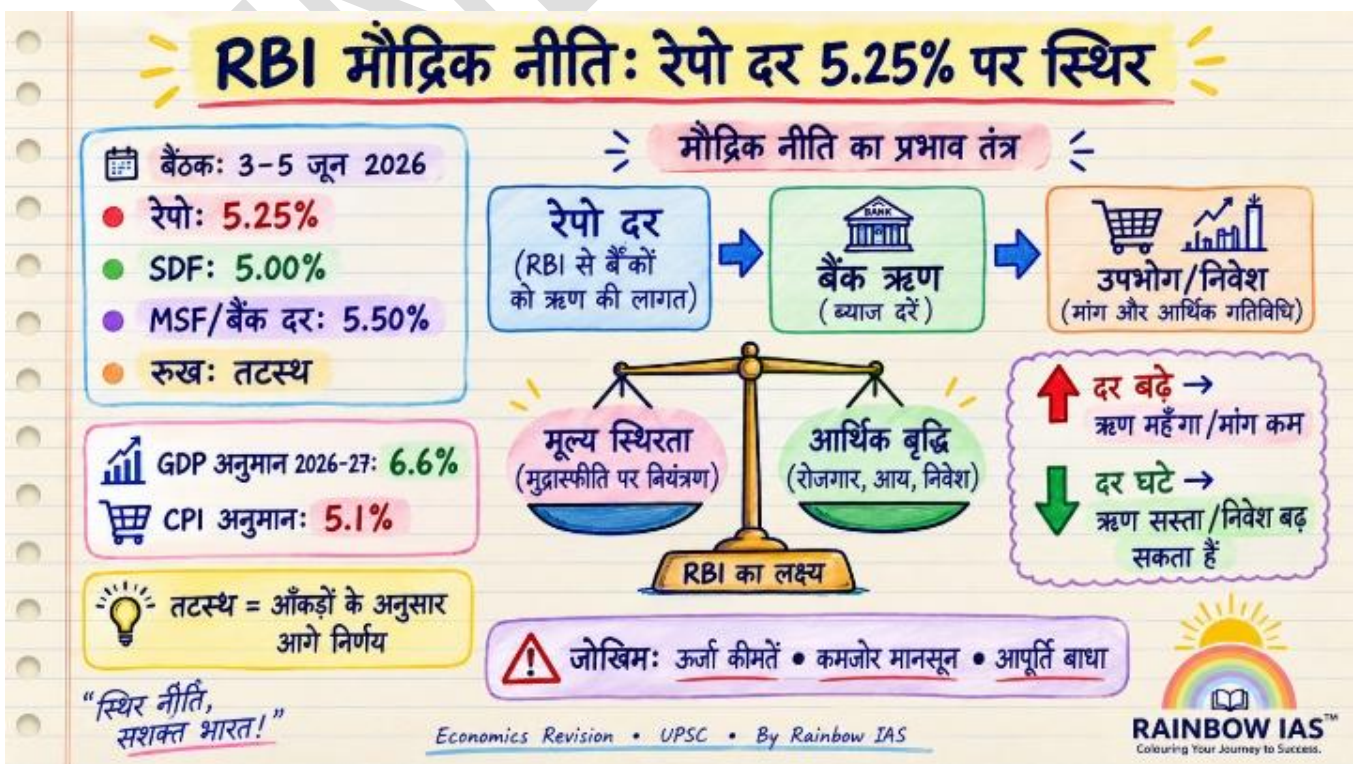
तटस्थ रुख का अर्थ है कि RBI भविष्य के आँकड़ों और परिस्थितियों के अनुसार दरें बढ़ा या घटा सकता है।

5.2.5. भारत पर प्रभाव

- > ऋण लेने वालों और उद्योगों को तत्काल अतिरिक्त ब्याज बोझ नहीं बढ़ेगा।
- > बैंक ऋण और निवेश में स्थिरता बनी रह सकती है।
- > आवास, वाहन और MSME ऋण की लागत स्थिर रहेगी।
- > RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीति-लचीलापन बनाए रखेगा।
- > वैश्विक ऊर्जा संकट का प्रभाव सीमित करने में सहायता मिल सकती है।

5.2.6. चुनौतियाँ

- > तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि।
- > कमजोर मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा।
- > वैश्विक ब्याज दरों में परिवर्तन से पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
- > रुपये पर दबाव और आयातित मुद्रास्फीति।
- > आपूर्ति-पक्ष की समस्या का समाधान केवल ब्याज दर से नहीं हो सकता।



5.2.7. समाधान

- > सरकार को खाद्य और ईंधन आपूर्ति-श्रृंखला मजबूत करनी चाहिए।
- > रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाया जाए।
- > कृषि में जल-संरक्षण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- > RBI को मौद्रिक नीति के साथ तरलता प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए।
- > आवश्यक वस्तुओं के आयात स्रोतों में विविधता लाई जाए।

5.2.8. आगे की राह

मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति, कृषि नीति, ऊर्जा नीति और आपूर्ति-श्रृंखला सुधारों के साथ समन्वित करना आवश्यक है।

5.2.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > MPC की बैठक : 3-5 जून 2026।
- > रेपो दर : 5.25 प्रतिशत।
- > SDF : 5.00 प्रतिशत।
- > MSF और बैंक दर : 5.50 प्रतिशत।
- > नीति रुख : Neutral।
- > RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य : 4 प्रतिशत, जिसमें 2-6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा है।

5.3. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला और अप्रैल में 4.9 प्रतिशत वृद्धि

5.3.1. चर्चा में क्यों?

1 जून 2026 को सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की नई श्रृंखला जारी की। इसका आधार वर्ष **2011-12 से बदलकर 2022-23** कर दिया गया। नई श्रृंखला के अंतर्गत अप्रैल 2026 में IIP वृद्धि 4.9 प्रतिशत रही।

5.3.2. पृष्ठभूमि और कारण

आर्थिक संरचना समय के साथ बदलती रहती है। नई तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक विनिर्माण गतिविधियों का महत्व बढ़ गया है।

पुरानी IIP श्रृंखला में वर्तमान औद्योगिक संरचना का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। इसलिए वस्तुओं की सूची, भार और क्षेत्रीय कवरेज में बदलाव किया गया।

5.3.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > नया आधार वर्ष : **2022-23**।
- > अप्रैल 2026 में IIP वृद्धि : **4.9 प्रतिशत**।
- > विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि : 6.2 प्रतिशत।
- > खनन क्षेत्र की वृद्धि : (-) 5.1 प्रतिशत।
- > बिजली और गैस क्षेत्र की वृद्धि : 4.9 प्रतिशत।
- > जलापूर्ति, सीवरेंज और अपशिष्ट प्रबंधन : 6.6 प्रतिशत।
- > 23 विनिर्माण समूहों में से 17 में सकारात्मक वृद्धि।
- > मोटर वाहन, विद्युत उपकरण और मशीनरी क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन।
- > नई श्रृंखला में अद्यतन वस्तु-सूची और संशोधित भार शामिल किए गए।

5.3.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **संरचनात्मक परिवर्तन** और **सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व** की अवधारणा से जुड़ी है।

आधार वर्ष बदलने से वास्तविक उत्पादन में बदलाव नहीं होता, बल्कि उसे मापने का तरीका अधिक वर्तमान और सटीक बनाया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था की नई गतिविधियाँ सूचकांक में शामिल नहीं होंगी तो नीति-निर्माताओं को गलत संकेत मिल सकते हैं।

5.3.5. भारत पर प्रभाव

- > औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन।
- > सरकार को उद्योग नीति बनाने में सहायता।
- > विनिर्माण और पूंजीगत वस्तुओं के प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर।
- > निवेशकों और शोध संस्थानों को अधिक विश्वसनीय आँकड़े।
- > उत्पादन, रोजगार और औद्योगिक ऋण से संबंधित नीतियों में सुधार।

5.3.6. चुनौतियाँ

- > खनन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि चिंता का विषय है।
- > IIP में बड़े संगठित उद्योगों का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है।
- > छोटे और असंगठित उद्योगों की गतिविधियाँ पूरी तरह नहीं दिखाई देती।
- > आधार वर्ष बदलने से पुराने आँकड़ों की तुलना में कठिनाई हो सकती है।
- > औद्योगिक वृद्धि रोजगार वृद्धि में स्वतः परिवर्तित नहीं होती।

5.3.7. समाधान

- > MSME और असंगठित क्षेत्र से जुड़े आँकड़ों को मजबूत किया जाए।
- > औद्योगिक सर्वेक्षणों में डिजिटल डेटा का उपयोग बढ़ाया जाए।
- > राज्यवार और क्षेत्रवार IIP आँकड़े अधिक नियमित रूप से जारी किए जाएँ।
- > औद्योगिक वृद्धि के साथ रोजगार और उत्पादकता का भी आकलन हो।

5.3.8. आगे की राह

भारत को IIP, रोजगार, निर्यात, बिजली खपत, क्षमता उपयोग और MSME उत्पादन को एक साथ पढ़कर औद्योगिक नीति बनानी चाहिए।

5.3.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > IIP का नया आधार वर्ष : 2022-23
- > अप्रैल 2026 IIP वृद्धि : 4.9 प्रतिशत।
- > IIP के प्रमुख क्षेत्र : खनन, विनिर्माण, बिजली और गैस/जल सेवाएँ।
- > विनिर्माण वृद्धि : 6.2 प्रतिशत।
- > IIP औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक बदलाव को मापता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की नई श्रृंखला



आधार वर्ष: 2022-23

क्षेत्र: खनन • विनिर्माण • विद्युत

IIP = औद्योगिक उत्पादन में बदलाव का सूचक

वजन: विनिर्माण सबसे अधिक

नई श्रृंखला → वर्तमान औद्योगिक संरचना का बेहतर प्रतिनिधित्व

उपयोग: नीति, उत्पादन और चक्रीय रुझान समझना

ध्यान दें: सूचकांक में आधार वर्ष बदलने से तुलना का आधार बदलता है; वास्तविक उत्पादन अपने-आप नहीं बदलता



5.4. मई 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.93 प्रतिशत

5.4.1. चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 12 जून 2026 को मई 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आँकड़े जारी किए। मई में खुदरा मुद्रास्फीति 3.93 प्रतिशत और खाद्य मुद्रास्फीति 4.78 प्रतिशत रही।

5.4.2. पृष्ठभूमि और कारण

मुद्रास्फीति में वृद्धि का प्रमुख कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी रहा। टमाटर, अदरक, चाँदी के आभूषण और कुछ अन्य वस्तुओं में ऊँची महँगाई दर्ज की गई।

हालाँकि समग्र मुद्रास्फीति RBI की 4 प्रतिशत लक्ष्य दर के आसपास रही, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर अधिक पड़ता है।

5.4.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > मई 2026 में CPI मुद्रास्फीति : **3.93 प्रतिशत**।
- > ग्रामीण मुद्रास्फीति : 4.25 प्रतिशत।
- > शहरी मुद्रास्फीति : 3.53 प्रतिशत।
- > खाद्य मुद्रास्फीति : **4.78 प्रतिशत**।
- > आवास मुद्रास्फीति : 2.12 प्रतिशत।
- > टमाटर की कीमतों में लगभग 48 प्रतिशत वृद्धि।
- > चाँदी के आभूषणों में बहुत अधिक मूल्य वृद्धि।
- > CPI की नई श्रृंखला का आधार वर्ष : 2024।
- > मई के आँकड़े अंतिम थे।

5.4.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **मांग-खींच मुद्रास्फीति** और **लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति** के अंतर को समझने में मदद करती है।

यदि मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं तो उसे मांग-खींच मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि ईंधन, परिवहन, कच्चे माल या खाद्य आपूर्ति में बाधा से कीमतें बढ़ती हैं तो यह लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति होती है।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति प्रायः मानसून, भंडारण, परिवहन, बिचौलियों और आपूर्ति-श्रृंखला से प्रभावित होती है।

5.4.5. भारत पर प्रभाव

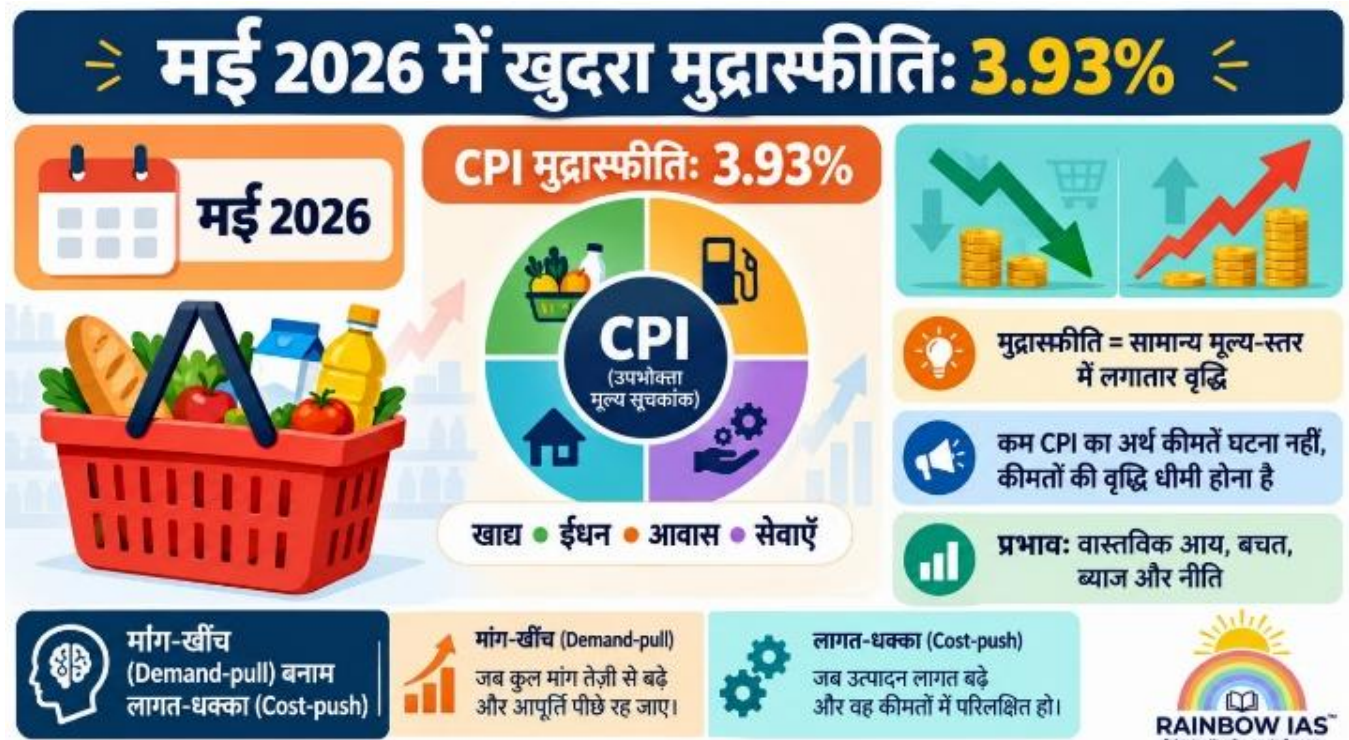
- > परिवारों की वास्तविक क्रय-शक्ति कम हो सकती है।
- > गरीब परिवारों के बजट पर अधिक दबाव।
- > ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है।
- > RBI ब्याज दरों में कटौती को लेकर सावधानी बरत सकता है।
- > खाद्य सप्लिडी और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ सकता है।
- > मजदूरी और महँगाई के बीच दूसरा चरण शुरू होने का खतरा।

5.4.6. चुनौतियाँ

- > टमाटर, प्याज और सब्जियों की कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव।
- > भंडारण और शीत-श्रृंखला का अभाव।
- > जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मानसून।
- > खाद्य कीमतों का गरीब परिवारों पर असमान प्रभाव।
- > केवल ब्याज दरों से खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं की जा सकती।

5.4.7. समाधान

- > आधुनिक भंडारण और शीत-श्रृंखला का विस्तार।
- > किसान उत्पादक संगठनों और सीधे बाजार संपर्क को बढ़ावा।
- > आवश्यक वस्तुओं का समय पर बफर स्टॉक प्रबंधन।
- > फसल विविधीकरण और जलवायु-सहिष्णु कृषि।
- > मंडी, परिवहन और खुदरा स्तर पर अनावश्यक बिचौलियों को कम करना।



5.4.8. आगे की राह

भारत को मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति के साथ कृषि, भंडारण, परिवहन और बाजार सुधारों पर समान ध्यान देना होगा।

5.4.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > मई 2026 CPI : 3.93 प्रतिशत।
- > खाद्य मुद्रास्फीति : 4.78 प्रतिशत।
- > CPI का नया आधार वर्ष : 2024।
- > RBI का मध्यम अवधि मुद्रास्फीति लक्ष्य : 4 प्रतिशत।
- > ग्रामीण CPI : 4.25 प्रतिशत।
- > शहरी CPI : 3.53 प्रतिशत।

5.5. GST के नौ वर्ष और कर-संग्रह में वृद्धि

5.5.1. चर्चा में क्यों?

30 जून 2026 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष पूरे हुए। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों, अप्रैल-मई 2026 में GST संग्रह लगभग ₹4.37 लाख करोड़ रहा।

5.5.2. पृष्ठभूमि और कारण

GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना, करों के दोहरे बोझ को समाप्त करना और देश को एकीकृत बाजार बनाना था।

GST ने व्यापारिक लेन-देन को डिजिटल बनाया और ई-वे बिल, ई-इनवॉइस तथा रिटर्न प्रणाली के माध्यम से कर अनुपालन बढ़ाया।

5.5.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > GST के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की **आपूर्ति** पर कर लगाया जाता है।
- > यह गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है।
- > केंद्र और राज्य दोनों कर संग्रह करते हैं।
- > पिछले पाँच वर्षों में GST संग्रह लगभग ₹13.76 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹22.27 लाख करोड़ हुआ।
- > अप्रैल-मई 2026 में संग्रह लगभग ₹4.37 लाख करोड़।
- > डिजिटल चालान और ई-वे बिल से कर चोरी पर नियंत्रण।
- > एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार।

5.5.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

GST को **राजकोषीय संघवाद** और **करों के सामंजस्य** से जोड़कर पढ़ना चाहिए।

GST परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद का उदाहरण है। कर दर, छूट, अनुपालन और मुआवजे से संबंधित निर्णयों में राज्यों की भी भूमिका होती है।

GST का बढ़ता संग्रह केवल कर दरों का परिणाम नहीं है। यह अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण, डिजिटल लेन-देन, बेहतर अनुपालन और कर आधार के विस्तार को भी दर्शाता है।

5.5.5. भारत पर प्रभाव

- > करों के दोहरे बोझ में कमी।
- > राज्यों के बीच व्यापार सुगम।
- > कर आधार का विस्तार।
- > डिजिटल अर्थव्यवस्था और औपचारिकीकरण में वृद्धि।
- > कर चोरी और फर्जी बिलिंग पर नियंत्रण।
- > केंद्र और राज्यों के राजस्व में वृद्धि।
- > लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन में सुधार।

GST के नौ वर्ष: कर-संग्रह और सहकारी संघवाद



5.5.6. चुनौतियाँ

- > छोटे व्यापारियों के लिए अनुपालन जटिल।
- > अनेक कर दरों के कारण भ्रम।
- > इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित विवाद।
- > फर्जी कंपनियों और फर्जी बिलों की समस्या।
- > राज्यों की राजस्व निर्भरता और मुआवजे का प्रश्न।
- > कुछ क्षेत्रों में कर दरों को लेकर असंतोष।

5.5.7. समाधान

- > GST दरों को और सरल बनाया जाए।
- > छोटे व्यापारियों के लिए सरल रिटर्न व्यवस्था।
- > फर्जी इनवॉइस के विरुद्ध डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग।
- > कर अधिकारियों और व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण।
- > राज्यों के साथ नियमित और पारदर्शी संवाद।
- > पेट्रोलियम और अन्य लंबित क्षेत्रों को उचित समय पर GST ढाँचे में लाने पर विचार।

5.5.8. आगे की राह

GST को अधिक सरल, स्थिर और व्यापार-अनुकूल बनाया जाना चाहिए ताकि कर संग्रह बढ़ने के साथ छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम हो।

5.5.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > GST लागू: 1 जुलाई 2017
- > GST परिषद: अनुच्छेद 279A
- > GST का स्वरूप: गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर।
- > GST में कर किस पर लगता है: वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर।

- > GST परिषद के अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
- > अप्रैल-मई 2026 GST संग्रह: लगभग ₹4.37 लाख करोड़।

5.6. मई 2026 में भारत का निर्यात और व्यापार घाटा

5.6.1. चर्चा में क्यों?

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 45.20 अरब डॉलर और वस्तु आयात 73.41 अरब डॉलर रहा। इसी महीने कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात 81.96 अरब डॉलर आँका गया।

5.6.2. पृष्ठभूमि और कारण

वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ऊर्जा कीमतों, पश्चिम एशिया में तनाव और ऊँची जहाज़ी लागत के बावजूद भारत के निर्यात में वृद्धि हुई।

इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और रत्न एवं आभूषणों ने निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

5.6.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > वस्तु निर्यात: **45.20 अरब डॉलर।**
- > वस्तु आयात: **73.41 अरब डॉलर।**
- > वस्तु व्यापार घाटा: लगभग 28.21 अरब डॉलर।
- > कुल निर्यात, वस्तु और सेवाएँ मिलाकर: 81.96 अरब डॉलर।
- > कुल आयात: 92.47 अरब डॉलर।
- > कुल व्यापार घाटा: 10.51 अरब डॉलर।
- > पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 54.89 प्रतिशत वृद्धि।
- > इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 24.48 प्रतिशत वृद्धि।
- > इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 11.62 प्रतिशत वृद्धि।
- > सेवा निर्यात से भारत को महत्वपूर्ण अधिशेष मिला।

मई 2026: भारत का विदेशी व्यापार



5.6.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **भुगतान संतुलन, व्यापार घाटा और सेवा क्षेत्र के अधिशेष** से जुड़ी है।

व्यापार घाटा हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए खराब नहीं होता। यदि आयात मशीनरी, तकनीक और पूंजीगत वस्तुओं का है तो वह भविष्य की उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है। लेकिन अत्यधिक तेल, सोना और उपभोग वस्तुओं का आयात चालू खाते और रुपये पर दबाव डाल सकता है।

भारत के लिए सेवा निर्यात व्यापार घाटे को कुछ हद तक संतुलित करता है।

5.6.5. भारत पर प्रभाव

- > निर्यात वृद्धि से विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी।
- > इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है।
- > सेवा क्षेत्र का अधिशेष बाहरी क्षेत्र को सहारा देता है।
- > व्यापार घाटा बढ़ने से रुपये पर दबाव आ सकता है।
- > ऊर्जा आयात महंगा होने पर चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है।
- > निर्यात विविधीकरण से किसी एक बाजार पर निर्भरता कम होगी।

5.6.6. चुनौतियाँ

- > आयात की तुलना में वस्तु निर्यात अभी कम।
- > तेल और सोने का बड़ा आयात बिल।
- > वैश्विक मांग में कमजोरी।
- > ऊँचा मालभाड़ा और बीमा लागत।
- > छोटे निर्यातकों के लिए गुणवत्ता और प्रमाणन की समस्या।
- > संरक्षणवाद और गैर-शुल्क बाधाएँ।

5.6.7. समाधान

- > उच्च मूल्यवर्धित और तकनीक-आधारित निर्यात बढ़ाया जाए।
- > MSME को सस्ता निर्यात ऋण और बीमा मिले।
- > बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स की लागत कम की जाए।
- > निर्यात बाजारों और उत्पादों में विविधता लाई जाए।
- > स्थानीय उत्पादन और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाया जाए।
- > ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम की जाए।

5.6.8. आगे की राह

भारत को केवल निर्यात की मात्रा नहीं, बल्कि निर्यात की गुणवत्ता, तकनीकी स्तर और घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

5.6.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > मई 2026 वस्तु निर्यात : 45.20 अरब डॉलर।
- > मई 2026 वस्तु आयात : 73.41 अरब डॉलर।
- > प्रमुख निर्यात क्षेत्र : पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स।
- > सेवाओं में भारत को सामान्यतः व्यापार अधिशेष प्राप्त होता है।
- > व्यापार घाटा केवल वस्तु आयात और निर्यात का अंतर है।

5.7. मई 2026 में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत

5.7.1. चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के मई 2026 मासिक बुलेटिन में कुल बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

5.7.2. पृष्ठभूमि और कारण

भारत की युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार आवश्यक है। केवल GDP वृद्धि पर्याप्त नहीं है; यह देखना भी जरूरी है कि वृद्धि से कितने रोजगार पैदा हो रहे हैं।

मई 2026 में ग्रामीण और शहरी श्रम बाजार का प्रदर्शन अलग-अलग रहा। ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी, जबकि शहरी बेरोजगारी में कुछ कमी आई।

5.7.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > कुल बेरोजगारी दर : 5.5 प्रतिशत।
- > ग्रामीण बेरोजगारी दर : 5.1 प्रतिशत।
- > शहरी बेरोजगारी दर : 6.4 प्रतिशत।
- > श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) : 54.4 प्रतिशत।
- > कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) : 51.4 प्रतिशत।
- > महिला LFPR : 32.8 प्रतिशत।
- > ग्रामीण महिला LFPR : 36.7 प्रतिशत।
- > शहरी महिला LFPR : 24.8 प्रतिशत।
- > आँकड़े Current Weekly Status के आधार पर तैयार किए गए।
- > मई 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी अप्रैल के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हुई।

5.7.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **रोजगार-विहीन वृद्धि**, **श्रम बल भागीदारी** और **जनसांख्यिकीय लाभांश** से जुड़ी है।

कभी-कभी GDP बढ़ती है, लेकिन रोजगार उसी अनुपात में नहीं बढ़ता। इसे रोजगार-विहीन या कम रोजगार वाली वृद्धि कहा जाता है।

LFPR बताता है कि काम करने योग्य आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं या काम तलाश रहे हैं। WPR बताता है कि कुल कामकाजी उम्र की आबादी में वास्तव में कितने लोग काम कर रहे हैं।

5.7.5. भारत पर प्रभाव

- > रोजगार की स्थिति का वास्तविक आकलन संभव।
- > ग्रामीण रोजगार और कृषि-मौसमी बेरोजगारी पर ध्यान देने की आवश्यकता।
- > महिला श्रम भागीदारी में सुधार की गुंजाइश।
- > कौशल विकास और उद्योग नीति को रोजगार से जोड़ना होगा।
- > शहरी क्षेत्रों में सेवा और निर्माण क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

5.7.6. चुनौतियाँ

- > अनौपचारिक और अस्थायी रोजगार की अधिकता।
- > महिला श्रम भागीदारी अभी भी कम।
- > ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी।
- > डिग्री और रोजगार कौशल के बीच अंतर।
- > रोजगार की संख्या के साथ रोजगार की गुणवत्ता भी चिंता का विषय।
- > मासिक आँकड़ों में मौसम का प्रभाव हो सकता है।

5.7.7. समाधान

- > श्रम-प्रधान विनिर्माण को बढ़ावा।
- > महिला रोजगार के लिए सुरक्षित परिवहन, शिशु देखभाल और लचीले कार्यस्थल।
- > कौशल विकास को उद्योग की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना।
- > ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा।
- > MSME और स्थानीय उद्यमिता को वित्त एवं बाजार उपलब्ध कराना।
- > रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना।



5.7.8. आगे की राह

भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को एकीकृत नीति के रूप में देखना होगा।

5.7.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > मई 2026 कुल बेरोजगारी दर : 5.5 प्रतिशत।
- > ग्रामीण बेरोजगारी : 5.1 प्रतिशत।
- > शहरी बेरोजगारी : 6.4 प्रतिशत।
- > LFPR : 54.4 प्रतिशत।
- > WPR : 51.4 प्रतिशत।
- > PLFS जारी करने वाली संस्था : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
- > CWS का अर्थ : पिछले सात दिनों की गतिविधि के आधार पर रोजगार स्थिति।

5.8. खरीफ 2026 की तैयारी और अल-नीनो की चिंता

5.8.1. चर्चा में क्यों?

23 जून 2026 को केंद्र सरकार ने कमजोर मानसून और अल-नीनो की आशंका के बीच खरीफ फसलों की तैयारी की समीक्षा की। खरीफ 2026 के लिए लगभग **176 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य** रखा गया।

5.8.2. पृष्ठभूमि और कारण

भारत की कृषि मानसून पर काफी निर्भर है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो बुवाई, जल उपलब्धता, ग्रामीण आय, खाद्य कीमत और महंगाई प्रभावित हो सकती है।

अल-नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय भाग में समुद्री सतह के तापमान के असामान्य रूप से बढ़ने की स्थिति है। इसका प्रभाव वैश्विक मौसम और भारतीय मानसून पर पड़ सकता है।

5.8.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > खरीफ 2026 खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य : लगभग 176 मिलियन टन।
- > 315 संवेदनशील जिलों के लिए विशेष आकस्मिक योजना।
- > जल-संरक्षण, तालाब, चेक-डैम और खेत-जलाशयों पर जोर।
- > कम अवधि और कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा।
- > दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के लिए प्राथमिकता।
- > बीज, उर्वरक और चारे के पर्याप्त भंडार का दावा।
- > केंद्र में El Niño Monitoring Cell।
- > Crop Weather Watch Group का गठन।
- > PMFBY, KCC और PM-KISAN को किसान सुरक्षा जाल के रूप में उपयोग।
- > चावल और गेहूँ के बफर स्टॉक को पर्याप्त बताया गया।

5.8.4. संबंधित आर्थिक सिद्धांत

यह खबर **जलवायु-सहिष्णु कृषि, खाद्य सुरक्षा और कृषि जोखिम प्रबंधन** से जुड़ी है।

कमजोर मानसून का प्रभाव केवल कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं रहता। इससे ग्रामीण आय घटती है, मांग कम होती है, खाद्य कीमतें बढ़ती हैं और सरकार पर राहत तथा सब्सिडी का दबाव बढ़ता है।

5.8.5. भारत पर प्रभाव

- > खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव।
- > ग्रामीण रोजगार और आय में कमी की आशंका।
- > खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
- > बिजली और जलाशयों पर दबाव।
- > पशुधन और चारे की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
- > कृषि बीमा और सरकारी सहायता की मांग बढ़ सकती है।

5.8.6. चुनौतियाँ

- > मानसून की मात्रा के साथ उसका क्षेत्रीय वितरण भी महत्वपूर्ण।
- > छोटे और सीमांत किसानों की जोखिम सहने की क्षमता कम।
- > सिंचाई सुविधाओं में क्षेत्रीय असमानता।
- > फसल विविधीकरण धीमा।
- > भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार संपर्क की कमी।
- > अल-नीनो के प्रभाव का सही अनुमान कठिन।

5.8.7. समाधान

- > सूखा-सहिष्णु और कम अवधि वाली किस्मों का विस्तार।
- > जल-संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई।
- > फसल बीमा का समय पर भुगतान।
- > दलहन, तिलहन और मोटे अनाज को बाजार प्रोत्साहन।
- > मौसम संबंधी स्थानीय भाषा में सलाह।
- > कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण भंडारण का विस्तार।
- > पंचायत, कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन के बीच समन्वय।

5.8.8. आगे की राह

भारत को मानसून आधारित कृषि से जलवायु-स्मार्ट कृषि की ओर बढ़ना होगा। उत्पादन बढ़ाने के साथ जल बचत, फसल विविधीकरण और किसान आय की स्थिरता पर ध्यान आवश्यक है।

5.8.9. प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > खरीफ 2026 खाद्यान्न लक्ष्य : लगभग 176 मिलियन टन।
- > अल-नीनो : प्रशांत महासागर के समुद्री तापमान से जुड़ी घटना।
- > विशेष आकस्मिक योजना : 315 संवेदनशील जिलों के लिए।
- > प्रमुख सुरक्षा योजनाएँ : PMFBY, KCC और PM-KISAN।
- > Crop Weather Watch Group : मानसून, बुवाई और फसल स्थिति की निगरानी।
- > खाद्य सुरक्षा में उत्पादन, भंडारण, वितरण और कीमत-चारों महत्वपूर्ण हैं।

5.8.10. प्रीलिम्स तथ्य-बॉक्स

- > **GDP** : देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- > **GVA** : विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़ा गया सकल मूल्य।
- > **CPI** : उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव।
- > **IIP** : औद्योगिक उत्पादन में बदलाव का सूचकांक।

- > **LFPR** : काम करने वाले या काम तलाशने वाले लोगों का अनुपात।
- > **WPR** : कुल कामकाजी उम्र की आबादी में वास्तव में काम करने वालों का अनुपात।
- > **रेपो दर** : वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।
- > **GST** : गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर।
- > **व्यापार घाटा** : वस्तु आयात का वस्तु निर्यात से अधिक होना।
- > **Line of Credit और अनुदान** को एक समान न समझें; Line of Credit सामान्यतः ऋण होता है।



6. सामाजिक मुद्दे

6.1. सुरक्षित मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य: PMSMA के दस वर्ष तथा SUMAN रोडमैप 2030

6.1.1. चर्चा में क्यों?

जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के दस वर्ष पूरे हुए। इसी महीने स्वास्थ्य मंत्रालय ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए **SUMAN Roadmap 2030** भी जारी किया। PMSMA के दस वर्ष और SUMAN Roadmap 2030 दोनों का उद्देश्य गर्भावस्था से लेकर प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि तक सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

6.1.2. पृष्ठभूमि

मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) का अर्थ है—प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के बाद 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु।

भारत में मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन राज्यों और जिलों के बीच अभी भी बहुत अंतर है। दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और गरीब परिवारों की महिलाओं को समय पर जाँच, एम्बुलेंस, रक्त और विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाती।

जून 2026 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार, MMR 2014-15 के 130 से घटकर 2021-23 में 88 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। यह सुधार महत्वपूर्ण है, लेकिन 2030 तक इसे 70 से नीचे लाना अभी चुनौती है।

6.1.3. PMSMA की प्रमुख विशेषताएँ

- > PMSMA की शुरुआत 9 जून 2016 को हुई थी।
- > प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष प्रसवपूर्व जाँच होती है।
- > विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही पर ध्यान दिया जाता है।
- > रक्त और मूत्र जाँच, अल्ट्रासाउंड, दवाएँ, पोषण परामर्श और प्रसव की तैयारी जैसी सेवाएँ दी जाती हैं।
- > 2022 में विस्तारित PMSMA शुरू किया गया, जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की लगातार निगरानी की जाती है।
- > PMSMA के अंतर्गत दस वर्षों में 7.50 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व सेवाएँ मिलने की सूचना दी गई है।

6.1.4. SUMAN Roadmap 2030

SUMAN का आधार **RMNCHA+N** ढाँचा है। इसमें प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण को एक साथ जोड़ा गया है।

रोडमैप में चार प्रमुख चरणों में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान और निगरानी की व्यवस्था है—

1. प्रसवपूर्व देखभाल
2. तीसरी तिमाही की देखभाल

3. प्रसव के समय देखभाल
4. प्रसवोत्तर देखभाल

रोडमैप के अंतर्गत 13 उच्च-फोकस राज्यों के 130 जिलों में विशेष, समयबद्ध हस्तक्षेप किए जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल हैं।

अन्य प्रावधानों में—

- > गर्भवस्था के आठवें और नौवें महीने में आशा कार्यकर्ता की द्वि-साप्ताहिक घरेलू मुलाकात।
- > जन्म प्रतीक्षा गृह (Birth Waiting Homes)।
- > मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग।
- > प्रसूति आपातकालीन देखभाल इकाइयाँ।
- > मातृ मृत्यु निगरानी और प्रतिक्रिया व्यवस्था।
- > SUMAN पंचायत।
- > JANANI पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी।
- > कठिन क्षेत्रों में आपातकालीन परिवहन और रक्त की उपलब्धता।

6.1.5. संबंधित आर्थिक-सामाजिक सिद्धांत

मातृ स्वास्थ्य पर खर्च को केवल स्वास्थ्य बजट का खर्च नहीं माना जा सकता। यह मानव पूँजी में निवेश है। स्वस्थ माँ के कारण—

- > कम वजन वाले बच्चों की संभावना घटती है।
- > नवजात मृत्यु कम होती है।
- > परिवार का चिकित्सा खर्च घटता है।
- > महिला की काम करने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
- > बच्चे के पोषण और शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यह **जीवन-चक्र दृष्टिकोण** का उदाहरण है, जिसमें गर्भवस्था की देखभाल को बच्चे के भविष्य के विकास से जोड़ा जाता है।

6.1.6. प्रभाव

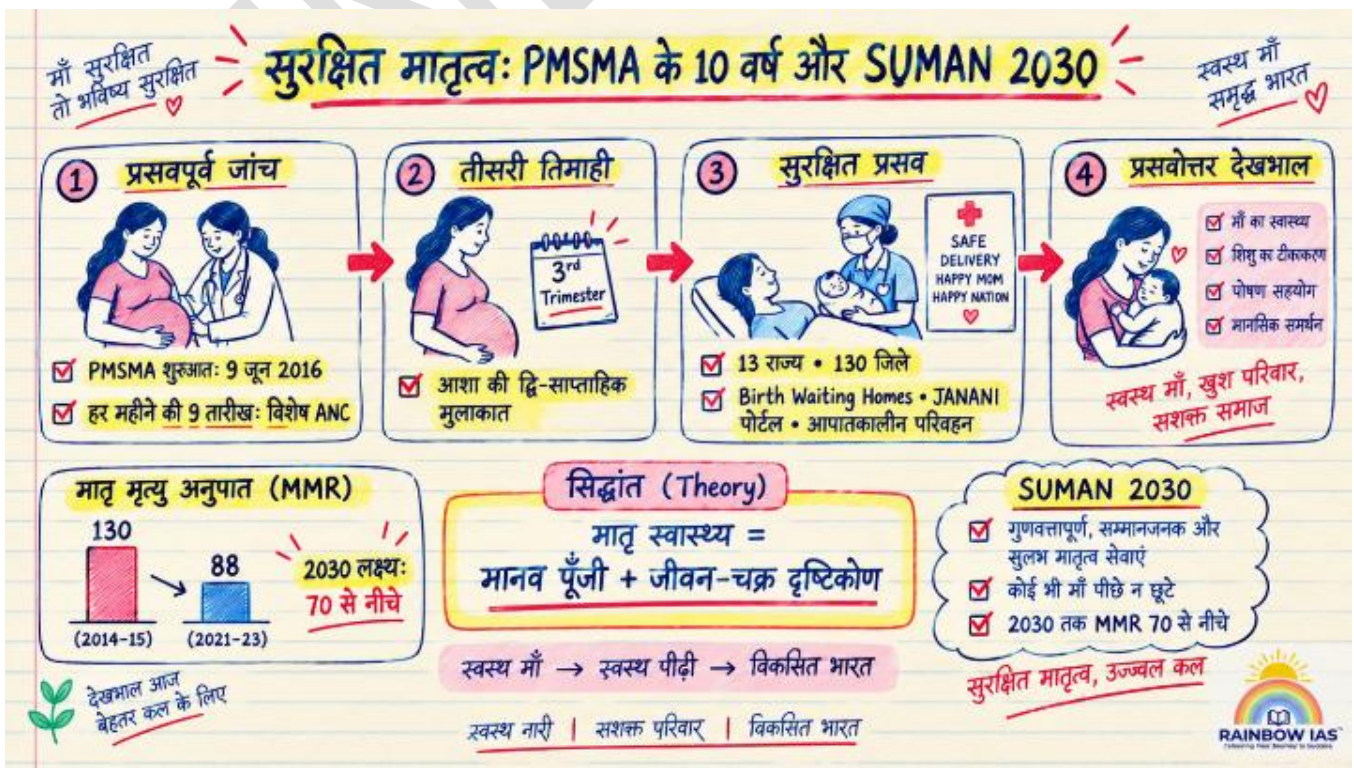
- > उच्च जोखिम वाली गर्भवस्थाओं की जल्दी पहचान।
- > संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।
- > ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ।
- > मातृ एवं नवजात मृत्यु में कमी।
- > स्वास्थ्य सेवाओं में राज्यों की भागीदारी।

6.1.7. प्रमुख चुनौतियाँ

- > ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी।
- > अस्पताल तक पहुँचने में देरी।
- > रेफरल व्यवस्था कमजोर होना।
- > रक्त बैंक और आपातकालीन सेवाओं की कमी।
- > आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं पर बढ़ता कार्यभार।
- > सरकारी आँकड़ों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर।

6.1.8. समाधान और आगे की राह

- > प्रत्येक जिले में उच्च जोखिम गर्भवस्था के लिए अलग निगरानी प्रकोष्ठ बने।
- > सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रसूति आपातकालीन केंद्रों में बदला जाए।
- > आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दिया जाए।
- > PMSMA को PMMVY, जननी सुरक्षा योजना, JSSK और एनीमिया मुक्त भारत से जोड़ा जाए।
- > कठिन क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और हेलीकॉप्टर/नाव एम्बुलेंस जैसी स्थानीय व्यवस्थाएँ विकसित हों।
- > मातृ मृत्यु के प्रत्येक मामले की सामाजिक और चिकित्सकीय समीक्षा की जाए।



6.1.9. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > PMSMA की शुरुआत: 9 जून 2016।
- > विशेष प्रसवपूर्व जाँच: प्रत्येक महीने की 9 तारीख।
- > SUMAN Roadmap 2030 का लक्ष्य: MMR को 70 से नीचे लाना।
- > MMR: प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु।
- > संबंधित मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- > RMNCHA+N में मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण शामिल हैं।

6.2. एनीमिया मुक्त भारत अभियान का नया 7×7×7 ढाँचा

6.2.1. चर्चा में क्यों?

29 जून 2026 को केंद्र सरकार ने **एनीमिया मुक्त भारत अभियान की संशोधित संचालन guidelines** जारी कीं। इसमें पुराने 6×6×6 ढाँचे को बढ़ाकर 7×7×7 किया गया।

6.2.2. पृष्ठभूमि

एनीमिया केवल आयरन की कमी नहीं है। इसके कारण—

- > बच्चों में मस्तिष्क और शारीरिक विकास प्रभावित होता है।
- > महिलाओं में थकान और कार्यक्षमता में कमी आती है।
- > गर्भवस्था में समय से पहले प्रसव और कम वजन वाले बच्चे का जोखिम बढ़ता है।
- > किशोरियों में पढ़ाई और खेल पर असर पड़ता है।
- > यह गरीबी और कुपोषण का पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला चक्र बनाता है।

NFHS-5 के अनुसार—

- > 6-59 माह के 67.1 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से प्रभावित थे।
- > 15-19 वर्ष की 59.1 प्रतिशत किशोरियाँ एनीमिया से प्रभावित थीं।
- > 15-49 वर्ष की 57 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से प्रभावित थीं।
- > गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का स्तर 52.2 प्रतिशत था।

6.2.3. 7×7×7 का अर्थ

पुराना अभियान 6×6×6 पर आधारित था—

- > छह लाभार्थी समूह।
- > छह प्रमुख हस्तक्षेप।
- > छह संस्थागत व्यवस्थाएँ।

नए अभियान में तीन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं—

1. **सातवाँ लाभार्थी समूह:** कम वजन वाले बच्चे, 0-6 माह।
2. **सातवाँ हस्तक्षेप:** 'ईटिंग राइट' यानी आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर विविध आहार।
3. **सातवाँ संस्थागत तंत्र:** डिजिटल निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था।

6.2.4. सात लाभार्थी समूह

- > कम वजन वाले बच्चे, 0-6 माह।
- > बच्चे, 6-59 माह।

- > बच्चे, 5-9 वर्ष।
- > किशोर-किशोरियाँ, 10-19 वर्ष।
- > गर्भवती महिलाएँ।
- > स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
- > प्रजनन आयु की महिलाएँ, 20-49 वर्ष।

6.2.5. T4 रणनीति

पहले अभियान में T3 रणनीति थी—

- > Test — जाँच
- > Treat — उपचार
- > Talk — परामर्श

अब इसमें Track यानी लगातार निगरानी जोड़कर इसे **T4** बनाया गया है।

इससे लाभार्थी की जाँच, उपचार, दोबारा जाँच, रेफरल और उपचार के बाद की स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। गंभीर और उपचार से लाभ न पाने वाली गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अंतःशिरा आयरन उपचार की व्यवस्था भी की गई है।

6.2.6. संबंधित योजनाएँ

- > मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0।
- > साप्ताहिक आयरन-फोलिक एसिड कार्यक्रम।
- > राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस।
- > प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
- > स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- > जननी और U-WIN पोर्टल।
- > पोषण ट्रेकर।

6.2.7. संबंधित सिद्धांत

एनीमिया मुक्त भारत अभियान **जीवन-चक्र दृष्टिकोण** का अच्छा उदाहरण है। इसमें समस्या का समाधान केवल गर्भवती महिला को आयरन की गोली देकर नहीं किया जा रहा, बल्कि जन्म से लेकर किशोरावस्था और प्रजनन आयु तक लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है।

यह **निवारक से उपचारात्मक स्वास्थ्य व्यवस्था** की ओर बदलाव भी है। पहले जोर मुख्यतः आयरन की खुराक देने पर था, अब जाँच, कारण की पहचान, उपचार और फॉलो-अप पर जोर है।

6.2.8. प्रभाव

- > बच्चों की सीखने की क्षमता और ध्यान में सुधार।
- > गर्भवती महिलाओं में जटिलताओं में कमी।
- > कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि।
- > कम वजन वाले बच्चों और मातृ मृत्यु में संभावित कमी।
- > एनीमिया के गैर-पोषणीय कारणों की पहचान।

6.2.9. चुनौतियाँ

- > आयरन की गोलियाँ नियमित रूप से न लेना।
- > भोजन में विविधता की कमी।
- > परजीवी संक्रमण, मलेरिया और हीमोग्लोबिन संबंधी रोग।
- > ग्रामीण क्षेत्रों में जाँच उपकरणों की कमी।
- > किशोरियों में सामाजिक झिझक।
- > डिजिटल पोर्टल पर गलत या अधूरा आँकड़ा।



6.2.10. समाधान

- > स्थानीय भोजन पर आधारित पोषण शिक्षा।
- > विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में नियमित हीमोग्लोबिन जाँच।
- > आयरन की गोलियों के साथ कृमिनाशक दवा।
- > मलेरिया और हीमोग्लोबिनोपैथी की जाँच।
- > किशोरियों के लिए मासिक धर्म और पोषण संबंधी खुली चर्चा।
- > पोषण ट्रैकर के आँकड़ों का स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण।
- > जनभागीदारी के माध्यम से एनीमिया को सामान्य समस्या मानने की प्रवृत्ति समाप्त करना।

6.2.11. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > पुराना ढाँचा: 6×6×6
- > नया ढाँचा: 7×7×7
- > नई रणनीति: T4 — Test, Treat, Talk, Track
- > नया लाभार्थी समूह: कम वजन वाले बच्चे
- > नया हस्तक्षेप: Eating Right
- > एनीमिया मुक्त भारत अभियान: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- > मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित।

6.3. जन्म से तीन वर्ष तक समग्र देखभाल: समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

6.3.1. चर्चा में क्यों?

29 जून 2026 को **समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SSBSK)** शुरू किया गया। इसका लक्ष्य जन्म से 36 महीने तक के बच्चों को घर और समुदाय आधारित स्वास्थ्य, पोषण तथा प्रारम्भिक बाल विकास सेवाएँ देना है।

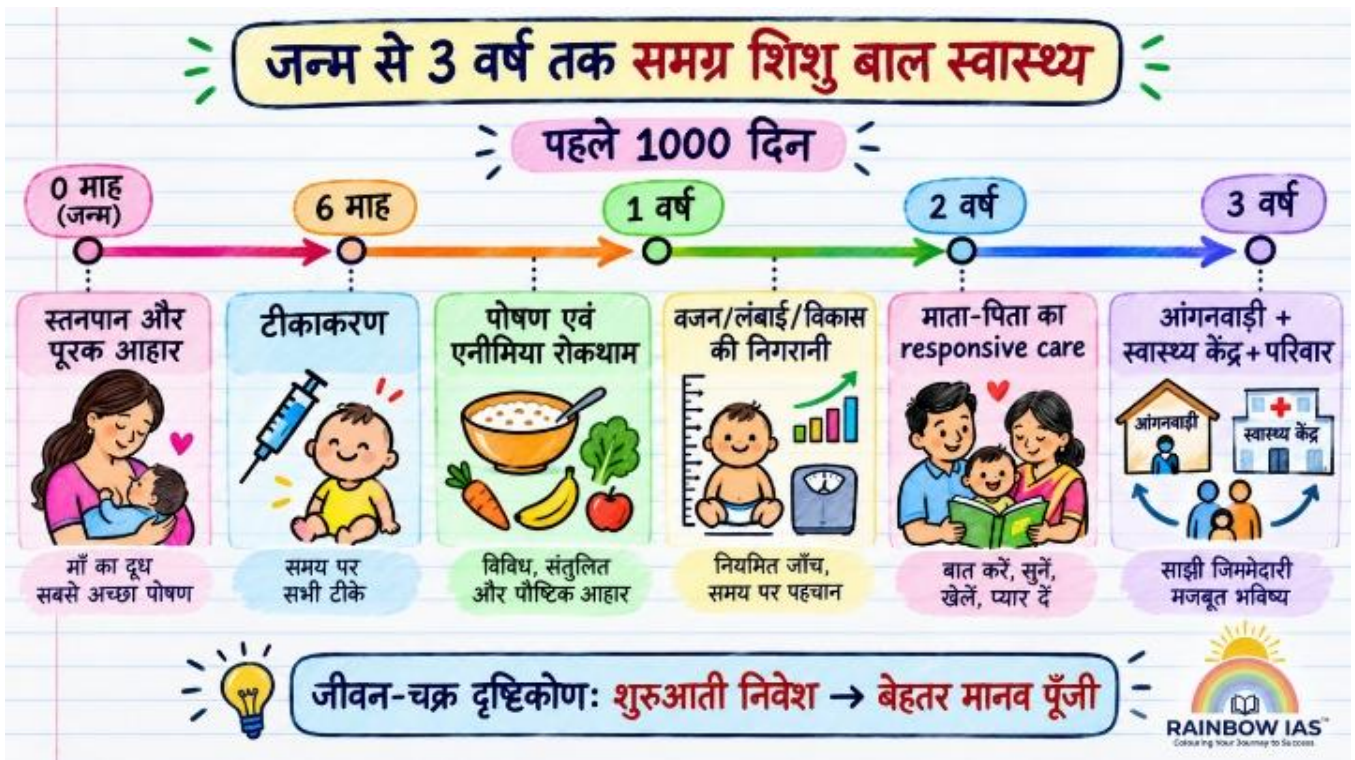
6.3.2. पृष्ठभूमि

बच्चे के जीवन के पहले 28 दिन नवजात जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह पहले तीन वर्षों में मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। इस अवधि में पोषण, टीकाकरण, स्तनपान, सुरक्षित वातावरण, खेल और माता-पिता की देखभाल बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं।

पहले घर आधारित नवजात देखभाल (HBNC) और छोटे बच्चों की घर आधारित देखभाल (HBYC) अलग-अलग चलती थीं। SSBSK ने दोनों को एकीकृत कर दिया है।

6.3.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > कार्यक्रम जन्म से 36 माह तक के सभी बच्चों को कवर करेगा।
- > कम वजन, समय से पहले जन्म, देर से स्तनपान शुरू होना, कुपोषण, बार-बार बीमारी और विकास में देरी वाले बच्चों को 'जोखिमग्रस्त' माना जाएगा।
- > जोखिमग्रस्त नवजातों को पहले 42 दिनों में अधिकतम 9 घरेलू मुलाकातें मिलेंगी।
- > जोखिमग्रस्त बच्चों को 36 माह तक अधिकतम 8 अतिरिक्त घरेलू मुलाकातें मिलेंगी।
- > तीसरे और सातवें दिन एएनएम तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की संयुक्त मुलाकात होगी।
- > जोखिमग्रस्त बच्चों के तीसरे और छठे महीने में भी संयुक्त मुलाकात की व्यवस्था है।
- > प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर 'वेल बेबी सत्र' आयोजित होगा।
- > आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मासिक 'शिशु शिविर' लगाए जाएंगे।
- > प्रसवोत्तर मातृ मानसिक स्वास्थ्य की जाँच भी इसमें शामिल है।
- > बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन देखने और शारीरिक गतिविधि में कमी को भी स्वास्थ्य जोखिम माना गया है।



6.3.4. डिजिटल व्यवस्था

SSBSK को कई डिजिटल पोर्टलों से जोड़ा गया है—

- > JANANI पोर्टल।
- > U-WIN पोर्टल।
- > मातृ एवं प्रसवकालीन मृत्यु निगरानी पोर्टल।
- > RBSK 2.0 पोर्टल।
- > पोषण ट्रेकर।
- > आभा और बाल-आभा पहचान।

इससे बच्चे की जाँच, टीकाकरण, रेफरल और विकास की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।

6.3.5. संबंधित सिद्धांत

यह कार्यक्रम **पहले 1,000 दिनों के सिद्धांत** पर आधारित है। गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दो वर्ष पूरे होने तक का समय बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास की आधारशिला रखता है।

यह **अनुपातिक सार्वभौमिकता** का भी उदाहरण है। सभी बच्चों को मूलभूत सेवा मिलेगी, लेकिन जोखिमग्रस्त बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सेवा दी जाएगी।

6.3.6. प्रभाव

- > नवजात और शिशु मृत्यु में कमी।
- > कुपोषण और विकास संबंधी देरी की जल्दी पहचान।
- > परिवारों को घर के पास स्वास्थ्य सलाह।
- > आंगनवाड़ी, आशा और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय।
- > शहरी झुग्गियों और प्रवासी बस्तियों में बच्चों तक पहुँच।

6.3.7. चुनौतियाँ

- > आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त भार।
- > घर-घर मुलाकात के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की कमी।
- > शहरी प्रवासी बच्चों की पहचान।

- > डिजिटल पोर्टलों के बीच आँकड़ों का आदान-प्रदान।
- > माता-पिता में प्रारम्भिक बाल विकास की जानकारी का अभाव।
- > स्क्रीन उपयोग और वास्तविक खेल के बीच संतुलन।

6.3.8. समाधान और आगे की राह

- > आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संयुक्त प्रशिक्षण।
- > जोखिमग्रस्त बच्चों के लिए जिला स्तर पर रेफरल अधिकारी।
- > प्रवासी बस्तियों के लिए मोबाइल शिशु स्वास्थ्य दल।
- > माता-पिता को खेल, स्तनपान और पोषण पर नियमित परामर्श।
- > बाल-आभा और पोषण ट्रेकर के आँकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- > बच्चों के विकास को केवल वजन से नहीं, बल्कि भाषा, व्यवहार और सीखने की क्षमता से भी मापा जाए।

6.3.9. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > SSBSK की शुरुआत: 29 जून 2026।
- > आयु सीमा: जन्म से 36 माह।
- > HBNC और HBYC का एकीकरण।
- > जोखिमग्रस्त नवजातों के लिए 42 दिनों में अधिकतम 9 घरेलू मुलाकातें।
- > वेल बेबी सत्र: ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस।
- > कार्यक्रम: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- > बाल-आभा: बच्चों से जुड़ा डिजिटल स्वास्थ्य पहचान तंत्र।

6.4. बालिका सुरक्षा और शिक्षा: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष

6.4.1. चर्चा में क्यों?

13 जून 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)** अभियान की प्रगति से जुड़े आँकड़े जारी किए।

6.4.2. पृष्ठभूमि

BBBP की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति भेदभाव को रोकने के लिए की गई थी।

इसका मूल उद्देश्य केवल बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश कराना नहीं, बल्कि—

- > जन्म से पहले उनकी सुरक्षा।
- > जन्म के बाद सम्मान।
- > शिक्षा में निरंतरता।
- > बाल विवाह में कमी।
- > पोषण और स्वास्थ्य।
- > निर्णय लेने की क्षमता।
- > समाज में बराबर भागीदारी।

है।

6.4.3. प्रमुख आँकड़े

सरकारी आँकड़ों के अनुसार—

- > जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हुआ।
- > माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 2014-15 के 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 80.2 प्रतिशत हुआ।
- > प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल 2026 तक 4.92 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हुए।
- > इनमें 4.28 करोड़ लाभार्थियों को भुगतान किया गया।
- > योजना के अंतर्गत कुल 20,150 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

6.4.4. BBBP की विशेषताएँ

- > यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- > इसमें व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक जागरूकता पर विशेष जोर है।
- > PCPNDT अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से लिंग-चयनात्मक गर्भपात रोकने का प्रयास किया जाता है।
- > बालिकाओं के माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश और निरंतरता पर ध्यान दिया जाता है।
- > मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित वातावरण से जुड़े विषय शामिल हैं।
- > इसे प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना नहीं समझना चाहिए। नकद सहायता मुख्यतः PMMVY जैसी अलग योजनाओं से मिलती है।

6.4.5. संबंधित सिद्धांत

लैंगिक समानता केवल संख्या बराबर करने का विषय नहीं है। इसमें तीन स्तर महत्वपूर्ण हैं—

1. **पहुँच:** लड़की को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण मिले।
2. **निरंतरता:** वह बीच में पढ़ाई न छोड़े।
3. **निर्णय-क्षमता:** वह अपने जीवन, शिक्षा और रोजगार से जुड़े निर्णय ले सके।

इसे **जीवन-चक्र दृष्टिकोण** से भी समझना चाहिए। यदि बालिका को जन्म से पहले भेदभाव, बचपन में कुपोषण और किशोरावस्था में विद्यालय छोड़ने का सामना करना पड़े, तो बाद में आर्थिक स्वतंत्रता कठिन हो जाती है।

6.4.6. प्रभाव

- > जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार।
- > बालिकाओं के माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि।
- > सामाजिक दृष्टिकोण में धीरे-धीरे बदलाव।
- > मातृ स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।
- > बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा और कौशल के अवसर।

6.4.7. चुनौतियाँ

- > कुछ क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग-चयन।
- > किशोरावस्था में विद्यालय छोड़ना।
- > बाल विवाह।
- > घरेलू काम का असमान बोझ।
- > सुरक्षित परिवहन और शौचालयों की कमी।
- > डिजिटल शिक्षा में लड़कियों की कम पहुँच।
- > आँकड़ों में नामांकन बढ़ने के बावजूद सीखने के परिणाम कमजोर रहना।

6.4.8. समाधान और आगे की राह

- > माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति और परिवहन सहायता।
- > प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित एवं अलग शौचालय।
- > बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत, विद्यालय और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी।
- > बालिकाओं के लिए विज्ञान, तकनीक और कौशल शिक्षा।
- > पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग का संयुक्त जिला कार्ययोजना मॉडल।
- > केवल नामांकन नहीं, बल्कि उपस्थिति, सीखने के परिणाम और रोजगार को भी सफलता का आधार बनाया जाए।

6.4.9. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > BBBP की शुरुआत: 22 जनवरी 2015।
- > संबंधित मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा।
- > PCPNDT अधिनियम: लिंग चयन और लिंग-आधारित भ्रूण परीक्षण को नियंत्रित करता है।
- > अनुच्छेद 15(3): महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।
- > PMMVY और BBBP अलग-अलग योजनाएँ हैं।
- > SRB जन्म के समय लिंगानुपात है, जबकि CSR बाल जनसंख्या से संबंधित लिंगानुपात है।



6.5. डिजिटल शिक्षा और सीखने की समानता: DIKSHA मंच

6.5.1. चर्चा में क्यों?

28 जून 2026 को शिक्षा मंत्रालय ने **DIKSHA—Digital Infrastructure for Knowledge Sharing** से जुड़े आँकड़े जारी किए। यह PM e-विद्या का प्रमुख डिजिटल मंच है और स्कूल शिक्षा के लिए “एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच” की अवधारणा पर काम करता है।

6.5.2. पृष्ठभूमि

डिजिटल शिक्षा ने दूर-दराज के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का अवसर दिया है, लेकिन इसके साथ डिजिटल असमानता भी सामने आई है। केवल इंटरनेट उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। बच्चे के पास उपकरण, बिजली, भाषा में सामग्री, शिक्षक का मार्गदर्शन और सीखने का अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए।

6.5.3. DIKSHA के प्रमुख आँकड़े

27 जून 2026 तक—

- > पंजीकृत उपयोगकर्ता: 2.25 करोड़।
- > प्रतिदिन सक्रिय उपयोगकर्ता: लगभग 3 लाख।
- > उपलब्ध भाषाएँ: 135, जिनमें 128 भारतीय भाषाएँ हैं।
- > आभासी प्रयोगशालाएँ: 614 से अधिक।
- > सीखने के सत्र: 575.25 करोड़।
- > पाठ्यक्रम नामांकन: 18.77 करोड़।
- > पाठ्यक्रम पूर्णता: 14.82 करोड़।
- > उत्तर प्रदेश में पंजीकृत उपयोगकर्ता: 26.80 लाख।

6.5.4. प्रमुख विशेषताएँ

- > 2017 में शुरू किया गया।

- > NCERT और CIET के सहयोग से संचालित।
- > QR कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों से डिजिटल सामग्री तक पहुँच।
- > वीडियो, 2D/3D चित्र, सिमुलेशन और आभासी प्रयोगशालाएँ।
- > शिक्षक प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र।
- > दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए DAISY प्रारूप, टेक्स्ट-टू-स्पीच और भारतीय सांकेतिक भाषा वीडियो।
- > ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से सामग्री उपयोग की सुविधा।
- > पाठ्य सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण।
- > CIET-NCERT द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जाँच।

6.5.5. संबंधित सिद्धांत

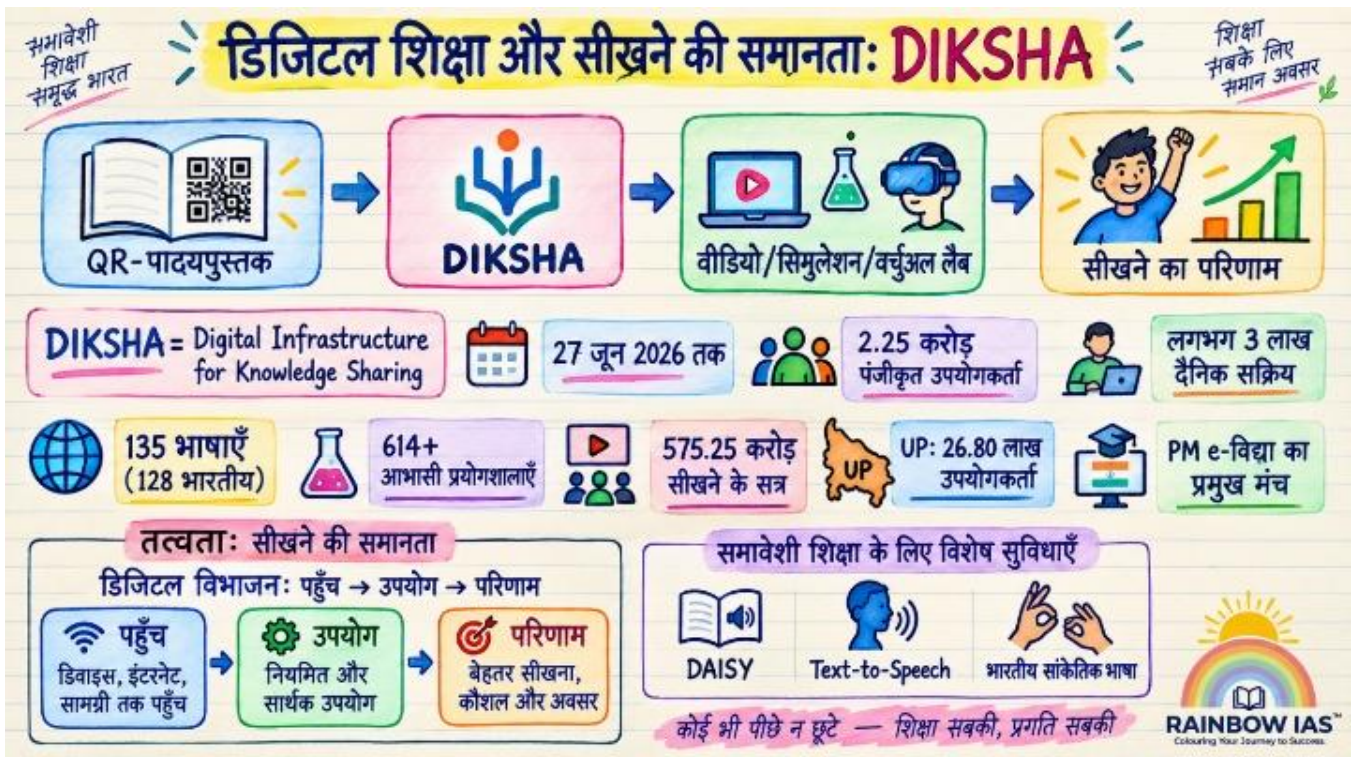
डिजिटल विभाजन को तीन स्तरों में समझा जा सकता है—

1. **पहुँच का विभाजन:** मोबाइल, इंटरनेट और बिजली उपलब्ध है या नहीं।
2. **उपयोग का विभाजन:** विद्यार्थी डिजिटल सामग्री का सही उपयोग कर पा रहा है या नहीं।
3. **परिणाम का विभाजन:** डिजिटल साधन से वास्तविक सीखने में सुधार हो रहा है या नहीं।

DIKSHA का महत्व इस कारण है कि यह केवल सामग्री उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन और सीखने के आँकड़ों को भी जोड़ता है।

6.5.6. प्रभाव

- > महामारी या आपदा के समय पढ़ाई की निरंतरता।
- > दूर-दराज के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री।
- > मातृभाषा में सीखने का अवसर।
- > शिक्षक प्रशिक्षण में विस्तार।
- > दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिक समावेशी शिक्षा।
- > उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में डिजिटल सामग्री की व्यापक पहुँच।



6.5.7. चुनौतियाँ

- > गरीब परिवारों में उपकरणों की कमी।
- > इंटरनेट और बिजली की असमान उपलब्धता।
- > डिजिटल सामग्री का अत्यधिक उपयोग, लेकिन कम वास्तविक सीखना।
- > ग्रामीण शिक्षकों का सीमित डिजिटल प्रशिक्षण।
- > स्थानीय भाषाओं की सामग्री की गुणवत्ता।
- > विद्यार्थियों के निजी आँकड़ों की सुरक्षा।
- > मोबाइल पर पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन।

6.5.8. समाधान

- > विद्यालयों में सामुदायिक डिजिटल अध्ययन केंद्र।
- > ऑफलाइन सामग्री और टीवी/रेडियो आधारित शिक्षा को मजबूत करना।
- > प्रत्येक शिक्षक के लिए डिजिटल प्रशिक्षण।
- > स्थानीय भाषा के शिक्षकों और विशेषज्ञों को सामग्री निर्माण में शामिल करना।
- > डिजिटल सीखने के साथ नियमित कक्षा और समूह गतिविधियाँ।
- > बच्चों के आँकड़ों के लिए मजबूत गोपनीयता नियम।
- > DIKSHA के उपयोग को केवल लॉगिन और सत्रों से नहीं, सीखने के परिणामों से मापा जाए।

6.5.9. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > DIKSHA का पूरा नाम: Digital Infrastructure for Knowledge Sharing।
- > शुरुआत: 2017।
- > प्रमुख संस्थाएँ: NCERT और CIET।
- > DIKSHA, PM e-विद्या का प्रमुख भाग है।
- > 135 भाषाएँ, जिनमें 128 भारतीय भाषाएँ।

- > दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएँ: DAISY, टेक्स्ट-टू-स्पीच, भारतीय सांकेतिक भाषा।
- > अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से संबंधित।

6.6. उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम

6.6.1. चर्चा में क्यों?

30 जून 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम के लिए गठित **राष्ट्रीय टास्क फोर्स** ने अपनी प्रगति और परामर्श प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जारी की।

6.6.2. पृष्ठभूमि

विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत कमजोरी का विषय नहीं है। इसके पीछे कई सामाजिक और संस्थागत कारण हो सकते हैं—

- > परीक्षा और रोजगार का दबाव।
- > परिवार की अपेक्षाएँ।
- > आर्थिक कठिनाई।
- > जातिगत भेदभाव।
- > लैंगिक असमानता।
- > दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुपयुक्त परिसर।
- > भाषा और सांस्कृतिक अलगाव।
- > छात्रावास में अकेलापन।
- > शिकायतों का समय पर समाधान न होना।

6.6.3. टास्क फोर्स से जुड़े आँकड़े

- > टास्क फोर्स ने मई 2025 से 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा किया।
- > 25 हितधारक परामर्श आयोजित किए गए।

- > परामर्श में दिव्यांग विद्यार्थी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक प्रश्न, ST और OBC विद्यार्थी तथा आत्महत्या के अपराधीकरण जैसे विषय शामिल रहे।
- > सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 24 मार्च 2025 को गठित किया था।
- > अंतिम रिपोर्ट देने की समय-सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई।
- > पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् टी.सी.ए. अनंत को तकनीकी सलाहकार बनाया गया।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए **टेली-मानस** सेवा के माध्यम से जून 2026 तक 39.52 लाख से अधिक कॉल संभाले जाने की जानकारी सरकारी तथ्य-पत्र में दी गई है।

6.6.4. टास्क फोर्स का प्रमुख कार्य

1. विद्यार्थी आत्महत्या के प्रमुख कारणों की पहचान।
2. कानूनों, नीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा।
3. रोकथाम, जवाबदेही और समावेशी परिसर के लिए सुधार सुझाना।

6.6.5. संबंधित सिद्धांत

मानसिक स्वास्थ्य को **पारिस्थितिक दृष्टिकोण** से समझना चाहिए। विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य चार स्तरों से प्रभावित होता है—

- > व्यक्तिगत स्तर।
- > परिवार और मित्रों का स्तर।
- > संस्था और शिक्षक का स्तर।
- > व्यापक सामाजिक और आर्थिक वातावरण।

इसलिए केवल एक परामर्शदाता नियुक्त कर देना पर्याप्त नहीं है। परिसर का वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त होना चाहिए।

यह **अंतर्विभेदी दृष्टिकोण** का भी विषय है। जाति, लिंग, दिव्यांगता और आर्थिक स्थिति एक साथ मिलकर किसी विद्यार्थी की कठिनाई बढ़ा सकते हैं।

6.6.6. कानूनी आधार

- > मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017।
- > इस अधिनियम की धारा 115 आत्महत्या के प्रयास को अपराध की दृष्टि से देखने में बदलाव लाती है।
- > दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
- > अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा का अधिकार।

6.6.7. चुनौतियाँ

- > मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सामाजिक कलंक।
- > छोटे शहरों और विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञों की कमी।
- > परामर्श सेवाओं की गोपनीयता पर भरोसे की कमी।
- > जातिगत और लैंगिक भेदभाव की अनदेखी।
- > विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का पर्याप्त आँकड़ा न होना।
- > परीक्षा परिणामों और रोजगार की अनिश्चितता।

6.6.8. समाधान

- > प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य केंद्र।
- > 24 घंटे संकट सहायता और रेफरल व्यवस्था।
- > शिक्षकों और छात्रावास कर्मचारियों को मानसिक संकट के संकेतों का प्रशिक्षण।
- > दिव्यांग, ST, OBC और LGBTQ+ विद्यार्थियों के लिए समावेशी सहायता।
- > गोपनीय परामर्श तथा शिकायत निवारण।
- > सहपाठी सहायता समूह और नियमित तनाव प्रबंधन कार्यक्रम।
- > विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य नीति को मान्यता और वित्तीय सहायता से जोड़ा जाए।



6.6.9. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > टास्क फोर्स का गठन: सर्वोच्च न्यायालय, 24 मार्च 2025।
- > जून 2026 तक: 30 संस्थानों और 10 राज्यों का दौरा।
- > अंतिम रिपोर्ट की समय-सीमा: 31 अक्टूबर 2026।
- > टेली-मानस: 24 घंटे की मानसिक स्वास्थ्य टेली-परामर्श सेवा।
- > मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम: 2017।
- > तकनीकी सलाहकार: टी.सी.ए. अनंत।

6.7. नशा मुक्ति और युवाओं की सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या

6.7.1. चर्चा में क्यों?

17 से 26 जून 2026 तक देशभर में **नशा मुक्त भारत सप्ताह** आयोजित किया गया। 17 जून को नशा मुक्ति मित्रों के लिए व्यक्तिगत dashboard शुरू किया गया और 26 जून को अभियान के समापन पर 1.31 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी की जानकारी दी गई।

6.7.2. पृष्ठभूमि

नशीले पदार्थों का सेवन केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है। यह—

- > मानसिक स्वास्थ्य।
- > परिवार की आया।
- > विद्यार्थियों की शिक्षा।
- > रोजगार।
- > अपराध।
- > घरेलू हिंसा।
- > सड़क सुरक्षा।
- > सार्वजनिक स्वास्थ्य

से जुड़ा हुआ सामाजिक मुद्दा है।

सरकार के अनुसार, नशा मुक्त भारत अभियान अगस्त 2020 में शुरू हुआ और जून 2026 तक 10 करोड़ से अधिक युवाओं तक जागरूकता गतिविधियाँ पहुँचाई गई।

6.7.3. जून 2026 के प्रमुख आँकड़े

- > नशा मुक्त भारत सप्ताह में 1.31 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।
- > हरिद्वार की राष्ट्रीय जागरूकता टैली में लगभग 4,000 नागरिक शामिल हुए।
- > अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया।
- > नशा मुक्ति मित्रों के लिए व्यक्तिगत dashboard शुरू किया गया।
- > जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और नशे की मांग कम करने पर जोर दिया गया।
- > सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते किए।

6.7.4. अभियान की प्रमुख विशेषताएँ

- > जन-जागरूकता टैली।

- > ई-शपथ।
- > नुककड़ नाटक।
- > युवाओं के लिए प्रशिक्षण।
- > विद्यालय और महाविद्यालय आधारित अभियान।
- > नशा मुक्ति मित्रों का नेटवर्क।
- > उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन।
- > धार्मिक और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी।

6.7.5. संबंधित सिद्धांत

नशे की समस्या को **सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण** से देखना चाहिए। केवल दंड देने से नशे की मांग समाप्त नहीं होती। इसके लिए—

- > रोकथाम।
- > समय पर पहचान।
- > वैज्ञानिक उपचार।
- > परिवार का सहयोग।
- > पुनर्वास।
- > रोजगार और सामाजिक पुनर्स्थापन

सभी आवश्यक हैं।

यह **हानि-न्यूनन दृष्टिकोण** से भी जुड़ा है, जिसमें नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति को अपराधी मानकर अलग करने के बजाय उपचार और पुनर्वास दिया जाता है।

6.7.6. प्रभाव

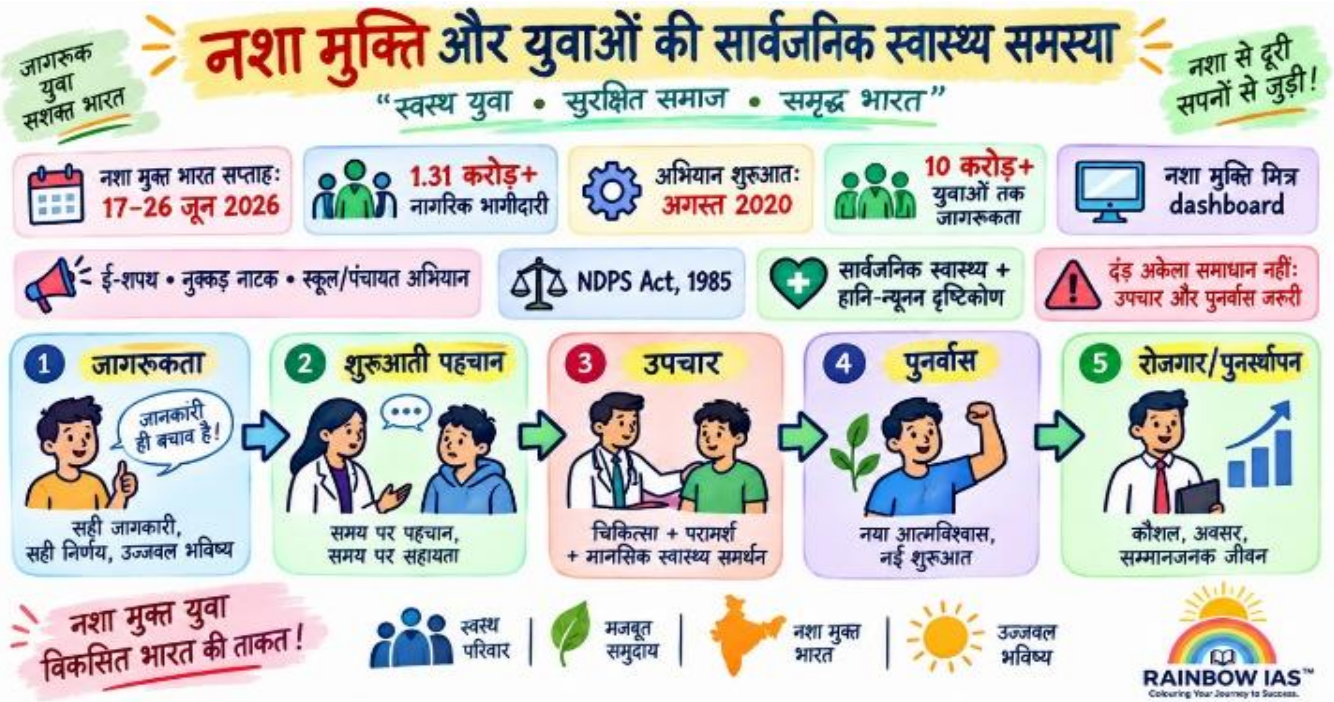
- > युवाओं में जागरूकता।
- > परिवारों को सहायता तंत्र की जानकारी।
- > विद्यालय और पंचायत स्तर पर संवाद।
- > नशे की समस्या को छिपाने की बजाय चर्चा का विषय बनाना।
- > स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार के बीच सहयोग।

6.7.7. चुनौतियाँ

- > नशे से जुड़े लोगों के प्रति सामाजिक कलंक।
- > उपचार केंद्रों की सीमित संख्या।
- > दोबारा नशे की ओर लौटने की समस्या।
- > सिंथेटिक और ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध नशीले पदार्थ।
- > सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी।
- > परिवार और विद्यालय द्वारा शुरूआती संकेतों की अनदेखी।

6.7.8. समाधान और आगे की राह

- > जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और नशा मुक्ति केंद्रों को जोड़ा जाए।
- > प्रत्येक महाविद्यालय में प्रशिक्षित परामर्शदाता हो।
- > उपचार के बाद रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
- > परिवार आधारित पुनर्वास मॉडल विकसित किया जाए।
- > पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय विभाग के बीच साझा कार्ययोजना हो।
- > नशे की रोकथाम में खेल, संस्कृति और युवा स्वयंसेवकों की भूमिका बढ़ाई जाए।
- > नशा मुक्ति मित्रों के dashboard का उपयोग केवल संख्या गिनने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक उपचार और पुनर्वास की निगरानी के लिए हो।



6.7.9. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > नशा मुक्त भारत सप्ताह: 17-26 जून 2026।
- > 26 जून: नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस।
- > नशा मुक्त भारत अभियान: अगस्त 2020।
- > संबंधित मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- > प्रमुख कानून: NDPS Act, 1985।
- > नशा मुक्ति मित्र: समुदाय आधारित स्वयंसेवी नेटवर्क।
- > अभियान का जोर: नशे की मांग में कमी, जागरूकता और पुनर्वास।

6.8. जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक शासन: ITDA/ITDP सम्मेलन और जनभागीदारी अभियान

6.8.1. चर्चा में क्यों?

3 जून 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **Integrated Tribal Development Agencies और Integrated Tribal Development Projects** को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुँच, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना था।

6.8.2. पृष्ठभूमि

आदिवासी क्षेत्रों में समस्या केवल योजनाओं की कमी नहीं है। मुख्य समस्या यह भी है कि—

- > गाँव बहुत दूर और बिखरे हुए हैं।
- > सड़क और इंटरनेट की सुविधा कमजोर है।
- > नागरिकों को प्रमाण-पत्र और पेंशन के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता है।
- > स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान दूर हैं।
- > स्थानीय भाषाओं में जानकारी सीमित है।

> विभागीय योजनाओं का आपस में समन्वय कम रहता है। इसी कारण जनजातीय विकास में **अंतिम छोर तक शासन** अत्यंत महत्वपूर्ण है।

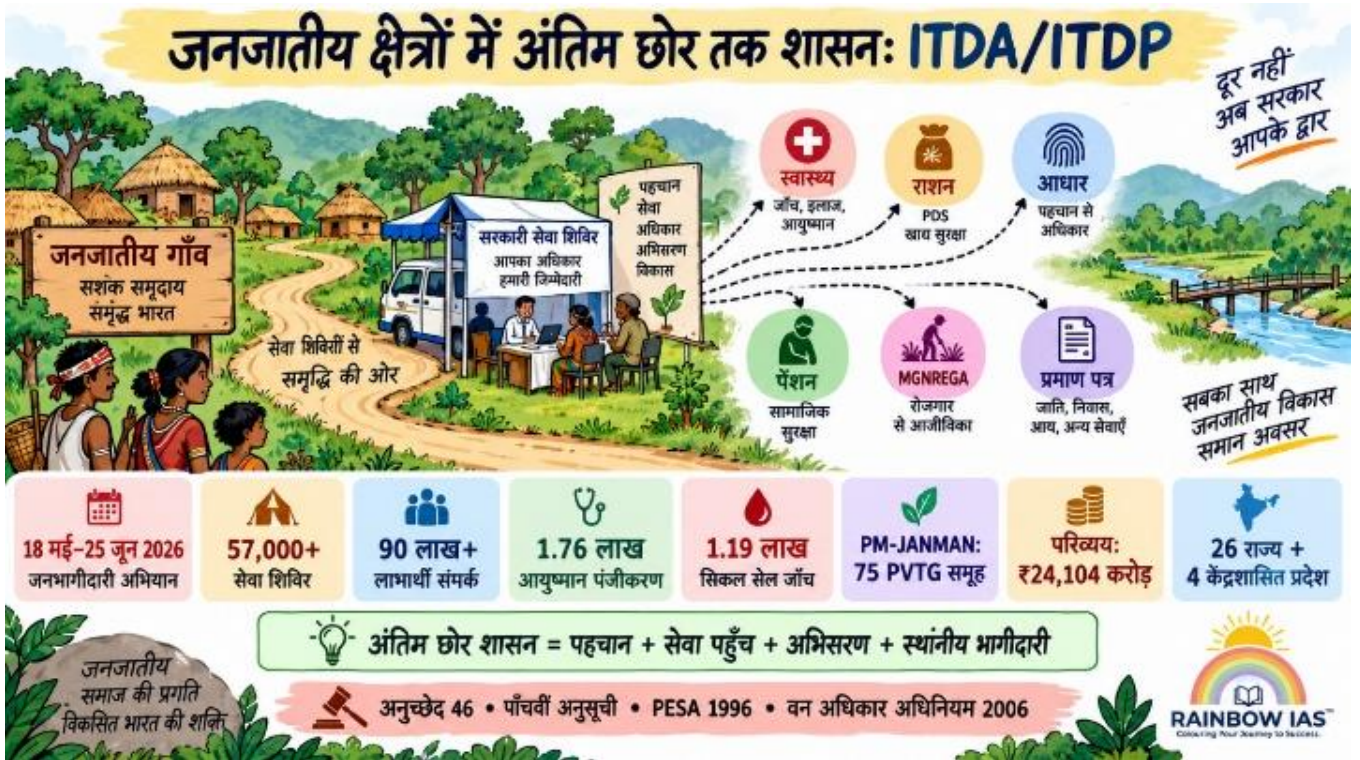
6.8.3. जनभागीदारी अभियान के आँकड़े

18 मई से 25 जून 2026 तक चले अभियान में—

- > 57,000 से अधिक सेवा शिविर और क्षेत्रीय गतिविधियाँ।
- > 90 लाख से अधिक जनजातीय लाभार्थी संपर्क।
- > 1.52 लाख मनरेगा सहायता हस्तक्षेप।
- > 2.27 लाख आधार सेवा हस्तक्षेप।
- > 1.76 लाख आयुष्मान भारत पंजीकरण।
- > 1.09 लाख राशन कार्ड सहायता।
- > 98,000 से अधिक जाति प्रमाण-पत्र सहायता।
- > लगभग 1.19 लाख सिकल सेल रोग जाँच।
- > 70,000 से अधिक पेंशन संबंधी सेवाएँ।

6.8.4. संस्थागत और योजना संबंधी तथ्य

- > ITDA और ITDP मुख्यतः अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय विकास योजनाओं के प्रशासनिक माध्यम हैं।
- > सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- > चर्चा के चार प्रमुख क्षेत्र थे—मानव संसाधन, वित्तीय प्रवाह, निगरानी एवं सूचना तकनीक, तथा योजनाओं का अभिसरण।
- > देश में 499 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यरत बताए गए।
- > लगभग 30 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति सहायता दी जा रही है।
- > PM-JANMAN और धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का संयुक्त परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया।
- > 75 एकलव्य विद्यालयों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं, जिनसे लगभग 50,000 जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।



6.8.5. PM-JANMAN

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष रूप से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए है।

- > 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में लागू।
- > कुल परिव्यय: 24,104 करोड़ रुपये।
- > 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख योजनाएँ।
- > आवास, सड़क, बिजली, पाइप जल, मोबाइल चिकित्सा इकाई, आंगनवाड़ी, छात्रावास, मोबाइल टावर, कौशल और वन-आधारित आजीविका शामिल।

6.8.6. संबंधित सिद्धांत

यह **अंतिम छोर तक शासन** और **राज्य क्षमता** का उदाहरण है। कोई भी योजना तभी सफल होती है जब—

- > लाभार्थी की पहचान सही हो।
- > सेवा उसके गाँव तक पहुँचे।
- > विभागों के बीच समन्वय हो।
- > स्थानीय समुदाय योजना में भाग ले।
- > परिणामों की निगरानी हो।

यह क्षेत्र-आधारित विकास का भी उदाहरण है। केवल व्यक्ति को लाभ देने के बजाय पूरे गाँव में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका का एक साथ विकास किया जाता है।

6.8.7. संवैधानिक और कानूनी आधार

- > अनुच्छेद 46: अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा।
- > पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
- > पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, 1996।

- > वन अधिकार अधिनियम, 2006।
- > ग्राम सभा की भागीदारी और स्थानीय स्वशासन।

6.8.8. प्रभाव

- > नागरिकों को सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता कम।
- > पहचान और प्रमाण-पत्र से जुड़ी बाधाएँ घटती हैं।
- > स्वास्थ्य, राशन और पेंशन सेवाओं का विस्तार।
- > सिकल सेल रोग की पहचान।
- > जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और तकनीक के अवसर।
- > प्रशासन और समुदाय के बीच विश्वास बढ़ना।

6.8.9. चुनौतियाँ

- > कई क्षेत्रों में स्थायी सड़क और इंटरनेट की कमी।
- > ITDA में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी।
- > विभागीय योजनाओं के बीच कमजोर समन्वय।
- > वन अधिकार और भूमि संबंधी विवाद।
- > स्थानीय भाषा और संस्कृति को पर्याप्त महत्व न मिलना।
- > शिविर आधारित सेवाओं के बाद नियमित फॉलो-अप का अभाव।

6.8.10. समाधान और आगे की राह

- > प्रत्येक ITDA के लिए स्पष्ट आधारभूत आँकड़े और जिला विकास योजना।
- > ग्राम सभा को योजना निर्माण और सामाजिक अंकेक्षण में वास्तविक अधिकार।
- > स्थानीय युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं में प्रशिक्षित करना।
- > मोबाइल सेवा शिविरों को स्थायी सेवा केंद्रों से जोड़ना।
- > PM-JANMAN, मनरेगा, आयुष्मान भारत, पोषण और शिक्षा योजनाओं का अभिसरण।

- > जनजातीय भाषाओं में सूचना सामग्री।
- > लाभार्थी संपर्क की संख्या के साथ वास्तविक परिणाम—जैसे पोषण, विद्यालय उपस्थिति, स्वास्थ्य और आय—का भी मूल्यांकन।

6.8.11. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

- > ITDA/ITDP: जनजातीय विकास के प्रशासनिक संस्थागत माध्यम।

- > PM-JANMAN: 75 PVTG समुदायों के लिए।
- > PM-JANMAN का परिव्यय: 24,104 करोड़ रुपये।
- > पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन।
- > PESA अधिनियम: 1996।
- > वन अधिकार अधिनियम: 2006।
- > एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: जनजातीय विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा।
- > जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती।

7. कला एवं संस्कृति

7.1. वाराणसी में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्यसमूह बैठक

7.1.1. चर्चा में क्यों?

भारत ने 4-5 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्यसमूह बैठक की मेजबानी की। यह बैठक भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आयोजित की गई। भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स के लिए “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण” को मुख्य विषय बनाया है।

वाराणसी का चयन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की जीवित सांस्कृतिक विरासत, संगीत, आध्यात्मिक परंपरा, गंगा और धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है।

7.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

ब्रिक्स को सामान्यतः आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के मंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक सहयोग भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया था। इसके बाद संस्कृति मंत्रालयों, संग्रहालयों, अभिलेखागारों, फिल्म संस्थानों और कलाकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया।

संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। इसे सांस्कृतिक कूटनीति कहा जाता है। भारत योग, बौद्ध धर्म, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, सिनेमा, हस्तशिल्प और आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है।

7.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

बैठक में तीन मुख्य प्राथमिकताएँ रखी गईं—

- > रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक उद्योग, प्रतिलिप्याधिकार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
- > सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विदेशों में मौजूद सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी।
- > संस्कृति, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास।

पहले दिन रचनात्मक अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच संपर्क पर चर्चा हुई। संगीत, फिल्म, डिजाइन, डिजिटल कला, प्रकाशन और पारंपरिक शिल्प जैसे क्षेत्रों को रोजगार तथा आर्थिक विकास से जोड़ने पर जोर दिया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में कलाकारों की रचनाओं के अनधिकृत उपयोग, कलाकार को उचित श्रेय और रचनाकारों को

पारिश्रमिक देने पर चर्चा हुई। आज कई डिजिटल मंच कलाकारों की आवाज, चित्र, संगीत और लेखन का उपयोग बिना अनुमति कर रहे हैं।

दूसरे दिन सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी और संरक्षण पर चर्चा हुई। इसके साथ ही साझा विरासत के लिए संयुक्त नामांकन की संभावना पर भी विचार किया गया। इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रतिनिधियों ने गंगा आरती, काशी विश्वनाथ धाम और प्रकाश-ध्वनि कार्यक्रम का भी अनुभव किया। इससे भारत ने अपनी जीवित सांस्कृतिक परंपरा को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया।

7.1.4. प्रभाव और महत्व

- > ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को संस्थागत आधार मिलेगा।
- > चोरी हुई मूर्तियों और पुरावशेषों की वापसी के लिए सहयोग बढ़ सकता है।
- > कलाकारों के प्रतिलिप्याधिकार और बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए साझा नियम बन सकते हैं।
- > भारतीय कला, संगीत, नृत्य और विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा।
- > संस्कृति को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जोड़ने का अवसर मिलेगा।
- > वाराणसी और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।
- > रचनात्मक उद्योगों में रोजगार और निवेश की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

7.1.5. चुनौतियाँ

ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक संपत्तियों, प्रतिलिप्याधिकार और एआई से संबंधित कानून अलग-अलग हैं। इसलिए साझा नीति बनाना आसान नहीं होगा।

पुरावशेषों की वापसी के मामलों में स्वामित्व और वास्तविक उत्पत्ति का प्रमाण जुटाना भी कठिन होता है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ने से वाराणसी जैसे शहरों में भीड़, प्रदूषण, कचरा और स्थानीय जीवन पर दबाव बढ़ सकता है।

केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से स्थायी सहयोग नहीं बनता। इसके लिए शोध, वित्त, संस्थागत संपर्क और नियमित समीक्षा भी जरूरी है।



7.1.6. समाधान और आगे की राह

- > ब्रिक्स देशों को सांस्कृतिक संपत्तियों की उत्पत्ति और स्वामित्व का साझा डिजिटल अभिलेख बनाना चाहिए।
- > कलाकारों की अनुमति, श्रेय और पारिश्रमिक से जुड़े न्यूनतम साझा नियम बनाए जाएँ।
- > संयुक्त यूनेस्को नामांकन में स्थानीय समुदायों की सहमति को आवश्यक किया जाए।
- > वाराणसी जैसे शहरों के लिए वहन क्षमता आधारित पर्यटन योजना अपनाई जाए।
- > संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों, कलाकारों और डिजिटल मंचों के बीच नियमित सहयोग हो।
- > एआई द्वारा बनाई गई सामग्री के लिए स्पष्ट बौद्धिक संपदा नियम बनाए जाएँ।

7.1.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > बैठक का स्थान : वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
- > तिथि : 4-5 जून 2026।
- > आयोजन : भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान।
- > संस्कृति सहयोग समझौता : 2015।
- > तीन प्राथमिकताएँ : रचनात्मक अर्थव्यवस्था और एआई, विरासत संरक्षण और वापसी, संस्कृति और सतत विकास।
- > संबंधित संस्था : संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र।
- > चर्चा में शामिल कार्यक्रम : यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड।

7.2. संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कारों की घोषणा

7.2.1. चर्चा में क्यों?

10 जून 2026 को संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए अकादमी फेलोशिप, अकादमी पुरस्कार और

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी प्रदर्शनकारी कलाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं।

7.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और रंगमंच की राष्ट्रीय संस्था है। अकादमी पुरस्कार वर्ष 1952 से दिए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल प्रसिद्ध कलाकारों को सम्मानित करना नहीं है, बल्कि उन परंपराओं को भी संरक्षण देना है जो गुरु-शिष्य परंपरा और स्थानीय समुदायों के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती हैं।

भारत की अनेक लोक और जनजातीय कलाएँ लिखित पुस्तकों में सुरक्षित नहीं हैं। उनका ज्ञान कलाकारों की स्मृति, अभ्यास और मौखिक परंपरा में रहता है। इसलिए कलाकार स्वयं इन परंपराओं के जीवित वाहक होते हैं।

7.2.3. प्रमुख विशेषताएँ

सामान्य परिषद ने—

- > 7 कलाकारों को अकादमी फेलोशिप या अकादमी रत्न के लिए चुना।
- > वर्ष 2024 और 2025 के लिए 108 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना।
- > दोनों वर्षों के लिए 106 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना।

सात फैलो में रामलाल बरेठ, ए. वी. आनंद, रीता गांगुली, पुरु दढ़ीच, चित्तरंजन ज्योतिषी, पसुमार्थी रत्नेया शर्मा और सुधरानी रघुपति शामिल हैं।

पुरस्कारों में संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक एवं जनजातीय कला, कठपुतली, मुखौटा निर्माण, वाद्य निर्माण, कला समीक्षा तथा समग्र योगदान जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश से नौटंकी कलाकार अतमजीत सिंह को अकादमी पुरस्कार और गजेन्द्र सिंह को युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। यह

उत्तर प्रदेश की नौटंकी परंपरा के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहचान है।

7.2.4. पुरस्कार राशि

- > अकादमी फैलोशिप : 3 लाख रुपये, ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम।
- > अकादमी पुरस्कार : 1 लाख रुपये, ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम।
- > उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार : 25 हजार रुपये, ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम।

अकादमी फैलोशिप एक समय में अधिकतम 40 जीवित कलाकारों तक सीमित रहती है। फैलोशिप और अकादमी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

7.2.5. प्रभाव और महत्व

- > लोक और जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय पहचान मिलती है।
- > युवा पीढ़ी पारंपरिक कलाओं की ओर आकर्षित होती है।
- > कलाकारों को सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं।
- > गुरु-शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- > विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधता सामने आती है।
- > विलुप्त होती कलाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण संभव होता है।
- > नौटंकी, सत्रिया, छऊ, कठपुतली और लोकसंगीत जैसी कलाओं को नए दर्शक मिलते हैं।

7.2.6. चुनौतियाँ

लोक कलाकारों के सामने नियमित आय, मंच, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की समस्या है। अनेक कलाकारों के बच्चे इस पेशे को छोड़कर दूसरी नौकरियों में जा रहे हैं, जिससे पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण कमजोर हो रहा है।

दूसरी समस्या यह है कि लोककलाओं को पर्यटन और मनोरंजन के लिए इतना बदला जाता है कि उनका मूल सामाजिक या धार्मिक संदर्भ समाप्त हो जाता है। कई बार कलाकारों की रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों का डिजिटल मंचों पर बिना अनुमति उपयोग होता है।

7.2.7. समाधान और आगे की राह

- > प्रत्येक राज्य में लोक एवं जनजातीय कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- > वरिष्ठ कलाकारों को नियमित मानदेय और युवा शिष्यों को छात्रवृत्ति दी जाए।
- > लोककलाओं का उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल अभिलेख तैयार किया जाए।
- > कलाकारों को प्रतिलिप्याधिकार और डिजिटल माध्यमों का प्रशिक्षण दिया जाए।
- > विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थानीय कला परंपराओं को शामिल किया जाए।
- > कलाकारों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
- > पुरस्कार मिलने के बाद भी कलाकारों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के अवसर दिए जाएँ।

7.2.8. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > संस्था : संगीत नाटक अकादमी।
- > क्षेत्र : संगीत, नृत्य और रंगमंच।
- > पुरस्कार प्रारंभ : 1952।
- > फैलोशिप का नाम : अकादमी रत्न।
- > फैलोशिप की सीमा : एक समय में 40 जीवित कलाकार।
- > युवा पुरस्कार : उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर।
- > पुरस्कारों में : ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम।
- > उत्तर प्रदेश की संबंधित कला : नौटंकी।

7.3. ओरेसुंड जहाज के लिए भारत-डेनमार्क जलमग्न पुरातत्व सहयोग

7.3.1. चर्चा में क्यों?

15 जून 2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जलमग्न पुरातत्व प्रभाग और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। इसका उद्देश्य 1619 ईस्वी में पुडुचेरी के कराईकल तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए डेनिश जहाज **ओरेसुंड** के अवशेषों का पता लगाना और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना है।

7.3.2. पृष्ठभूमि और कारण

ओरेसुंड भारत पहुँचने वाला पहला ज्ञात डेनिश जहाज था। इसके अवशेष भारत और डेनमार्क के शुरूआती समुद्री संबंधों तथा हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों को समझने में सहायता कर सकते हैं।

जहाजों के मलबे से केवल समुद्री यात्रा की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उस समय की व्यापारिक वस्तुओं, नौवहन तकनीक, बंदरगाहों, यूरोपीय कंपनियों और तटीय समाजों के बारे में भी जानकारी मिलती है।

जलमग्न सांस्कृतिक विरासत में ऐसे मानव-निर्मित अवशेष आते हैं जो कम-से-कम 100 वर्षों से आंशिक या पूरी तरह पानी के नीचे हैं। इसमें जहाजों के मलबे, डूबे हुए बंदरगाह, बस्तियाँ और समुद्री संरचनाएँ शामिल हो सकती हैं।

7.3.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > सहयोगी संस्था : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जलमग्न पुरातत्व प्रभाग।
- > विदेशी संस्था : डेनमार्क का राष्ट्रीय संग्रहालय।
- > परियोजना स्थल : कराईकल, पुडुचेरी के निकट समुद्री क्षेत्र।
- > जहाज : ओरेसुंड।
- > दुर्घटना : 1619 ईस्वी।
- > सर्वेक्षण का तरीका : अनाक्रामक वैज्ञानिक सर्वेक्षण।
- > उद्देश्य : जहाज के संभावित अवशेषों की पहचान और दस्तावेजीकरण।
- > यह भारतीय जलमग्न पुरातत्व प्रभाग की पहली अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है।

ऐसे सर्वेक्षणों में समुद्री मानचित्रण, सोनार, चुंबकीय सर्वेक्षण, जलमग्न छायांकन और त्रि-आयामी अभिलेखन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।



7.3.4. प्रभाव और महत्व

- > भारत के समुद्री इतिहास को समझने में सहायता मिलेगी।
- > भारत-डेनमार्क के ऐतिहासिक संबंधों पर नया शोध संभव होगा।
- > हिंद महासागर व्यापार और यूरोपीय समुद्री गतिविधियों की जानकारी बढ़ेगी।
- > भारत में जलमग्न पुरातत्व की वैज्ञानिक क्षमता मजबूत होगी।
- > तटीय संग्रहालय और समुद्री विरासत पर्यटन विकसित हो सकते हैं।
- > समुद्री पुरावशेषों की चोरी और अवैध व्यापार पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी।
- > भारत की विरासत संरक्षण नीति में समुद्री क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा।

7.3.5. चुनौतियाँ

समुद्र के अंदर कम दृश्यता, तेज धाराएँ, गहराई और मौसम सर्वेक्षण को कठिन बनाते हैं। नमक और पानी के कारण लकड़ी, धातु तथा कपड़े तेजी से नष्ट हो सकते हैं।

जहाज के सही स्थान की पहचान करना भी चुनौतीपूर्ण है। यदि मलबे की जानकारी सार्वजनिक हो जाए तो अवैध गोताखोरी और लूट का खतरा बढ़ सकता है।

भारत में जलमग्न पुरातत्व विशेषज्ञों, संरक्षण प्रयोगशालाओं और आधुनिक उपकरणों की संख्या अभी सीमित है। इसके अतिरिक्त, समुद्री विरासत के संरक्षण में पुरातत्व विभाग, तटरक्षक बल, बंदरगाह प्राधिकरण और स्थानीय मछुआरा समुदाय के बीच समन्वय आवश्यक है।

7.3.6. समाधान और आगे की राह

- > भारत के पूरे समुद्री तट का जलमग्न विरासत सर्वेक्षण कराया जाए।
- > समुद्री पुरातत्व में विशेषज्ञ प्रशिक्षण और शोध संस्थान बढ़ाए जाएँ।

- > स्थानीय मछुआरों को संभावित अवशेषों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- > संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए।
- > समुद्री संग्रहालयों और संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए।
- > जलमग्न विरासत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों को अपनाया जाए।
- > जलवायु परिवर्तन और समुद्री अम्लीकरण के प्रभावों का नियमित अध्ययन हो।

7.3.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > जहाज : ओरेसुंड।
- > दुर्घटना : 1619 ईस्वी।
- > स्थान : कराईकल, पुडुचेरी के पास।
- > सहयोग : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क का राष्ट्रीय संग्रहालय।
- > परियोजना : जलमग्न पुरातत्व।
- > सर्वेक्षण : अनाक्रामक वैज्ञानिक पद्धति।
- > यूनेस्को का संबंधित अभिसमय : 2001 का जलमग्न सांस्कृतिक विरासत अभिसमय।
- > जलमग्न सांस्कृतिक विरासत की न्यूनतम अवधि : 100 वर्ष।

7.4. 'विकास भी, विरासत भी' के तहत विरासत संरक्षण का आकलन

7.4.1. चर्चा में क्यों?

18 जून 2026 को प्रेस सूचना ब्यूरो ने "विकास भी, विरासत भी" शीर्षक से एक विस्तृत पृष्ठभूमि पत्र जारी किया। इसमें विरासत संरक्षण, पर्यटन विकास, पुरावशेषों की वापसी, संग्रहालयों और सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण से संबंधित उपलब्धियों का उल्लेख किया गया।

7.4.2. पृष्ठभूमि और कारण

विरासत संरक्षण का अर्थ केवल पुराने स्मारक की मरम्मत करना नहीं है। इसमें स्मारक, पुरावशेष, पांडुलिपियाँ, लोक परंपराएँ, भाषाएँ, संगीत, नृत्य, त्योहार और समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली भी शामिल हैं।

“विकास भी, विरासत भी” का उद्देश्य यह है कि विरासत स्थलों पर सड़क, स्वच्छता, सुरक्षा, आवास और पर्यटन सुविधाओं का विकास हो, लेकिन स्थानीय स्थापत्य, सांस्कृतिक पहचान और समुदायों के अधिकारों की अनदेखी न हो।

7.4.3. प्रमुख विशेषताएँ और आँकड़े

Adopt a Heritage 2.0 के अंतर्गत मार्च 2026 तक 30 समझौते किए गए। इन स्मारकों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.359 करोड़ से अधिक आगतुक पहुँचे।

PRASHAD योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 54 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं। इनकी अनुमानित लागत 1,726.74 करोड़ रुपये है और 32 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत अप्रैल 2026 तक 3,686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक थे।

राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन ने मार्च 2026 तक 1.84 लाख स्मारकों और 17.20 लाख पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण किया।

स्वदेश दर्शन योजना के पहले चरण में 76 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें 75 परियोजनाएँ मार्च 2026 तक पूरी हो गईं। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत 53 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

2014 के बाद भारत 653 पुरावशेष विदेशों से वापस ला चुका है। इनमें 613 पुरावशेष पिछले पाँच वर्षों में वापस लाए गए।

ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है और 1.29 लाख पांडुलिपियों राष्ट्रीय डिजिटल भंडार पर उपलब्ध कराई गई हैं।

7.4.4. प्रभाव और महत्व

- > विरासत पर्यटन से स्थानीय रोजगार बढ़ता है।
- > शिल्पकारों, गाइडों, दुकानदारों और परिवहन क्षेत्र को लाभ मिलता है।
- > पुरावशेषों की वापसी से ऐतिहासिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मविश्वास मजबूत होता है।
- > डिजिटल अभिलेख से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को सामग्री उपलब्ध होती है।
- > संग्रहालयों को शिक्षा और अनुभव आधारित केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- > भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव मजबूत होता है।
- > पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

7.4.5. चुनौतियाँ

विरासत विकास के नाम पर अत्यधिक निर्माण और सौंदर्यीकरण से स्मारकों की मौलिकता प्रभावित हो सकती है। कई बार स्थानीय लोगों को हटाकर बड़े निर्माण किए जाते हैं, जिससे समुदायों का अपने ही विरासत स्थल से संबंध कमजोर होता है।

अन्य प्रमुख चुनौतियाँ हैं—

- > अत्यधिक पर्यटन और भीड़।
- > प्रदूषण तथा कचरा।
- > जल संकट और यातायात दबाव।
- > स्थानीय समुदाय को कम आर्थिक लाभ।
- > वैज्ञानिक संरक्षण के बजाय सतही मरम्मत।
- > बाढ़, भूकंप और जलवायु परिवर्तन का खतरा।
- > विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव।

7.4.6. समाधान और आगे की राह

- > प्रत्येक विरासत स्थल के लिए वैज्ञानिक संरक्षण योजना बनाई जाए।
- > बड़े निर्माण से पहले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन हो।
- > स्थानीय समुदायों को योजना बनाने और आय-साझेदारी में शामिल किया जाए।
- > पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता तय की जाए।
- > स्मारकों की मरम्मत पारंपरिक सामग्री और प्रमाण आधारित तकनीक से की जाए।
- > डिजिटल अभिलेख के साथ मूल वस्तुओं का भौतिक संरक्षण भी जारी रहे।
- > विरासत से जुड़े रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।
- > संग्रहालयों और स्मारकों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ।

7.4.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > PRASHAD : तीर्थ और आध्यात्मिक पर्यटन विकास।
- > HRIDAY : विरासत शहरों के शहरी विकास और संरक्षण से संबंधित योजना।
- > HRIDAY का मिशन काल : 31 मार्च 2019 तक।
- > Adopt a Heritage 2.0 : संरक्षित स्मारकों पर आगतुक सुविधाएँ।
- > NMMA : स्मारकों और पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण।
- > ASI : पुरातात्विक शोध और केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की प्रमुख संस्था।
- > Gyan Bharatam : पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटलीकरण।
- > अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा।
- > अनुच्छेद 51A(f) : सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का नागरिक दायित्व।



7.5. मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026

7.5.1. चर्चा में क्यों?

15-21 जून 2026 के बीच मुंबई में 19वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव डॉक्यूमेंट्री, लघु कथा और एनीमेशन फिल्मों के लिए भारत का प्रमुख मंच है। इसका आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत किया।

7.5.2. पृष्ठभूमि और कारण

मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी। यह दक्षिण एशिया का प्रमुख गैर-फीचर फिल्म महोत्सव माना जाता है और इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है।

डॉक्यूमेंट्री फिल्में किसी समाज के इतिहास, संघर्ष, लोकजीवन, पर्यावरण और सामाजिक बदलाव का दृश्य अभिलेख तैयार करती हैं। लघु फिल्में नए फिल्मकारों को अवसर देती हैं, जबकि एनीमेशन के माध्यम से इतिहास, लोककथा और कल्पना को नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

7.5.3. प्रमुख विशेषताएँ

- > आयोजन : 15-21 जून 2026।
- > स्थान : एनएफडीसी परिसर, मुंबई।
- > संस्करण : 19वाँ।
- > प्रतियोगिता में 1,459 फिल्म प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।
- > फिल्मों में 42 से अधिक भारतीय भाषाओं और 30 से अधिक विदेशी भाषाओं का प्रतिनिधित्व रहा।
- > कुल 17 पुरस्कार दिए गए।
- > सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री का गोल्डन कॉन्क पुरस्कार पोलैंड की फिल्म **Silver** को मिला।

- > ईरान की फिल्म **Under The Snow** को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय लघु कथा फिल्म का पुरस्कार मिला।
- > जर्मनी की **Maya's Song** को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एनीमेशन फिल्म का पुरस्कार मिला।
- > दूसरी बार WAVES Doc Bazaar आयोजित किया गया।

Doc Bazaar में सह-निर्माण बाजार, देखने का कक्ष और निर्माणाधीन फिल्मों के लिए कार्यशाला जैसी सुविधाएँ शामिल थीं। इसका उद्देश्य फिल्मकारों को निर्माता, वितरक और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ना था।

7.5.4. प्रभाव और महत्व

- > क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय कथाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलता है।
- > युवा और स्वतंत्र फिल्मकारों को मार्गदर्शन तथा आर्थिक अवसर मिलते हैं।
- > भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- > डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे सामने आते हैं।
- > भारतीय समाज की विविधता दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है।
- > सह-निर्माण और वितरण के अवसर बढ़ते हैं।
- > फिल्में लोककला, इतिहास और परंपराओं के संरक्षण का माध्यम बनती हैं।

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत पुरानी फिल्मों का डिजिटलीकरण और पुनर्स्थापन किया जा रहा है। फिल्मी सामग्री में केवल कलाकारों का इतिहास नहीं, बल्कि उस समय की भाषा, पोशाक, संगीत, तकनीक और सामाजिक जीवन भी सुरक्षित रहता है।

सोच व्यापक
तो तैयारी दमदार...
सही दिशा
सही तैयारी
सफल भारत की ओर...



DISCIPLINE
DIRECTION
DEDICATION
A BRIGHTER TOMORROW

Better
Aspirants
Brighter
India

भूगोल (GS)

वैकल्पिक विषय UPSC CSE 2027

Admissions Open

Offline + Online | Concept to Answer Writing

Concepts • Maps • Diagrams • Revision



Comprehensive Coverage

Static + Dynamic
Current Linkages



Conceptual Clarity

Diagrams, Maps
& Real World
Examples



Class Notes + Discussion

Updated &
Exam-Oriented
Material



Answer Writing Practice

Structured
Evaluation &
Feedback



Regular Tests

Sectional + Full
Length Tests



Mentor Support

Personal Guidance
for Your Success

Geography Today
A Better Tomorrow



INDIAN GEOGRAPHY

WORLD GEOGRAPHY

ENVIRONMENT & ECOLOGY

MAP PRACTICE

CURRENT AFFAIRS

Maps
Ideas
People
A Brighter
India



Know the Earth
Shape a Brighter Tomorrow



Rainbow IAS | Mukherjee Nagar, Delhi
Same Place. Brighter Futures.



Query: 9217432851
8796494851

सेवा
सुशासन
समृद्ध भारत

Let's Build
a Better You

KNOWLEDGE

| DISCIPLINE

| OPPORTUNITY

| A BRIGHTER INDIA

7.5.5. चुनौतियाँ

पुरानी फिल्म रीलें नमी, तापमान और खराब भंडारण के कारण नष्ट हो रही हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का डिजिटलीकरण अभी समान रूप से नहीं हुआ है।

स्वतंत्र फिल्मकारों को वित्त, वितरण और प्रचार की समस्या रहती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को व्यावसायिक फिल्मों की तुलना में कम दर्शक और बाजार मिलता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और बिना अनुमति सामग्री के उपयोग से कलाकारों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को खतरा बढ़ रहा है। कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपशीर्षक भी उपलब्ध नहीं होते।

7.5.6. समाधान और आगे की राह

- > राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय फिल्म अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण किया जाए।
- > पुरानी फिल्मों के संरक्षण के लिए नियंत्रित तापमान और नमी वाली प्रयोगशालाएँ बनाई जाएँ।
- > सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अच्छे उपशीर्षक उपलब्ध कराए जाएँ।
- > स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए सार्वजनिक वित्त और वितरण सहायता बढ़ाई जाए।

- > विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए।
- > एआई और डीपफेक से संबंधित बौद्धिक संपदा नियम स्पष्ट किए जाएँ।
- > फिल्म महोत्सवों को बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और विश्वविद्यालयों तक ले जाया जाए।

7.5.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > पूरा नाम : मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव।
- > शुरुआत : 1990।
- > आयोजन : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम।
- > मंत्रालय : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
- > आयोजन की प्रकृति : द्विवार्षिक।
- > फिल्म श्रेणियाँ : डॉक्यूमेंट्री, लघु कथा और एनीमेशन।
- > 2026 संस्करण : 19वाँ।
- > प्रमुख पुरस्कार : गोल्डन कॉन्क और सिल्वर कॉन्क।
- > संबंधित मंच : WAVES Doc Bazaar।
- > संबंधित योजना : राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन।
- > संबंधित संस्था : राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार।



8. नीतिशास्त्र

8.1. नीट की पुनर्परीक्षा : परीक्षा की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी

8.1.1. चर्चा में क्यों?

21 जून 2026 को नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार, इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा भारत में 5,440 केंद्रों और विदेशों में 14 केंद्रों पर हुई। इस घटनाक्रम ने परीक्षा की सुरक्षा के साथ

समान अवसर, संस्थागत ईमानदारी और विद्यार्थियों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को सामने रखा।

8.1.2. पृष्ठभूमि और कारण

इससे पहले 3 मई को आयोजित परीक्षा को प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी थी। इसके बाद जून में दोबारा परीक्षा कराई गई।

प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर बाँटे जाते हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता का संबंध लाखों परिवारों की मेहनत और भविष्य से होता है। किसी व्यक्ति को प्रश्नपत्र पहले मिल जाना दूसरे अभ्यर्थी के उचित अवसर को छीन सकता है।

यहाँ मूल नैतिक प्रश्न है कि जिस व्यवस्था पर विद्यार्थी भरोसा करके वर्षों तैयारी करता है, वह व्यवस्था उसके परिश्रम की रक्षा कितनी जिम्मेदारी से करती है।

8.1.3. प्रमुख विशेषताएँ

- सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपालन:** परीक्षा से जुड़े कर्मचारी के लिए गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना उसका मूल कर्तव्य है। आर्थिक लाभ, परिचित की सहायता या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव इस कर्तव्य से हटने का उचित कारण नहीं बन सकता। सत्यनिष्ठा का अर्थ कठिन परिस्थिति में भी अपने सही सिद्धांतों पर टिके रहना है।
- निष्पक्ष प्रक्रिया:** उचित चयन के लिए प्रश्नपत्र की सुरक्षा, सही मूल्यांकन और शिकायत सुनने की व्यवस्था आवश्यक है। परिणाम तभी भरोसेमंद होगा जब उसे तैयार करने की पूरी प्रक्रिया भरोसेमंद हो।
- समान अवसर और वास्तविक परिस्थितियाँ:** दोबारा परीक्षा देने का नियम सभी पर लागू हो सकता है, लेकिन उसका बोझ सभी पर समान नहीं पड़ता। गरीब परिवार के विद्यार्थी के लिए यात्रा, रहने और तैयारी का अतिरिक्त खर्च गंभीर समस्या बन सकता है। इसलिए समान अवसर सुनिश्चित करने में जरूरत के अनुसार सहायता देना भी शामिल है।
- संस्थागत जवाबदेही:** गलती सामने आने पर संस्था की जिम्मेदारी उसके कारण बताना, प्रभावित लोगों की सहायता करना और सुधार लागू करना है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जानकारी छिपाना सार्वजनिक विश्वास को और कमजोर कर सकता है।

8.1.4. प्रभाव और महत्व

परीक्षा में निष्पक्षता युवाओं के भीतर यह विश्वास बनाए रखती है कि मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। इसके कमजोर होने पर ईमानदार अभ्यर्थियों में निराशा और व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो सकता है।

पुनर्परीक्षा से निष्पक्ष चयन का अवसर बहाल करने में सहायता मिल सकती है, लेकिन विद्यार्थियों पर दोबारा तैयारी और अनिश्चितता का बोझ भी आता है। इसलिए प्रशासनिक निर्णय का मूल्यांकन करते समय उसके उद्देश्य के साथ प्रभावित लोगों की परिस्थितियाँ भी देखनी चाहिए।

यह घटना बताती है कि लोकसेवा में ईमानदारी के साथ संवेदनशीलता जरूरी है। सुरक्षित परीक्षा केंद्र के साथ पीने का पानी, दिव्यांग अभ्यर्थियों की सहायता और स्पष्ट निर्देश भी जिम्मेदार प्रशासन के हिस्से हैं।

8.1.5. चुनौतियाँ

परीक्षा संचालन में प्रश्नपत्र तैयार करने, छापने, पहुँचाने और केंद्र पर खोलने तक अनेक लोग शामिल होते हैं। किसी भी स्तर की कमजोरी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

दूसरी चुनौती सुरक्षा और सम्मान के बीच संतुलन की है। पहचान की जाँच तथा तलाशी के दौरान अभ्यर्थियों की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। तकनीकी पहचान में त्रुटि होने पर वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था जरूरी है।

जाँच में भी निष्पक्षता आवश्यक है। किसी व्यक्ति की संलिप्तता का निर्णय प्रमाण के आधार पर होना चाहिए; आरोप लगने मात्र से उसे दोषी मान लेना उचित नहीं है।

NEET पुनर्परीक्षा: परीक्षा की निष्पक्षता और विद्यार्थी के प्रति जिम्मेदारी

विश्वसनीय परीक्षा • न्यायसंगत अवसर • सक्षम युवा • सशक्त भारत

सुरक्षित एवं विश्वसनीय परीक्षा प्रक्रिया



निष्पक्ष पुनर्परीक्षा की ओर

21 जून 2026
20 लाख+ अभ्यर्थी
5,440 केंद्र भारत में
• 14 विदेशों में



सत्यनिष्ठा

व्यक्तिगत और संस्थागत ईमानदारी



निष्पक्ष प्रक्रिया

नियम-आधारित, पारदर्शी, सभी के लिए समान



समान अवसर

किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव नहीं



संस्थागत जवाबदेही

त्रुटि पर स्वीकृति, सुधार और जिम्मेदारी



विद्यार्थी सहायता:

जानकारी • सुविधा • मानसिक संवेदनशीलता

परीक्षा केवल एक मूल्यांकन नहीं, बल्कि लाखों भविष्य से जुड़ा विश्वास है।

आरोप ≠ दोषसिद्धि
जाँच जरूरी, निष्पक्षता के साथ।

समान नियम + जरूरत के अनुसार सहायता
न्याय का अर्थ है संवेदनशीलता भी।

विश्वास तभी जब प्रक्रिया भरोसेमंद
विश्वसनीयता ही बेघात की आधारशिला।

नैतिक आधार (UPSC Ethics)

कर्तव्यनिष्ठा + करुणा + पारदर्शिता

न्यायपूर्ण प्रणाली, संवेदनशील शासन, बेहतर समाज।

Better Ethics Brighter India

सही मार्ग, उज्ज्वल भविष्य



8.1.6. समाधान और आगे की राह

- > **हर चरण की जिम्मेदारी तय हो:** प्रश्नपत्र किस व्यक्ति के पास, किस समय और किस उद्देश्य से पहुँचा, इसका सुरक्षित अभिलेख रखा जाए।
- > **विद्यार्थियों को समय पर सहायता मिले:** परीक्षा संबंधी बदलाव, शिकायतों के उत्तर और आवश्यक सुविधाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाए। पुनर्परीक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का प्रावधान विद्यार्थी सहायता का एक उदाहरण है।
- > **गड़बड़ी बताने वालों की सुरक्षा हो:** कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने का सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराया जाए।
- > **सुधारों की स्वतंत्र समीक्षा हो:** कार्रवाई के बाद यह भी देखा जाए कि पहचानी गई कमजोरियाँ वास्तव में दूर हुई या नहीं।
- > **मानसिक दबाव को समझा जाए:** विद्यार्थियों की शिकायतों को केवल औपचारिक आवेदन समझकर निपटाने के बजाय उनकी वास्तविक परेशानी सुनी जाए।

8.1.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी **एनटीए**, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
- > नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा **21 जून 2026** को हुई।
- > पुनर्परीक्षा **13 भाषाओं** में आयोजित की गई।

8.2. सार्वजनिक धन की लेखापरीक्षा : शासन में ईमानदारी और जवाबदेही

8.2.1. चर्चा में क्यों?

3 जून 2026 को उपराष्ट्रपति ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक *When Audit Matters: CAG Interventions That Made a Difference* का विमोचन किया। इस अवसर पर सार्वजनिक धन के उचित उपयोग, नैतिक प्रशासन और लेखापरीक्षा की भूमिका पर बल दिया गया।

8.2.2. पृष्ठभूमि और कारण

सरकार के पास उपलब्ध धन जनता से प्राप्त करें और अन्य सार्वजनिक संसाधनों से आता है। इसके उपयोग का अधिकार मिलने के साथ सरकार पर यह जिम्मेदारी भी आती है कि खर्च का लाभ लोगों तक पहुँचे।

लोकसेवक इस धन का संरक्षक होता है। उसके निर्णय से यह तय होता है कि विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध होंगे, अस्पताल में दवा पहुँचेगी या किसी गाँव में पेयजल व्यवस्था बनेगी।

इसलिए सार्वजनिक धन के उपयोग में नैतिकता का अर्थ रिश्तत से दूर रहने के साथ सावधानीपूर्वक योजना बनाना, अनावश्यक खर्च रोकना और काम के परिणामों की जिम्मेदारी लेना भी है।

8.2.3. प्रमुख विशेषताएँ

1. **वित्तीय शुचिता:** सार्वजनिक खर्च में ईमानदारी, उचित प्रक्रिया और जनहित का ध्यान रखना वित्तीय शुचिता है। किसी खरीद में निजी लाभ न लेने के साथ यह देखना भी जरूरी है कि खरीद वास्तव में आवश्यक है या नहीं।

2. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** पारदर्शिता से लोगों को निर्णय और खर्च की जानकारी मिलती है। जवाबदेही में संबंधित अधिकारी को अपने निर्णय का कारण बताना और कमी होने पर सुधार करना पड़ता है। केवल दस्तावेज उपलब्ध करा देना पूरी जवाबदेही नहीं है।
3. **खर्च की गुणवत्ता:** कार्यानिष्पादन लेखापरीक्षा में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता देखी जाती है। मितव्ययिता का अर्थ उचित गुणवत्ता वाले संसाधन उचित लागत पर लेना; दक्षता का अर्थ उपलब्ध संसाधनों से बेहतर काम करना; और प्रभावशीलता का अर्थ निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करना है।
4. **हितों के टकराव से बचाव:** यदि खरीद का निर्णय करने वाले अधिकारी का किसी विक्रेता से निजी संबंध है, तो उसके निष्पक्ष निर्णय पर प्रश्न उठ सकता है। ऐसे संबंध की जानकारी देना और आवश्यकता पड़ने पर निर्णय से अलग होना नैतिक जिम्मेदारी है।

8.2.4. प्रभाव और महत्व

मान लीजिए किसी सरकारी अस्पताल ने महँगी जाँच मशीन खरीद ली, लेकिन उसे चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी और बिजली की व्यवस्था नहीं की। भुगतान के कागज पूरे होने के बावजूद मरीजों को लाभ नहीं मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी खर्च पूरा करने के साथ सेवा उपलब्ध कराने की भी है।

प्रभावी लेखापरीक्षा ऐसी कमियों को पहचानने और भविष्य के खर्च को बेहतर बनाने में सहायता कर सकती है। उसका लाभ विशेष रूप से उन लोगों को मिलता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भर हैं।

साथ ही, प्रमाण और स्पष्ट नियमों पर आधारित समीक्षा ईमानदार अधिकारियों को अपने उचित निर्णय समझाने का अवसर देती है।

8.2.5. चुनौतियाँ

लेखापरीक्षा की उपयोगिता घट सकती है यदि आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न हों, विभाग उत्तर देने में देरी करें या सामने आई कमियों पर कार्रवाई न हो।

हर प्रक्रियागत त्रुटि को जानबूझकर किए गए भ्रष्टाचार के बराबर मानना भी उचित नहीं है। गलती, लापरवाही और निजी लाभ के लिए किए गए दुरुपयोग में अंतर करना आवश्यक है। अन्यथा अधिकारी उचित निर्णय लेने से भी बचने लग सकते हैं।

लेखापरीक्षक की अपनी निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है। उसकी रिपोर्ट प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए और संबंधित विभाग का पक्ष सुनना चाहिए।

8.2.6. समाधान और आगे की राह

- > **खरीद से पहले आवश्यकता जाँची जाए:** भवन, उपकरण या सेवा पर खर्च करने से पहले उसके उपयोग और रखरखाव की व्यवस्था स्पष्ट हो।
- > **निर्णय के कारण दर्ज हों:** किस विकल्प को क्यों चुना गया, इसका अभिलेख रहने से बाद में निर्णय की निष्पक्ष समीक्षा संभव होती है।
- > **रिपोर्ट पर कार्रवाई की समयसीमा हो:** विभाग बताए कि प्रत्येक महत्वपूर्ण आपत्ति पर क्या सुधार किया गया।



- > **जनता का अनुभव शामिल हो:** जहाँ उपयुक्त हो, लाभार्थियों से यह जाना जाए कि जिस सेवा पर खर्च हुआ, वह उन्हें मिल भी रही है या नहीं।
- > **जिम्मेदारी प्रमाण के अनुसार तय हो:** जानबूझकर दुरुपयोग पर कार्रवाई हो और ईमानदार नृटियों के लिए प्रशिक्षण तथा प्रक्रिया सुधार किए जाएँ।

8.2.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **अनुच्छेद 148:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पद।
- > **अनुच्छेद 149:** सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ।
- > **अनुच्छेद 151:** संघ से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है; वे इन्हें संबंधित विधायिका के समक्ष रखवाते हैं।
- > कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख आधार हैं— **मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता।**

8.3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा : तकनीक के साथ मानवीय जिम्मेदारी

8.3.1. चर्चा में क्यों?

13-14 जून 2026 को बेंगलुरु में छठा **RISE सम्मेलन** आयोजित हुआ। इसके प्रमुख विषयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समाज और नैतिकता का संबंध शामिल था। सम्मेलन ने तकनीक के विस्तार के साथ उसके जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता को सामने रखा।

8.3.2. पृष्ठभूमि और कारण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग जानकारी का विश्लेषण करने और निर्णय लेने में सहायता के लिए किया जाता है। जब इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, भर्ती या सरकारी सेवाओं में होता

है, तब इसकी गलती किसी व्यक्ति के अवसर और अधिकार को प्रभावित कर सकती है।

नीति आयोग के जिम्मेदार एआई संबंधी दस्तावेज में भी पक्षपात, सेवाओं से बाहर हो जाने, निजता और जवाबदेही जैसी समस्याओं की पहचान की गई है।

इस विषय का केंद्रीय नैतिक प्रश्न है कि तकनीक का उपयोग करते समय व्यक्ति की परिस्थितियों, गरिमा और अपनी बात रखने के अवसर की रक्षा कैसे की जाए।

8.3.3. प्रमुख विशेषताएँ

- निष्पक्षता:** एआई जिस जानकारी से सीखता है, उसमें मौजूद असंतुलन उसके परिणामों में आ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी चयन प्रणाली को सिखाने के लिए केवल कुछ प्रकार की पृष्ठभूमि वाले सफल लोगों का विवरण लिया जाए, तो वह अन्य योग्य लोगों की क्षमताओं को कम आँक सकती है।
- निर्णय को समझने की क्षमता:** किसी आवेदन के अस्वीकार होने पर संबंधित व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि कमी कहाँ थी। केवल यह कह देना कि मशीन ने आवेदन खारिज कर दिया, समस्या के समाधान में सहायता नहीं करता।
- मानवीय जवाबदेही:** तकनीक के उपयोग के बाद भी जिम्मेदारी संबंधित संस्था और अधिकारियों की रहती है। यूनेस्को की एआई नैतिकता संबंधी अनुशंसा मानव गरिमा, निष्पक्षता, निजता और मानवीय निगरानी पर बल देती है।
- संवेदनशीलता:** किसी व्यक्ति का जीवन केवल उसके डिजिटल अभिलेख से नहीं समझा जा सकता। दस्तावेज में त्रुटि, भाषा की कठिनाई या असाधारण पारिवारिक परिस्थिति को समझने के लिए सुनने और विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।



8.3.4. प्रभाव और महत्व

एआई का उचित उपयोग कर्मचारियों को जानकारी व्यवस्थित करने और समय बचाने में सहायता कर सकता है। इस बचत का लाभ लोगों की समस्याएँ सुनने तथा जटिल मामलों पर अधिक ध्यान देने में लिया जा सकता है।

मान लीजिए किसी वृद्ध व्यक्ति का पेंशन आवेदन नाम की वर्तनी में अंतर के कारण संदिग्ध दिख रहा है। जिम्मेदार अधिकारी को आवश्यक प्रमाण देखकर त्रुटि सुधारने में सहायता करनी चाहिए। यदि वह बिना जाँच मशीन के संकेत को अंतिम मान लेता है, तो तकनीक से मिलने वाली सुविधा उस व्यक्ति के लिए बाधा बन जाएगी।

यहाँ करुणा का अर्थ पात्रता के नियम छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ व्यक्ति की कठिनाई समझकर उसे उचित प्रक्रिया पूरी करने में सहायता देना है।

8.3.5. चुनौतियाँ

एक चुनौती मशीन के परिणाम पर जरूरत से अधिक विश्वास करना है। प्रभावशाली भाषा में दिया गया उत्तर या सटीक दिखने वाला अंक भी गलत हो सकता है।

दूसरी चुनौती जिम्मेदारी का बँट जाना है। तकनीक बनाने वाली कंपनी, उसे खरीदने वाला विभाग और उसका उपयोग करने वाला अधिकारी—तीनों जुड़े होते हैं। यदि पहले से जिम्मेदारी स्पष्ट न हो, तो त्रुटि होने पर सुधार में देरी हो सकती है।

भाषा, इंटरनेट और डिजिटल जानकारी की कमी भी कुछ लोगों को पीछे छोड़ सकती है। तकनीक के माध्यम से सेवा देते समय इन परिस्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है।

8.3.6. समाधान और आगे की राह

- > **जोखिम के अनुसार जाँच हो:** सामान्य जानकारी देने वाली प्रणाली और किसी व्यक्ति की आवश्यक सेवा रोकने वाली प्रणाली की जाँच का स्तर अलग होना चाहिए।
- > **मानवीय समीक्षा का रास्ता रहे:** प्रभावित व्यक्ति को निर्णय पर आपत्ति करने और जिम्मेदार कर्मचारी से बात करने की सुविधा मिले।
- > **उपयोग से पहले स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण हो:** अलग भाषाओं, क्षेत्रों और सामाजिक परिस्थितियों में त्रुटियों की पहचान की जाए।
- > **जिम्मेदारियाँ पहले स्पष्ट हों:** तकनीकी गलती कौन सुधारेगा और प्रभावित व्यक्ति की शिकायत कौन सुनेगा, यह तय हो।
- > **कर्मचारियों का विवेक विकसित किया जाए:** प्रशिक्षण में एआई चलाने के साथ उसके उत्तर पर प्रश्न करना, प्रमाण देखना और आवश्यक होने पर निर्णय की समीक्षा करना सिखाया जाए।

8.3.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **RISE:** अनुसंधान, उद्योग, नवउद्यम और उद्यमिता से संबंधित सम्मेलन।
- > यूनेस्को की एआई नैतिकता संबंधी अनुशंसा **नवंबर 2021** में अपनाई गई थी।
- > नीति आयोग ने **2021 में जिम्मेदार एआई के सिद्धांतों** पर दस्तावेज जारी किया था। इसमें सुरक्षा, समानता, समावेशन, निजता, पारदर्शिता, जवाबदेही और सकारात्मक मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है।

8.4. अंगदान : करुणा, स्वतंत्र सहमति और न्यायपूर्ण अवसर

8.4.1. चर्चा में क्यों?

22 जून 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में अंगदान का संकल्प दर्ज कराने वालों की संख्या पाँच लाख से अधिक हो गई है। **यह अंगदान के संकल्पों की संख्या है; इसे वास्तविक अंगदान या प्रत्यारोपण की संख्या नहीं समझना चाहिए।**

इसके अगले दिन एम्स नागपुर ने छह वर्षीय बच्ची की मृत्यु के बाद परिवार की सहमति से हुए अंगदान की जानकारी दी। बच्ची के दोनों गुर्दे एक अन्य बच्चे में प्रत्यारोपित किए गए। यह घटना दुःख की परिस्थिति में परोपकार और चिकित्सा व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी का उदाहरण बनी।

8.4.2. पृष्ठभूमि और कारण

अंगदान में किसी व्यक्ति के अंग का उपयोग दूसरे व्यक्ति के उपचार के लिए किया जाता है। मृतक अंगदान के मामलों में परिवार को गहरे दुःख के बीच जानकारी समझनी और निर्णय लेना पड़ सकता है।

ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा दल की जिम्मेदारी उपचार संबंधी प्रक्रिया समझाने के साथ परिवार को भावनात्मक सहारा देना भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के उपचार मार्गदर्शन में पर्याप्त जानकारी और समय देने तथा अनुचित दबाव के बिना निर्णय लेने में सहायता करने पर बल दिया गया है।

8.4.3. प्रमुख विशेषताएँ

1. **परोपकार:** दूसरे व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य के लिए स्वेच्छा से सहायता करना परोपकार है। अंगदान में यह भावना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर भी अंगदान को ऐसा सामाजिक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे परिवार स्वयं को बाध्य महसूस करे।
2. **जानकारी समझकर दी गई सहमति:** परिवार को प्रक्रिया, उसके उद्देश्य और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी सरल भाषा में मिलनी चाहिए। केवल सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर हो जाना यह सिद्ध नहीं करता कि पूरी बात समझ ली गई है।
3. **व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान:** दान के लिए प्रेरित करना उचित है, लेकिन परिवार के निर्णय का सम्मान भी आवश्यक है। मना करने वाले परिवार को असंवेदनशील कह देना उसके दुःख और स्वतंत्रता की अनदेखी होगी।
4. **न्यायपूर्ण अंग आवंटन:** उपलब्ध अंगों का आवंटन चिकित्सकीय आवश्यकताओं और उचित मानदंडों के आधार पर होना चाहिए। धन या प्रभाव के कारण प्राथमिकता मिलना न्याय के विरुद्ध होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांत भी निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन पर बल देते हैं।

8.4.4. प्रभाव और महत्व

अंगदान किसी दूसरे परिवार को उपचार की आशा दे सकता है। एम्स नागपुर की घटना में परिवार के निर्णय से एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को प्रत्यारोपण मिल पाया।

इस विषय का व्यापक महत्व चिकित्सा व्यवस्था में विश्वास से भी जुड़ा है। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि मरीज को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, मृत्यु की पुष्टि उचित प्रक्रिया से होगी और अंगों का उपयोग निधारित उद्देश्य के लिए होगा।

संकल्पों की बढ़ती संख्या जागरूकता का संकेत दे सकती है। लेकिन वास्तविक प्रगति का आकलन करते समय अस्पतालों की क्षमता, प्रक्रिया की निष्पक्षता और जरूरतमंद मरीजों की उपचार तक पहुँच भी देखनी होगी।

8.4.5. चुनौतियाँ

मृत्यु और अंगदान से जुड़ी गलत धारणाएँ परिवारों के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। गहरे दुःख में जटिल चिकित्सा जानकारी समझना भी कठिन होता है।

दूसरी ओर, आर्थिक असमानता शोषण की आशंका पैदा करती है। किसी गरीब व्यक्ति की मजबूरी का उपयोग अंग प्राप्त करने के लिए करना उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को नुकसान पहुँचाता है।

अंग उपलब्ध होने के बाद भी प्रत्यारोपण केंद्र तक पहुँच, उपचार खर्च और बाद की देखभाल जैसी व्यावहारिक बाधाएँ बनी रह सकती हैं।

8.4.6. समाधान और आगे की राह

- **संवेदनशील परामर्श मिले:** प्रशिक्षित कर्मचारी परिवार की बात सुनें, प्रश्नों का उत्तर दें और समझ की पुष्टि करें।
- **प्रक्रिया में भरोसा बनाया जाए:** मृत्यु की पुष्टि, सहमति और अंग आवंटन के प्रत्येक चरण का स्पष्ट अभिलेख हो तथा हितों के टकराव से बचाव किया जाए।
- **उपचार तक समान पहुँच बढ़े:** जरूरतमंद मरीजों को जानकारी, अस्पताल तक पहुँच और उपलब्ध वित्तीय सहायता से जोड़ा जाए।
- **जागरूकता सही जानकारी पर आधारित हो:** अभियान में अंगदान के लाभों के साथ प्रक्रिया और परिवार की भूमिका भी समझाई जाए।
- **परिवार की निजता सुरक्षित रहे:** प्रेरक उदाहरण साझा करते समय परिवार की इच्छा और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का सम्मान हो।

8.4.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > **NOTTO:** राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन।
- > भारत में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण का प्रमुख कानून **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994** है। इसका उद्देश्य उपचार के लिए प्रत्यारोपण का नियमन और अंगों के व्यावसायिक लेन-देन की रोकथाम है।
- > मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु में उसके कार्य स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसे सामान्य अचेतावस्था या कोमा का पर्याय नहीं मानना चाहिए।



8.5. ओडिशा में कथित सामाजिक बहिष्कार : मानवीय गरिमा और संवैधानिक नैतिकता

8.5.1. चर्चा में क्यों?

15 जून 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के महलडीहा गाँव से संबंधित समाचारों का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 12 वर्षों से कथित सामाजिक बहिष्कार डेढ़ रहीं एक वृद्ध महिला की मृत्यु के बाद उसकी बेटी को अंतिम संस्कार में पड़ोसियों का सहयोग नहीं मिला। प्रशासन और सामाजिक संगठनों की सहायता से अंतिम संस्कार हुआ।

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से दो सप्ताह में रिपोर्ट माँगी। यह कार्टवाई आरोपों की जाँच के लिए थी; इसे दोष सिद्ध होने का निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

8.5.2. पृष्ठभूमि और कारण

आयोग द्वारा उद्धृत समाचार में बताया गया कि बेटी के दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ कुछ समय के लिए घर छोड़ने के बाद परिवार पर जुर्माना लगाया गया था। परिवार उसे नहीं चुका सका और कथित बहिष्कार जारी रहा।

ऐसे मामलों में किसी प्रभावशाली समूह का निर्णय व्यक्ति और परिवार के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने का माध्यम बन सकता है। कई लोग बहिष्कार से असहमत होने के बावजूद विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने बहिष्कार का डर होता है।

यहाँ नैतिक प्रश्न व्यक्तिगत आचरण के साथ सामूहिक जिम्मेदारी का भी है—यदि किसी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, तो आसपास के लोगों और प्रशासन का उचित व्यवहार क्या होना चाहिए?

8.5.3. प्रमुख विशेषताएँ

1. **संवैधानिक नैतिकता:** इसका अर्थ सार्वजनिक निर्णय और व्यवहार में स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा का

सम्मान करना है। किसी प्रथा का लंबे समय से प्रचलित होना उसे अपने-आप उचित नहीं बनाता। उसके प्रभाव को इन मूल्यों के आधार पर परखना चाहिए।

2. **मानवीय गरिमा:** प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्ण व्यवहार का अधिकारी है। किसी परिवार से असहमति होने पर भी उसके दुःख में सहायता रोकना मानवीय संवेदना पर गंभीर प्रश्न उठाता है।
3. **नैतिक साहस:** सही बात समझना पहला कदम है; सामाजिक दबाव के बीच उसके अनुसार काम करना नैतिक साहस है। पीड़ित परिवार की सहायता करना, प्रशासन को सूचना देना या अनुचित निर्णय का शांतिपूर्ण विरोध करना इसके उदाहरण हो सकते हैं।
4. **सामूहिक जिम्मेदारी:** जब हर व्यक्ति सोचता है कि सहायता कोई दूसरा करेगा, तो जरूरतमंद अकेला रह सकता है। इसलिए समुदाय में ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहन देना जरूरी है जिसमें व्यक्ति अपनी छोटी लेकिन वास्तविक जिम्मेदारी पहचाने।

8.5.4. प्रभाव और महत्व

सामाजिक बहिष्कार मेलजोल तक सीमित नहीं रह सकता। वह काम, सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इसका सामना करना अधिक कठिन हो सकता है।

इससे समाज में भय बढ़ता है। लोग अपनी स्वतंत्र पसंद व्यक्त करने या अनुचित व्यवहार का विरोध करने से बच सकते हैं। धीरे-धीरे परस्पर सहयोग और भाईचारे की भावना कमजोर होती है।

प्रशासन की संवेदनशील कार्टवाई यह भरोसा पैदा कर सकती है कि कमजोर व्यक्ति की बात भी सुनी जाएगी। यह भरोसा कानून और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।



8.5.5. चुनौतियाँ

पीड़ित व्यक्ति प्रतिशोध के डर से शिकायत करने से बच सकता है। गवाह भी उसी सामाजिक दबाव में चुप रह सकते हैं।

कभी-कभी तत्काल शांति बनाए रखने के नाम पर पीड़ित परिवार से समझौता करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी स्थिति में यह देखना जरूरी है कि समझौता स्वेच्छा से हो रहा है या दबाव में।

साथ ही, जाँच में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका प्रमाण से तय की जानी चाहिए। किसी पूरे गाँव या समुदाय को एक जैसा मान लेना निष्पक्ष प्रशासन के अनुरूप नहीं होगा।

8.5.6. समाधान और आगे की राह

- > **तत्काल सहायता और सुरक्षा मिले:** अंतिम संस्कार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास या अन्य आवश्यक जरूरतों में बाधा हो तो प्रशासन शीघ्र सहायता करे।
- > **शिकायत के सुरक्षित माध्यम हों:** पीड़ित और गवाह बिना भय अपनी बात रख सकें।
- > **प्रमाण के आधार पर कार्रवाई हो:** धमकी, दबाव या अधिकारों में बाधा के आरोपों की जाँच करके लागू कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय की जाए।
- > **कानूनी सहायता उपलब्ध हो:** आर्थिक और सामाजिक कठिनाई के कारण कोई परिवार अपनी बात रखने से वंचित न रहे।
- > **लगातार संपर्क रखा जाए:** तत्काल घटना समाप्त होने के बाद भी यह देखा जाए कि परिवार सामान्य जीवन में लौट पा रहा है या बहिष्कार किसी दूसरे रूप में जारी है।
- > **सामाजिक संवाद हो:** स्थानीय संस्थाओं और नागरिकों के सहयोग से समानता तथा सहयोग की भावना मजबूत की जाए, साथ ही पीड़ित की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान किया जाए।

8.5.7. प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण

- > राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक **वैधानिक संस्था** है, जिसका आधार **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** है।
- > **स्वतः संज्ञान** का अर्थ आयोग द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वयं मामले को उठाना है।
- > आयोग मानवाधिकार उल्लंघन तथा उसे रोकने में लोकसेवक की लापरवाही की जाँच कर सकता है।
- > जाँच के बाद आयोग राहत, अभियोजन या अन्य उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है; वह आपराधिक न्यायालय की तरह स्वयं दोषसिद्धि करके सजा नहीं देता।

8.5.8. विविध : अन्य महत्वपूर्ण खबरें – जून 2026

1. राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए

- > **23 जून 2026** को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान शामिल थे।
- > **पद्म विभूषण** प्राप्त करने वालों में पत्रकार **पी. नारायणन** और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश **के. टी. थॉमस** शामिल रहे।
- > **पद्म भूषण** प्राप्त करने वालों में टेनिस खिलाड़ी **विजय अमृतराज**, अभिनेता **ममूटी** और पार्श्वगायिका **अलका याग्निक** जैसे प्रमुख नाम शामिल थे।
- > **पद्म श्री** की सूची में क्रिकेटर **रोहित शर्मा**, अभिनेता **आर. माधवन** और हॉकी खिलाड़ी **सविता पूनिया** शामिल रहे।
- > पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियों का क्रम है—**पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री**। जून की यह खबर पुरस्कार प्रदान किए जाने के समारोह से संबंधित है।

2. क्योटो पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा

- > **19 जून 2026** को जापान के **इनामोरी फाउंडेशन** ने क्योटो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। यह सम्मान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।

श्रेणी	विजेता	प्रमुख योगदान
उन्नत प्रौद्योगिकी	त्सुतोमु मियासाका	पेट्रोव्स्काइट सौर कोशिकाओं के विकास में योगदान
मूल विज्ञान	फारुक आज़म	समुद्री कार्बन चक्र में सूक्ष्मजीवों की भूमिका स्पष्ट करना
कला एवं दर्शन	लॉरी एंडरसन	संगीत, आवाज, दृश्य कला और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को जोड़कर नई कलात्मक प्रस्तुतियाँ विकसित करना

- > **पेट्रोव्स्काइट सौर कोशिकाएँ** सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने की ऐसी तकनीक हैं, जिनसे हल्के और लचीले सौर उपकरण विकसित करने की संभावनाएँ बढ़ी हैं।
- > फारुक आज़म के अध्ययन ने समझाया कि समुद्र में घुला हुआ कार्बनिक कार्बन सूक्ष्मजीवों के माध्यम से दोबारा खाद्य जाल में पहुँचता है। इस प्रक्रिया को **सूक्ष्मजीवी पाश (Microbial Loop)** कहा जाता है।

3. महिला साहित्य पुरस्कार 2026

- > **11 जून 2026** को लंदन में महिला साहित्य पुरस्कारों की घोषणा हुई। इनमें कथा साहित्य और वास्तविक घटनाओं एवं तथ्यों पर आधारित लेखन की अलग-अलग श्रेणियाँ शामिल हैं।
- > **कथा साहित्य का पुरस्कार वर्जीनिया इवांस** को उनके पहले उपन्यास **'The Correspondent'** के लिए मिला। यह पत्रों के माध्यम से लिखी गई कहानी है, जिसमें एक वृद्ध महिला के जीवन, संबंधों, पुराने निर्णयों और बदलती समझ को सामने लाया गया है।
- > **कथेतर साहित्य का पुरस्कार लीज़ डूसेट** को **'The Finest Hotel in Kabul: A People's History of Afghanistan'** के लिए मिला। पुस्तक काबुल के एक होटल से जुड़े लोगों के अनुभवों के माध्यम से अफगानिस्तान के आधुनिक इतिहास को समझाती है।
- > दोनों विजेताओं को **30,000 ब्रिटिश पाउंड** की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महिला लेखकों की रचनाओं को व्यापक पहचान दिलाना है।

4. राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार : जमीर नज़ीर विजेता

- > **30 जून 2026** को **जमीर नज़ीर** को राष्ट्रमंडल लघुकथा पुरस्कार का समग्र विजेता घोषित किया गया। उन्हें यह सम्मान **'The Serpent in the Grove'** कहानी के लिए मिला।
- > जमीर नज़ीर **त्रिनिदाद और टोबैगो** से हैं और भारतीय विरासत से संबंध रखते हैं। उनकी कहानी ग्रामीण त्रिनिदाद की पृष्ठभूमि में एक महिला के संघर्ष, विश्वासघात और कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की इच्छा को सामने लाती है।

- > पुरस्कार का संचालन **राष्ट्रमंडल फाउंडेशन** करता है। इसमें पहले पाँच क्षेत्रों के विजेता चुने जाते हैं और फिर उनमें से समग्र विजेता का चयन होता है।
- > इस वर्ष **भारत की शेरन अरुणायिल एशिया क्षेत्र की विजेता** रही थीं। क्षेत्रीय पुरस्कार और समग्र पुरस्कार प्रतियोगिता के दो अलग चरण हैं।

5. फ्रेंच ओपन 2026 : ज़्वेरेव और आंद्रेयेवा ने जीते एकल खिताब

- > जून में पेरिस में आयोजित **फ्रेंच ओपन**, जिसे **रोलां गैरोस** भी कहा जाता है, के एकल मुकाबलों का समापन हुआ।

वर्ग	विजेता	उपविजेता	फाइनल की तारीख
पुरुष एकल	अलेक्जेंडर ज़्वेरेव	फ्लावियो कोबोली	7 जून 2026
महिला एकल	मिरा आंद्रेयेवा	माया ख्वालित्स्का	6 जून 2026

- > जर्मनी के ज़्वेरेव ने पाँच सेट तक चले मुकाबले में जीत हासिल की। यह उनके करियर का **पहला ग्रैंडस्लैम एकल खिताब** था।
- > **19 वर्षीय आंद्रेयेवा** ने महिला फाइनल **6-3, 6-2** से जीता। यह उनका भी पहला ग्रैंडस्लैम एकल खिताब था।
- > फ्रेंच ओपन की प्रमुख पहचान इसकी **लाल मिट्टी वाली सतह** है। यह टेनिस के चार ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों में शामिल है।

6. नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञानानंद की जीत

- > **5 जून 2026** को समाप्त हुई नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारत के **आर. प्रज्ञानानंद** ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता। प्रतियोगिता का आयोजन **ओस्लो, नॉर्वे** में हुआ।
- > प्रज्ञानानंद ने **18 अंक** प्राप्त किए। अंतिम दौर में जर्मनी के विन्सेंट कीमर पर जीत ने उनके खिताब की राह सुनिश्चित की।
- > महिला वर्ग में कज़ाख़स्तान की **बिबिसारा अस्साउबायेवा** ने **16.5 अंकों** के साथ खिताब जीता।
- > इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के लिए **समान पुरस्कार राशि** रखी गई। प्रतियोगिता की एक विशेषता यह भी है कि मुख्य बाजी बराबर रहने पर निणायक छोटी बाजी के माध्यम से अतिरिक्त अंक तय किए जाते हैं।

7. सविता श्री भास्कर बनीं एशियाई महिला शतरंज चैंपियन

- > **6 जून 2026** को भारत की **सविता श्री भास्कर** ने एशियाई व्यक्तिगत महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती। प्रतियोगिता **मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर** में आयोजित हुई।
- > चेन्नई की **19 वर्षीय सविता** ने नौ दौर में **7.5 अंक** प्राप्त किए। उन्होंने उज़्बेकिस्तान की अफ़रुज़ा खमदामोवा को बराबर अंकों की स्थिति में लागू होने वाले निणायक मानदंड के आधार पर पीछे छोड़ा।
- > चीन की **सोंग युशिन** ने 6.5 अंकों के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया।

- > इस जीत के साथ सविता ने **2027 महिला शतरंज विश्व कप** के लिए स्थान प्राप्त किया। इस तरह यह उपलब्धि एशियाई खिताब के साथ आगे की वैश्विक प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए भी महत्वपूर्ण रही।

8. फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत

- > **11 जून 2026** को पुरुष फुटबॉल विश्व कप शुरू हुआ। इसकी संयुक्त मेजबानी **अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको** कर रहे हैं। पहली बार तीन देश मिलकर इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे हैं।
- > यह **48 टीमों वाला पहला पुरुष फुटबॉल विश्व कप** है। प्रतियोगिता के लिए 16 मेजबान शहरों में कुल **104 मुकाबलों** का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।
- > उद्घाटन मुकाबले का आयोजन **मेक्सिको सिटी** में हुआ। मेक्सिको इस आयोजन के साथ विश्व कप की मेजबानी से तीसरी बार जुड़ा।
- > प्रतियोगिता का विस्तार अधिक देशों को विश्व स्तर पर खेलने का अवसर देता है। साथ ही, तीन देशों में आयोजन के कारण यात्रा, दर्शकों की आवाजाही और अलग-अलग समय क्षेत्रों में मुकाबलों का प्रबंधन विशेष महत्व रखता है।
- > फाइनल के लिए **19 जुलाई 2026** और **न्यूयॉर्क-न्यूजर्सी स्टेडियम** निर्धारित किए गए।

9. महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2026

- > **12 जून 2026** को महिला टी-20 क्रिकेट विश्व कप का दसवाँ संस्करण शुरू हुआ। इसकी मेजबानी **इंग्लैंड और वेल्स** कर रहे हैं।
- > पहली बार इस प्रतियोगिता में **12 टीमों** शामिल हुईं। कुल **33 मुकाबलों** के लिए सात मैदान निर्धारित किए गए।
- > **नीदरलैंड ने पहली बार** महिला टी-20 विश्व कप में भाग लिया। टीमों की बढ़ती संख्या महिला क्रिकेट के अधिक देशों तक फैलने को दर्शाती है।
- > भारतीय टीम की कप्तानी **हरमनप्रीत कौर** ने की। भारत के समूह में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड शामिल थे।
- > फाइनल के लिए **5 जुलाई 2026** और लंदन का **लॉर्ड्स मैदान** निर्धारित किया गया।

10. खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष निर्वाचित

- > **2 जून 2026** को बांग्लादेश के **खलीलुर रहमान** संयुक्त राष्ट्र महासभा के **81वें सत्र के अध्यक्ष** निर्वाचित हुए। निर्वाचन के समय वे बांग्लादेश के विदेश मंत्री थे।
- > उनका चयन सितंबर 2026 से शुरू होने वाले सत्र के लिए हुआ। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल **एक वर्ष** होता है।
- > अध्यक्ष महासभा की बैठकों का संचालन करता है, चर्चा को व्यवस्थित रखता है और सदस्य देशों के बीच सहमति बनाने में भूमिका निभाता है।
- > संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगठन के **सभी 193 सदस्य देश** शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य देश को एक मत प्राप्त है। इसलिए यह संस्था छोटे और बड़े देशों को समान मतदान अधिकार वाला वैश्विक मंच उपलब्ध कराती है।

11. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच अस्थायी सदस्य चुने गए

- > **3 जून 2026** को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए पाँच देशों का चुनाव किया—**ऑस्ट्रिया, किर्गिज़स्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे**।
- > इन देशों का कार्यकाल **1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028** तक रहेगा। इसलिए जून 2026 की घटना इनके निर्वाचन से संबंधित है।
- > सुरक्षा परिषद में कुल **15 सदस्य** होते हैं—पाँच स्थायी और दस अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होता है और हर वर्ष पाँच नए सदस्य चुने जाते हैं।
- > अस्थायी सदस्य परिषद की चर्चा और निर्णयों में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें **वीटो अधिकार प्राप्त नहीं होता**। वीटो अधिकार पाँच स्थायी सदस्यों के पास है।

12. लद्दाख में हेमिस उत्सव

- > **24-25 जून 2026** को लद्दाख के **हेमिस मठ** में हेमिस उत्सव आयोजित हुआ। यह लद्दाख की प्रमुख बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल है।
- > यह उत्सव **गुरु पद्मसंभव**, जिन्हें **गुरु दिनपोछे** भी कहा जाता है, की जयंती से जुड़ा है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- > उत्सव की मुख्य पहचान **छम नृत्य** है। इसमें भिक्षु रंगीन वस्त्र और मुखौटे पहनकर धार्मिक कथाओं एवं प्रतीकों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत करते हैं।
- > इन प्रस्तुतियों में बुराई पर अच्छाई की विजय, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया जाता है। उत्सव लद्दाख की स्थानीय वेशभूषा, संगीत और जीवित धार्मिक परंपराओं को समझने का अवसर भी प्रदान करता है।

13. असम में अंबुबाची मेला

- > जून में **कामाख्या मंदिर** का अंबुबाची मेला चर्चा में रहा। वर्ष 2026 में इसकी शुरुआत **22 जून** को हुई और मंदिर के कपाट दोबारा खोलने की तारीख **26 जून** निर्धारित की गई।
- > कामाख्या मंदिर **असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी** पर स्थित है। यह शक्ति उपासना और तांत्रिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र है।
- > धार्मिक मान्यता के अनुसार, अंबुबाची देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल से जुड़ा है। इसके माध्यम से **स्त्री की सृजन क्षमता और पृथ्वी की उर्वरता** का सम्मान किया जाता है।
- > इस अवधि में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद दर्शन फिर से शुरू होते हैं और श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है।
- > मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की पूजा **योनि के आकार वाले प्राकृतिक पाषाण रूप** में की जाती है।

14. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : स्वस्थ बढ़ती उम्र पर जोर

- > **21 जून 2026** को **12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस** मनाया गया। भारत का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन **कोलकाता** में हुआ।
- > वर्ष 2026 की विषयवस्तु थी—**‘स्वस्थ बढ़ती उम्र के लिए योग’ (Yoga for Healthy Ageing)**।

- > इस विषय का उद्देश्य उम्र बढ़ने के साथ लोगों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और जीवन से जुड़ा बनाए रखने पर ध्यान देना है। इसमें शारीरिक सक्रियता के साथ मानसिक संतुलन और सामाजिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण हैं।
- > आयोजन में योग को जीवन के विभिन्न चरणों में अपनाने पर जोर दिया गया। स्वस्थ बढ़ती उम्र का आशय ऐसे वर्षों से है, जिनमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सके और बेहतर जीवन जी सके।

15. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026

- > **7 जून 2026** को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसके आयोजन में **विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन** प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- > वर्ष की विषयवस्तु थी—**‘बीमारियों के बोझ से समाधान की ओर—हर जगह सुरक्षित भोजन’ (From burden to solutions – safe food everywhere)**।
- > इस वर्ष विशेष जोर इस बात पर रहा कि दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों के आँकड़ों का उपयोग करके समस्याओं की पहचान की जाए और उसी आधार पर रोकथाम के उपाय अपनाए जाएँ।
- > सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने में उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और भोजन तैयार करने के सभी चरण शामिल हैं। किसी एक चरण में हुई लापरवाही उपभोक्ता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
- > इसलिए सरकार, खाद्य कारोबारियों, वैज्ञानिकों और उपभोक्ताओं—सभी की साझा जिम्मेदारी है कि भोजन को दूषण से बचाया जाए।

16. अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस : बच्चों के खेलने के अधिकार पर ध्यान

- > **11 जून 2026** को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस (International Day of Play) मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष **2024** में इस दिवस की स्थापना की थी।
- > वर्ष 2026 की विषयवस्तु थी—**‘खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें’ (Protect Play, Protect Childhood)**।
- > इस दिवस में बच्चों के रोजमर्रा के खेल, कल्पना, खोज और मनोरंजन को महत्व दिया जाता है। खेल के माध्यम से बच्चे भाषा, सहयोग, समस्या सुलझाने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने जैसी क्षमताएँ विकसित करते हैं।
- > **यूनेस्को और यूनेस्को** इस दिवस को बढ़ावा देते हैं। परिवारों, विद्यालयों और स्थानीय प्रशासन से बच्चों के लिए खेलने का पर्याप्त समय तथा सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
- > इसका सीधा संबंध ऐसे बचपन से है, जिसमें पढ़ाई के साथ स्वतंत्र रूप से खेलने और दूसरों से जुड़ने के अवसर भी मिलें।

17. विश्व रक्तदाता दिवस 2026

- > **14 जून 2026** को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। यह दिवस रक्तदान करने वाले लोगों के योगदान को पहचान देने और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता के प्रति जागरूकता बढ़ाने से जुड़ा है।
- > वर्ष 2026 का संदेश था—**‘मानवता की एक बूँद—रक्तदान करें, जीवन बचाएँ’ (One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.)**

- > अभियान में रक्तदान को करुणा, एकजुटता और दूसरों की सहायता की भावना से जोड़ा गया। नियमित रक्तदाताओं का सहयोग जरूरत पड़ने पर रक्त की उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
- > विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि दान किया गया रक्त सुरक्षित हो, पूरी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे और रक्त उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें उसकी आवश्यकता है।
- > संदेश का केंद्रीय विचार है कि एक व्यक्ति का छोटा-सा योगदान किसी दूसरे व्यक्ति और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है।

18. नाविक दिवस : विश्व व्यापार चलाने वालों की सुरक्षा

- > **25 जून 2026** को नाविक दिवस मनाया गया। इसका प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजक **अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** है।
- > वर्ष की विषयवस्तु थी—**‘विश्व व्यापार का भार, जोखिमों का भार’ (Carrying world trade. Carrying the risks.)**
- > समुद्री जहाजों पर काम करने वाले नाविक ईंधन, खाद्यान्न, कच्चे माल और अन्य वस्तुओं को देशों के बीच पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका काम वैश्विक व्यापार और लोगों की दैनिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ा है।
- > जून के अभियान में संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों से गुजरने वाले नाविकों की सुरक्षा विशेष मुद्दा रही। **होरमुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और काला सागर क्षेत्र** में जोखिमों का उल्लेख किया गया।
- > सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ, संकट में सहायता, जरूरत पड़ने पर निकासी और नाविकों के कल्याण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

19. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और मुखाले पुरस्कार

- > **29 जून 2026** को भारत में **20वाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस** मनाया गया। यह दिन सांख्यिकीविद् **प्रशांत चंद्र महालनोबिस** की जयंती से जुड़ा है। वर्ष 2026 में उनकी **133वीं जयंती** थी।
- > इस वर्ष की विषयवस्तु थी—**‘प्रशासनिक आँकड़ों की क्षमता का पूरा उपयोग’ (Unlocking the Potential of Administrative Data)**।
- > प्रशासनिक आँकड़े वे जानकारी हैं, जो सरकारी कामकाज के दौरान एकत्र होती हैं। उदाहरण के लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण, विद्यालयों में नामांकन और सरकारी सेवाओं से संबंधित अभिलेख।
- > इन आँकड़ों को व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाकर योजनाओं की जरूरत पहचानने, सेवाओं की पहुँच समझने और निर्णय लेने में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ गोपनीयता और आँकड़ों की गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है।
- > इस अवसर पर **डॉ. अरुण बोस** को **सांख्यिकी में मुखाले राष्ट्रीय पुरस्कार 2026** प्रदान किया गया। वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। उन्हें सांख्यिकीय सिद्धांत, प्रायिकता और आँकड़ों के विश्लेषण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

20. अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस

- > **30 जून** को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्रग्रहों से संभावित टक्कर के खतरे और उससे बचाव के वैज्ञानिक प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- > यह तारीख **30 जून 1908 की तुंगुस्का घटना** से जुड़ी है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुए उस भीषण विस्फोट से बड़े क्षेत्र में जंगल नष्ट हो गए थे।

- > संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **दिसंबर 2016** में 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया।
- > इस दिवस का संबंध पृथ्वी के पास आने वाले अंतरिक्ष पिंडों की पहचान, उनकी कक्षाओं की निगरानी और संभावित खतरे की समय रहते सूचना देने से है।
- > इन प्रयासों को व्यापक रूप से **ग्रह सुरक्षा (Planetary Defence)** कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक जानकारी साझा करना और वास्तविक खतरे की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारी करना महत्वपूर्ण है।





RAINBOW IAS™
Colouring Your Journey to Success.

सही दिशा
सही तैयारी
सफल भारत
की ओर... 😊



LEARN
ANALYSE
CONNECT
APPLY
BUILD A BRIGHTER
TOMORROW

Better
Aspirants
Brighter
India

Geography
Today
A Better
Tomorrow



भूगोल (GS)



नया बैच | 26 सितंबर से प्रारंभ

Same
Aspirants
Different
Results 😊

Admissions Open

Prelims + Mains Integrated

Concepts • Maps • Diagrams • Revision



**Conceptual
Clarity**

मजबूत आधार,
स्पष्ट समझ



**Prelims +
Mains**

एकीकृत एवं
परीक्षा-उन्मुख तैयारी



**Class
Notes**

संक्षिप्त, सरल
और सटीक नोट्स



**Maps &
Diagrams**

विजुअल लर्निंग
से बेहतर रिवीजन



**Revision
Support**

नियमित रिविजन,
टेस्ट एवं चर्चा



**Exam-Oriented
Approach**

सिलेबस आधारित
रणनीतिक तैयारी

The Earth
Connects
People Places
and
Possibilities



INDIAN GEOGRAPHY
WORLD GEOGRAPHY
ENVIRONMENT & ECOLOGY
MAP PRACTICE
CURRENT AFFAIRS

Let's
Build a
Better You 😊



Geography Shapes
a Better Tomorrow

- ☑ Explore
- ☑ Understand
- ☑ Analyse
- ☑ Succeed 😊



A SMALLER
BRIGHTER WORLD →

Knowledge
Today
A Brighter
Tomorrow ☀️



Rainbow IAS | Mukherjee Nagar, Delhi
Same Place. Brighter Futures.



Query: 9217432851 | 8796494851

KNOWLEDGE | DISCIPLINE | OPPORTUNITY | A BRIGHTER INDIA

सेवा
सुशासन
समृद्ध भारत

